खण्ड-285, अंक-4
सोमवार, 8 आषाढ़, शक संवत् 1892
(29 जून, 1970 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 285 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	३७७–३८१
प्रश्नोत्तर	३८१–४०५
प्रश्नों के उत्तरों के संबंध में आपत्तियां	४०६–४०७
वित्त (लेखा परीक्षा एवं बिक्री-कर) विभाग की विज्ञप्ति (सदन के पटल पर रखी गयी)	४०७
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६४–६५ की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, १९७० (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	४०७
उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, (आजीविका और सेवायोजन कर अधिनियम, १९६५ का पूर्णतः निरसन करने हेतु याचिका (उपस्थित की गई) ..	४०७
श्री राम विलास पांडेय द्वारा श्री हरनरायन के विरुद्ध काउन्सिल हाउस गार्ड को पीटने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (अनुमति नहीं दी गई)	४०७–४११
लाला लाजपतराय मेमोरियल मेडिकल कालेज, मेरठ के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल तथा अनशन के संबंध में वक्तव्य	४११–४१२
८ जून, १९७० के तारांकित प्रश्न संख्या ५ व ६ के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	४१२–४१३
उत्तर प्रदेश एन्टरटेनमेंट्स एण्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९७० (पुरः स्थापित किया गया)	४१३
इंडियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७० (पुरःस्थापित किया गया)	४१३
कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७० (पुरःस्थापित किया गया)	४१३–४१४
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (संशोधन) विधेयक, १९७० (पुरःस्थापित किया गया)	४१४
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९७० (प्रवर समिति को निर्दिष्ट)	४१४–४४९
उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९७० (पारित) ..	४४९–४६१
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं	४६१–४६३
जिला उन्नाव के थाना बिहार की हवालात में पुलिस द्वारा कथित मारपीट के फलस्वरूप श्री हयात अली नामक व्यक्ति की मृत्यु होने के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	४६३–४६९
जिला सीतापुर के ग्राम मल्लापुर की रानी साहिबा द्वारा उस ग्राम के काश्तकारों को भूमि से जबरदस्ती बेदखल करने के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	४६९–४७१
सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	४७१–४७३
लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा प्री-मेडिकल टेस्ट के परीक्षार्थियों को ओरीजनल प्रवेश पत्र न देने के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	४७३–४७४
नत्थियां	४७५–४९६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २९ जून, १९७०

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरंभ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३४७

अजब सिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्त राम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, राजा
आनन्द सिंह, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैयाजी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए०सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल ,श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्यान सिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्ण स्वरूप, श्री
केदारनाथ, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री

गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नरायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चरण सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंग बहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन यन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैन सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारेलाल, श्री
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेम नारायण अहेरवार एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बदन सिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बलवीर सिंह, श्री

बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभो, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूल सिंह,श्री
मनसाराम, श्री
मनोहर लाल, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुंशीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह चौधरी, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राज बिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजतराम पांडेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
राम करन, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किकर, श्री
राम किशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
राम कुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल सण्ड, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ल, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री
(जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राम रतन पांडेय, श्री
रामलखन सिंह, श्री

रामलगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम विलास पांडेय, श्री
राम शिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह,श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर्रफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूप राम, श्री
लक्षमण स्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुंतला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शंभूनाथ चौधरी, श्री
शंभूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरन पिंड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद पांडेय, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम लाल, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त,श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्त राम, श्री
सन्तू, श्री
सरदार सिंह, श्री
सर्वसुख सिंह, श्री
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुखबीर , श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब

सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरि प्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरी सिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री (जिला आगरा फतेहाबाद)
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा, पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २९ जून, १९७०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जिला शाहजहांपुर में श्री सुखबीर आदि के विरुद्ध चल रहे मुकदमे को वापस लेना

**१—श्री उमाशंकर शुक्ला (जिला शाहजहांपुर) तथा श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जिले के इक्साइज मैजिस्ट्रेट श्री के० के० एन० सिंह के यहां सुखबीर इत्यादि के खिलाफ दफा ७/१६ प्रोवशन आफ फूड एडल्ट्रेशन ऐक्ट के अधीन मुकदमा चल रहा था जो सरकार द्वारा आदेश नं० यू० ओ० १३३३२/आठ—बी–ई–इक्साइज, दिनांक २ अप्रैल, १९७० दिये जाने के फलस्वरूप दिनांक ७ अप्रैल, १९७० को वापस लिया गया ? यदि हां, तो क्या कारण है ?

न्याय मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

जी हां, शासनादेश दिनांक २ अप्रैल, १९७० इस मुकदमा को वापस लेने का दिया गया। इसका कारण यह था कि कथित अपराध न्याय विभाग के विचार से केवल Technical था और शासकीय दृष्टिकोण से यह मुकदमा चलाना उचित नहीं था।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन, यह फूड एडल्ट्रेशन के जो केसेज होते हैं इनमें पहले सैंपिल देकर पब्लिक अनेलिस्ट की रिपोर्ट आती है और तब मिलावट होती है तो चालान किया जाता है, तो पब्लिक अनेलिस्ट ने इस केस में लिखा था कि शराब के सैंपिल में कोलटार डाई लगा हुआ है तो इस नियमविरुद्ध मिलावट के लिये और स्वास्थ्य के लिये हानिकारक प्रयोग के लिये जो मुकदम दायर किया गया था वह वापस क्यों लिया गया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

यह जो सैंपिल लिया गया था उसमें अनेलिस्ट ने यह फाइंडिंग दी थी कि इसमें कोलटार डाई का मिक्सचर है और यह जो चालान हुआ था वह फूड एडल्ट्रेशन ऐक्ट, जो केन्द्र का ऐक्ट है उसके अनुसार हुआ था, उसमें रूल २८ के हिसाब से उसका मिलाया जाना प्राहिबिटेड है और उसके हिसाब से ही फूड इन्सपेक्टर ने चालान किया था लेकिन स्टेट के एक्साइज ऐक्ट

के अनुसार कोलटार डाई का मिलाया जाना मना नहीं है इसलिये इसमें टेक्निकल कमी यही थी कि स्टेट गवर्नमेंट के ऐक्ट के हिसाब से उसका मिलाया जाना आफेंस नहीं था और सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से वह आफेंस था क्योंकि जो सैंपिल लिया गया था वह एक्साइज कमिश्नर के आर्डर से हुआ था और जो केस चला था वह २ कान्ट्रेडिक्टरी आर्डर्स, स्टेट और कमिश्नर, के हिसाब से चलाया गया था, इसलिये वह केस वापस कर दिया गया ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, यह केस १६६८ का था और अप्रैल, १६७० में वापस लिया गया । इसमें बहुत से बड़े-बड़े लोग हैं । एक रोजा फैक्ट्री (शाहजहांपुर) के मैनेजिंग डायरेक्टर, श्री एस० पी० भगत जो कि केंद्रीय मंत्री श्री बलिराम भगत के रिश्तेदार कहे जाते हैं, और मुझे ऐसी सूचना मिली है कि ऊपर के दबाव के कारण, पोलिटिकल रीजन्स के कारण इसे वापस लिया गया है । तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किस इनिशियेटिव पर और किसकी एप्लीकेशन पर यह केस वापस लिया गया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

यह चालान फूड इन्सपेक्टर ने सेंट्रल ऐक्ट में किया जो उसे नहीं करना चाहिये था । जो कार्यवाही हुई, पहली सरकार के वक्त से थी । १६७० में जाकर यह फाइनल हुआ । जब लीगल एडवाइस ली गई तो बताया गया कि जिन कंपनियों को बेचने का अधिकार था वह एक्साइज कमिश्नर और स्टेट गवर्नमेंट ने दिया था तो उन ठेकेदारों का चलाना इक्साइज कमिश्नर के आर्डर्स से हुआ था । तो इस प्रकार से इस टेक्नीकल ग्राउन्ड पर वापस लिया गया । जो एक्साइज कमिश्नर जिसने ठेका दिया और ३० साल से कोलटार डाई के मिक्सचर को ठेकेदार को बराबर इसमें परमीशन थी । उस हिसाब से फूड इन्सपेक्टर को चालान नहीं करना चाहिये था क्योंकि वह उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात थी ।

श्री उमाशंकर शुक्ला—

फूड एडल्ट्रेशन ऐक्ट में आपने ऐक्शन लेना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन इसमें एक्साइज एक्ट के नियमों का उल्लंघन हुआ जो दण्डनीय है । तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने फैक्ट्री के विरुद्ध क्या ऐक्शन लिया ? और यदि नहीं, तो क्यों नहीं लिया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जैसा मैंने निवेदन किया फूड एडल्ट्रेशन ऐक्ट में चालान हुआ था लेकिन एक्साइज ऐक्ट जो कि स्टेट लिस्ट का है, उसके मुताबिक वह लीगल था । जो फूड इन्सपेक्टर हैं उन्हें सेंट्रल ऐक्ट में चालान नहीं करना चाहिये था । उनको हिदायतें दे दी गई हैं कि जो फूड इन्सपेक्टर हैं, वे एक्साइज वाले केसेज में ही चालान किया करें ।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

जब यह आफेंस है तो एक्साइज ऐक्ट के अन्तर्गत उनका प्रासिक्यूशन क्यों नहीं किया गया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मैं यह कह रहा था कि एक्साइज ऐक्ट में लीगल है । ३० साल से कोलटार डाई मिक्सचर हुआ है । हैल्थ के लिये भी नुक्सानदेह नहीं है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, एस० पी० भगत जो एक्यूज्ड नं० ६ हैं, रोजा फैक्टरी के जो मैनेजिंग डाइरेक्टर हैं, क्या वे सेंट्रल मिनिस्टर के भाई या रिश्तेदार हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

इसकी तो मेरे पास सूचना नहीं है कि कौन मैनेजिंग डाइरेक्टर किसके रिश्तेदार हैं लेकिन अगर माननीय सदस्य चाहें तो मैं बताये देता हूं कि कौन-कौन मुल्जिमान हैं। १२ ठेकेदार हैं, एक्साइज इन्सपेक्टर भी हैं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मैं जानना चाहता हूं कि एक्यूज्ड नं० ६ श्री एस० पी० भगत हैं या नहीं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं पढ़ दूं ? इनमें नं० एक श्री एच० पी० भगत, मैनेजिंग डाइरेक्टर, हू वाज इंचार्ज आफ दि एडमिनिस्ट्रेशन... ।

श्री अध्यक्ष---

उनका नाम तो आ गया जिनको माननीय सदस्य चाहते थे ।

श्री शंभूनाथ चौधरी (जिला बलिया)---

जब माननीय मंत्री जी ने केस वापस लिया तो किस स्टेज पर था ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

कोई कार्य शुरू नहीं हुआ था । जैसे ही उसका चालान हुआ उसके विद्ड्राअल की कार्यवाही शुरू हो गई ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो मुकदमा वापिस लिया इसके लिये किन-किन लोगों ने दरख्वास्तें आपके यहां दीं या स्टेट ने सुओ मोटो ऐसा किया है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

मान्यवर, किसी ने दरख्वास्त नहीं दी थी । एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से डिपार्टमेंटल कार्यवाही हुई थी कि हमको सेंट्रल ऐक्ट के मुताबिक यह अधिकार दिया जाता और जब तक यह फैसला नहीं होता तब तक इन दुकानों से जितने साल ये बन्द थीं स्टेट रेवेन्यू का नुक्सान हो रहा था । इसलिये डिपार्टमेंट की तरफ से कार्यवाही शुरू हुई थी ।

श्री हिम्मत सिंह---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि वे कौन-कौन-सी दूकानें थीं जिनको स्टेट से ड्यूटी मिलती थी, वे बन्द हो गईं और उनकी कितनी सेल थी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

मान्यवर, दूकानों की सूचना मेरे पास नहीं है कि कौन-कौन दूकानें थीं लेकिन डिस्ट्रिक्ट में जिनका चालान हुआ था उससे मालूम पड़ता है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का सेल बन्द हो गया था ।

जिला परिषद्, देवरिया के अध्यापकों की सेवा समाप्ति

**२---श्री दीप नारायण मणि (जिला देवरिया)---

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद्, देवरिया के २,५०० अध्यापक पहली जून, १९७० से सेवा से अलग कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट)—

जी नहीं। जिला परिषद्, देवरिया के २,५०० अध्यापक १ जून, १९७० से सेवा से अलग नहीं किये गये हैं। समस्त अदीक्षित अध्यापक/अध्यापिका एवं अवकाश प्राप्त पुनर्नियुक्ति अध्यापक/अध्यापिका प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल की सेवाएं ३० जून, १९७० से समाप्त करने की नोटिस दिनांक २९ मई, १९७० को दी गई है। किन्तु न्यायालय द्वारा सेवा समाप्ति के विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी हो गई है।

श्री दीप नारायण मणि—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इतनी संख्या में अध्यापकों को क्यों नोटिस दिये गये हैं और क्या इनमें से अधिकांश पांच ६ वर्ष से ज्यादा समय से हैं ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—

मान्यवर, जिलाधिकारी, देवरिया ने सूचित किया है कि वहां देवरिया जिले में ७९,४८,०१३.९२ रु० की धनराशि स्वीकृत थी मगर वहां खर्चा ९६,११,८३३.९२ रु० अध्यापकों को वेतन के भुगतान के रूप में दिया गया था। यह अनियमितता थी। दूसरे छः सौ अध्यापक स्वीकृत संख्या से अधिक कार्य कार्यरत रहे। ये जो अनियमितायें थीं इनको दूर करने का प्रयास किया गया। उस पर २७५ स्थान रिक्त किये गये फिर भी ३०० अध्यापक जरूरत से ज्यादा थे। वे अनट्रेंड अध्यापक हैं उनको अलग करने के लिये कई किस्म की असुविधायें देखकर यह उचित समझा गया कि जून के आखिर में सबको नोटिस दिया जाय और जुलाई के शुरू में फिर से चुनाव कराके तीन सौ आदमियों को अलग करा लिया जाय और बाकियों को रख लिया जाय।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ये जो अध्यापक निकाले गये थे ये किस जमाने में नियुक्त हुए और जो ज्यादा धन व्यय हुआ है वह सरकार वसूल करने की कोशिश करेगी ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—

अभी निकाला कोई नहीं गया है, ५ अध्यापकों ने रिट दाखिल करके स्टे ले लिया है।

श्री दीप नारायण मणि—

इस वर्ष के पहले भी इन अध्यापकों को कभी नोटिस दिया गया था ? यदि नहीं, तो अब क्यों दिया गया ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—

जिला परिषद् द्वारा बहुत अनियमित कार्य किये गये हैं, जैसे कई अनट्रेन्ड को ले लिया गया, कई को जिन्हें ६० वर्ष में रिटायर हो जाना चाहिये था उनको रिटायर नहीं किया गया आदि। इन अनियमितताओं को दूर करने के लिये कार्यवाही की जा रही है। २,५०० में से करीब ३०० आदमी अलग किये जायेंगे, शेष को फिर से उचित स्थान दे दिये जायेंगे।

श्री ईश्वर दयाल त्यागी (जिला मेरठ)—

क्या इन टीचर्स की नियुक्ति अध्यक्ष महोदय ने की थी या चुनाव समिति ने और क्या इसमें अनट्रेंड टीचर्स भी थे ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—

कुछ अनट्रेंड भी हैं। केवल ३०० को निकालने का प्रश्न है। इसमें ऐसे टीचर्स हैं कि जैसे उर्दू के लिये २८ अध्यापकों को रखे जाने की स्वीकृति थी, मगर ५४ रख लिये गये।

इसी प्रकार संस्कृत के ११२ टीचर्स की जगह थीं और १५६ रख लिये गये। कुछ ऐसी महिलाओं को रख लिया गया जो दर्जा ८ भी पास नहीं थीं। (व्यवधान)

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

जिनको नोटिस दिया गया है उनमें करीब डेढ़ हजार ऐसे अध्यापक हैं जिनकी सेवा १२–१५ वर्ष पुरानी है और शेष ३ वर्ष पुराने हैं, तो इतने पुराने लोगों को नोटिस देने की जरूरत क्यों पड़ी?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—

जो अनियमितताएं वहां हुयी थीं उनको दूर करने के लिये ही यह किया गया। बहुत अध्यापकों की नियुक्ति का रेकार्ड तक इन्सपेक्टर आफ स्कूल के यहां नहीं था। उनको लोकेट करना बड़ा मुश्किल था। जब यह असम्भव हो गया तो यही उचित समझा गया कि सब को नोटिस द दिया जाय और जो टेम्पोरेरी हैंड्स हैं उनको निकाल दिया जाय और जो योग्य हैं वरिष्ठता के आधार पर उनकी सर्विसेज को कन्टीन्यू रखा जाय।

श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा)—

जो ये अध्यापक हटाए गये, उनके बारें में कहा गया कि ये अवैधानिक नियुक्तियां थीं। तो १५–१५ साल से पुरानी नियुक्तियां थी और अवैधानिक थीं, तो १५ साल से यह क्यों नहीं पता चला? और जिन लोगों ने यह अवैधानिक नियुक्तियां कीं, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? और दोषी डिपार्टमेंन्ट के खिलाफ कार्यवाही की गई या नहीं?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—

कार्यवाही किसी के खिलाफ नहीं की गई। बात यह है कि हमेशा एक चुनाव-समिति बनती है, लेकिन यह उससे नहीं हुआ, एम्पलाएमेंट एक्सचेंज के जरिए नियुक्तियां नहीं हुई, इंस्पेक्टर्स आफ स्कूल को नियुक्तियों के बाद जो रिपोर्ट भेजी जाती है, वह नहीं भेजी गई, आदि तमाम प्रकार की अनियमितताएं हुई। तो इसको रेगुलर करने के लिये कोई तरीका निकला। इसलिए सबको नोटिस दी गई। अब मेरिट पर अध्यापक छांटे जायेंगे। और केवल ३०० इस प्रकार कम किए जाएंगे।

श्री विश्वनाथ कपूर—

श्रीमन्, यह जान-बूझकर छिपा रहे हैं। इनकी मंत्रि-परिषद् के एक सदस्य, उस समय जिला परिषद् के अध्यक्ष थे, इसलिए यह उनका नाम नहीं लेना चाहते हैं। इसके लिए आप हमें नियम ५२ में चर्चा करने की अनुमति दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

आप दे दीजिएगा। नियम ५२ में नहीं, नियम ४९ में चर्चा हो जाएगी।

राजनैतिक पीड़ितों की लड़कियों की शादी में दी जाने वाली आर्थिक सहायता को बन्द करना

**३—श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों ने स्वतन्त्रता आन्दोलन में सक्रिय भाग लया था, आर्थिक या शारीरिक यातनायें झेली थीं, ऐसे गरीब लोगों को राजनैतिक पीड़ित पेंशन विभाग से प्रार्थना करने पर लड़कियों आदि की शादी के लिये कुछ आर्थिक सहायता दी जाती थी, उसे क्या बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो बन्द करने का क्या कारण है?

गृह उप उपमंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

जी हां, क्योंकि अब जिन लड़कियों की शादी के लिये अनुदान मांगा जाता है वह सब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पैदा हुई होंगी और शासन की कोई जिम्मेदारी, नैतिक या कानूनी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ऐसे आश्रितों के तई नहीं हो सकती जो १५ अगस्त, १६४७ के बाद पैदा हुए हों ।

श्री रामलाल राही—

जैसी मुझे जानकारी है इस सरकार के पूर्व जो स्वतन्त्रता संग्राम के सैनानी रहे हैं, चाहे उनको आर्थिक क्षति हुई हो, या शारीरिक क्षति हुई हो उनकी लड़कियों की शादी होती थी तो गरीबों को सहायता दी जाती थी । माननीय मुख्य मंत्री जी का उत्तर है कि नैतिक या कानूनी जिम्मेदारी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के तई नहीं हो सकती । इससे पूर्व की सरकारें जो सहायता देती थीं नैतिक या कानूनी आधार पर देती थीं या नहीं ?

मुख्य मंत्री (श्री चरणसिंह)—

अध्यक्ष महोदय, पहले ६ महीने की जिनकी सजा हो गयी हो, वह राजनीतिक पीड़ित की परिभाषा में आते थे । बाद में घटा कर ३ महीने कर दिया गया । नतीजा यह हुआ, जो पिछले साल मंत्रिमंडल ने घटाया, ६ हजार १ सौ दरस्वास्तें आ गयीं, छ: महीने से तीन महीने घटाने के कारण । पहले २० रुपये न्यूनतम पेंशन दी जाती थी, पिछले मंत्रि-मंडल के फैसले के मुताबिक, जो उन्होंने नोट किया था, फैसला हमने किया, जो उनकी तजवीज थी, उसमें कर दिया गया ४० रुपये न्यूनतम दिया जायगा । नतीजा यह हुआ कि ४० लाख रुपया सालाना बजट में अब की बार रखा गया है केवल पेंशन देने के लिये । पहले ५ सौ रुपया लड़की की शादी में दिया जाता था । इसको हमने आगे के लिए बन्द कर दिया है । उन लोगों को लड़की की शादी के लिए ५ सौ रुपये देने का मतलब यह हुआ कि सन् ४२ या ४५ में तीन महीने के लिए जेल चले गये, ५५–६० तक लड़की पैदा होती रहेगी । उसके बाद २० वर्ष में शादी होगी जब २ हजार सन् आयेगा तब तक गवर्नमेंट को देना पड़ेगा । जेल में जिस समय थे उस समय जो लड़की पैदा हुई उसकी शादी की उम्र ऐसी है कि उन्हें दिया जाय । लेकिन ऐसी लड़कियां जो सन् ४२ या ४५ में पैदा हुई होंगी, उनकी सन् ६५ तक शादी हो गयी । तीन महीने जो जेल गया हो उसकी लड़की की शादी के लिये ५०० रु० दिया जाय । इस तरह का जो बर्डन स्टेट एक्सचेकर पर हो जाय मंत्रि-मंडल में हमारे साथियों ने उसको मुनासिब नहीं समझा ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री बताएंगे कि राजनीतिक पीड़ित जिनकी संख्या का उनको बहुत गिला है, शिकायत है, और सोचना पड़ गया, तीन महीने करने के कारण, पहले जितनी पेंशन दी जाती थी, उसमें कितनी कमी हो गयी, लोगों की मृत्यु के कारण ? दूसरी, क्या वह बतायेंगे कि उनकी सरकार की क्या नीति है और उनकी सरकार ने इस नीति को कब स्वीकार किया कि जिनको शादी के लिये रुपया दिया जाता था उनको रुपया बन्द कर दिया जाय ?

श्री चरणसिंह—

मैं जवाब दे चुका हूं । मेरी समझ में नहीं आया । वह बहस की बात है । सवाल पूछें तो जवाब दे सकता हूं ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

बहस नहीं है । मैंने दो सवाल पूछे । एक यह पूछा कि क्या यह सही नहीं है कि जिनको राजनीतिक पीड़ित होने के कारण पेंशन दी जाती थी उनकी संख्या मृत्यु के कारण कम होती जाती है । दूसरे, यह कि जो नीति नयी बनायी गयी कि लड़कियों की शादी के लिए रुपया न दिया जाय, यह कब बनायी गयी ?

श्री चरणसिंह—

दो सवाल हो गये। दो का जवाब मैं एक साथ नहीं दे सकता। एक एक करवा दीजिये तो मैं जवाब दे दूंगा।

श्री विश्वनाथ कपूर—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब आपने प्रश्न की आज्ञा दे दी तो क्या माननीय मंत्री जी कह सकते हैं कि मैं जवाब नहीं दूंगा ?

श्री अध्यक्ष—

मैं कहता हूं एक एक सवाल का जवाब दीजिये। पहले सवाल का जवाब दे दीजिये कि उनकी संख्या कम हो गयी या नहीं ?

श्री चरणसिंह—

मेरे पास इस वक्त संख्या के आंकड़े नहीं हैं लेकिन यह मुझे मालूम है कि उसकी रकम जो थी वह बढ़ती जाती थी। जब ६ महीने के बजाय कैद की मियाद ३ महीने कर दिया तो ६,१०० दरख्वास्तें एक साल में आईं। पहले २०-२२ लाख का बर्डन पड़ता था लेकिन अब एकसचेकर पर ४० लाख का बर्डन पड़ने लगा था।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

किस तारीख को यह नया निर्णय लिया गया ?

श्री चरणसिंह—

फैसला फरवरी, सन् ७० में लिया गया।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

इस बात को देखते हुए कि सन् ४२ के स्वतंत्रता संग्राम के सैनानी कुछ ऐसी उम्र पर पहुंचे हुए थे जिन्होंने अपनी कृषि, आयोजन, रोजगार अथवा नौकरी का परित्याग कर दिया था और जो उनका एक मात्र जीवन बसर करने का रास्ता था वह खत्म हो चुका था तो जब सभी विभागों में मृत्यु के बाद पेंशन उनके बाल-बच्चों को दी जाती है तो फिर जो स्वयं पोलिटिकल सफरर हैं उसके लड़के और लड़कियों को शादी में सरकार आर्थिक सहायता देगी ?

श्री अध्यक्ष—

उसके लिये तो उन्होंने 'नहीं' कह दिया।

श्री रामलाल राही—

आज इस सदनमें हम सदस्य के रूप में और चौधरी साहब मुख्य मंत्री के रूप में इन स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की बदौलत ही बैठे हुए हैं और वे गरीब जिनको यातनायें मिलीं गांव में छप्पर में पड़े हुए कराह रहे हैं, उनके बाल बच्चे न पढ़ सकते हैं, न कपड़ा पहन सकते हैं, तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा जब उनके बाल बच्चों के जीवन-यापन के लिये कोई व्यवस्था नहीं है ? अर्थात् न भूमि है कृषि के लिये, न रोजगार है तो क्या सरकार उनके बच्चों की शादी के अवसर पर आर्थिक सहायता देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष—

आप यह सवाल कर सकते हैं कि क्या सरकार पुनर्विचार करेगी? उन्होंने सहायता देने के प्रश्न पर नहीं में उत्तर पहले ही दे दिया है।

श्री रामलाल राही—

ठीक है, मेरा स्पष्ट प्रश्न यही है क्या सरकार स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के बच्चों की शादी के अवसर पर आर्थिक सहायता देने के प्रश्न पर पुनर्विचार करने को तैयार है ?

श्री चरणसिंह—

जो लोग जेल में गये थे ज्यादातर तीन महीने के लिये भेजे गये थे। वे इस खयाल से नहीं गये थे कि बाद में बच्चे पैदा करेंगे और गवर्नमेंट पर बोझ होगा। जो बच्चे जेल जाने के वक्त थे उनकी शादियों में सरकार देगी लेकिन बाद में होने वालों के लिये नहीं देगी।

श्री अध्यक्ष—

नत्थी (क) के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या ४ में माननीय मंत्री ने सूचित किया है कि उनका गला खराब है। अतः अब यह प्रश्न पहली तारीख को ले लिया जायेगा।

****४—श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (जिला रामपुर)—**

(स्वायत्त शासन मंत्री की प्रार्थना पर १ जुलाई, १९७० के लिए स्थगित किया गया।)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

जी० एम० वाराणसी द्वारा तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति

***१—श्री रामनिहोर राय (जिला मिर्जापुर)—**

वाराणसी क्षेत्र में जी० एम० वाराणसी ने सन् १९६८ से १९७० के मध्य तृतीय श्रेणी में कितनी नई नियुक्तियां की हैं, उनमें से कितनी रोजगार कार्यालय के माध्यम से क्या उपरोक्त अवध्यन्तर्गत कोई हरिजन भी लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो क्या विवरण के साथ सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

परिवहन मंत्री (श्री रामजीलाल सहायक)—

सूचना एकत्र की जा रही है।

[२९ जून, १९७० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

उद्योग निदेशालय कानपुर, में विकास शाखा की स्थापना

***१—श्री मोहम्मद असरार अहमद—**

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उद्योग विभाग, कानपुर में डेवलपमेंट विंग कायम करने का क्या उद्देश्य था ? तथा इसकी कितनी पूर्ति हुई ? सन् १९६८-६९ में किन-किन आफिसरों ने इस विंग में काम किया है ?

उद्योग उपमंत्री (श्री आबिद अली)—

उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास में अन्य राज्यों से काफी पिछड़ा था। अतः राज्य में औद्योगिक प्रगति लाने के उद्देश्य से उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश, कानपुर में एक डेवलपमेन्ट विंग (विकास शाखा) की स्थापना वर्ष १९६७–६८ में की गई जिससे उद्योगपतियों को उद्योग स्थापित करने के लिये अधिक से अधिक सुविधायें तथा तकनीकी जानकारी एक स्थान पर दिलाई जा सके जिससे उन्हें विभिन्न स्थान पर भटकना न पड़े।

इस शाखा के स्थापित होने के फलस्वरूप राज्य में जो उद्योग स्थापित किये गये और विकास शाखा द्वारा जो सुविधायें एवं तकनीकी जानकारी कराई उसका विवरण निम्न प्रकार है :

उद्योगों का नाम	क्षेत्र में नये स्थापित उद्योगों की संख्या	विकास शाखा द्वारा दी गई सुविधा, तकनीकी जानकारी
१—यांत्रिक अभियंत्रण उद्योग ..	३८६	३८६
२—रसायन अभियंत्रण उद्योग ..	१०१	४००
३—विद्युत् अभियंत्रण उद्योग ..	४६	१२०
४—विभिन्न उद्योग	४५३	३००

विकास शाखा के लिये विशेषरूप से अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की गई थी परन्तु विभाग के अन्तर्गत प्रधान कार्यालय पर कार्य करने वाले कुछ प्राविधिक अधिकारियों ने इस शाखा के अन्तर्गत कार्य किया है, इन अधिकारियों के नाम निम्नलिखित है :

अ—श्री किशोर मोहन, विकास अधिकारी (लघु उद्योग)।
ब—श्री पी० के० श्रीवास्तव ,, (विद्युत्)।
स—श्री बी० बी० भाटिया ,, (कांच)।
द—श्री बी० एस० गर्ग, सह विकास अधिकारी (लघु उद्योग)।
य—श्री सी० पी० एस० सेंगर, अधीक्षक वर्कशाप।
र—श्री ए० एस० कोतवाल, सहायक निदेशक (इंजीनियरिंग)।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या माननीय मंत्रीजी यह बतायेंगे कि ६७–६८ के पहले सरकार को कोई ऐसी जानकारी मिली कि प्रदेश के इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट में कोई दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से यह विभाग नये तरीके से खोला गया ?

उद्योग मंत्री (श्री बेनीसिंह)—

उद्योगों के लोग जो जगह जगह भटकते फिरते थे, उनको सहूलियत देने के लिये ही तो यह रखा गया था।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

जो पदाधिकारी रखे गये, उनको कौन-कौन उद्योगों के संबंध में क्या-क्या जानकारी थी, किस टेकनीकल 'नो–हाउ' की बिना पर उनको रखा गया था ?

श्री बेनीसिंह—

इसी बिना पर तो उनको रखा गया था। वे यही काम भी करते थे। जितनी जानकारी वे दे सकते थे उन्होंने दी।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

लघु उद्योग में दो को क्यों रखा गया ? और उनको क्या जानकारी थी ?

श्री बेनीसिंह—

सरकार ने उनको बाहर से नहीं रखा। जो लोग वहां काम करते थे उन्हीं को यह काम सौंपा गया। विशेष रूप से यह पता नहीं कि किन-किन कारणों से उनको रखा गया था।

श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस विंग में जो अधिकारी रखे गये वे टेक्नीकल थे या नान-टेकनीकल और यह विंग अब काम कर रहा है या नहीं ?

श्री बेनीसिंह—

यह विंग थोड़ा बहुत काम कर रहा है। इसमें टेकनीकल लोग भी हैं और नान-टेकनीकल भी हैं।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

इन पदाधिकारियों की टेक्नीकल क्वालीफिकेशन क्या है ?

श्री बेनीसिंह—

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

किसी टेकनीकल अधिकारी की योग्यता मंत्रीजी बतायेंगे ?

श्री बेनीसिंह—

इस वक्त मेरे पास नहीं है। अगर आप मांगेंगे तो बता दूंगा।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

तालिका के आइटम नंबर २ के सामने लिखा है कि १०१ नये उद्योग खोले गये और टेकनीकल 'नो-हाऊ' ४०० को दिया गया, यह ३०० कहां से आ गये ?

श्री बेनीसिंह—

कुछ नये स्थापित किये और कुछ पुराने थे ? जिन्होंने टेक्नीकल सहायता मांगी केवल उनको दी गयी आगे आप देखेंगे ४५३ में से ३०० को ही सहायता दी गयी।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

माननीय मंत्री जी ने इस विंग के बारे में कहा कि थोड़ा बहुत काम तो करना ही है। इससे स्पष्ट है कि यह विंग जिस कार्य के लिये बनाया गया था वह पूर्ण नहीं हो रहा है और माननीय मंत्रीजी को भी संतोष नहीं है। तो इस पर विचार करते हुये कि इससे उद्योग-धंधों की क्षमता बढ़ नहीं रही है क्या माननीय मंत्रीजी इसको बन्द करने की कृपा करेंगे ?

श्री बेनीसिंह—

इन सब चीजों को मैं फिर से देख रहा हूं और जैसे-जैसे आते जाते हैं उस पर विचार कर के उचित कार्यवाही की जाती है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

पिछली सरकार को विशेष रूप से ऐसी कौन-सी जरूरत पढ़ गई जिसे यहां बताने में सरकार असमर्थ है कि यह अलग विंग क्यों खोला गया जबकि एक ही जगह पहले से रह रहा था ?

श्री बेनी सिंह—

पिछली सरकार के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता। आमतौर से शिकायत आती है कि हमारे आदमी जाते हैं और निदेशालय में इधर उधर भटकते रहते हैं। इसको सोच कर तत्कालीन मंत्री ने सुविधा देने के लिये किया होगा।

श्री जे० पी० अग्रवाल, आर० टी० ओ० का स्थानान्तरण

*२—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर० टी० ओ०, श्री जे० पी० अग्रवाल का तबादला सन् १९६९ में एक महीने के अन्दर ३ स्थानों पर यानी नैनीताल, गोरखपुर, कानपुर फिर कानपुर हुआ ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है तथा यह तबादले के आदेश किस-किस तिथि में हुये ?

श्री रामजीलाल सहायक—

आर० टी० ओ०, श्री जे० पी० अग्रवाल को, जो उस समय निलम्बित थे, सेवा में बहाल करके आर० टी० ओ०, गोरखपुर के पद पर नियुक्त किये जाने के आदेश ४ जुलाई, १९६९ को जारी किये गये थे। तत्पश्चात् इन आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री अग्रवाल को, सेवा में बहाली पर, कानपुर में आर० टी० ओ० के पद पर नियुक्त किये जाने के आदेश ७ जुलाई, १९६९ को जारी किये गये। प्रशासनिक कारणों से नियुक्ति आदेशों में उपर्युक्त परिवर्तन किया गया।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या संबंधित आर० टी० ओ० का तबादला नैनीताल भी हुआ था ?

श्री रामजीलाल सहायक—

केवल प्रोपोजल था, आर्डर्स नहीं हुये थे।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि ४ मई से ७ मई तक, इन ४-५ दिनों के अन्दर विशेष रूप से मुख्तलिफ आर्डर्स क्यों निकाले गये ?

श्री रामजीलाल सहायक—

मैंने निवेदन किया कि प्रशासनिक कुछ ऐसे कारण थे जिनकी वजह से यह हुआ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

जो सैकड़ों प्रशासनिक कारण थे उनमें से एक-आध तो मंत्री जी बतला दें ?

श्री रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, अभी उनके निलम्बन की कार्यवाही जारी है और अभी भी उसकी जांच हो रही है। इन कारणों से भी वह आदेश पूरे नहीं किये गये।

श्री कृष्णचन्द्र (जिला झांसी)—

क्या परिवहन मंत्री जी यह बतायेंगे कि अब क्या स्थिति है श्री अग्रवाल जी की ? क्या इनका तबाला हो गया है या अभी कानपुर में ही हैं ?

श्री रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, वह कानपुर में हैं ।

श्री आशाराम इन्दु (जिला मेरठ)—

अभी परिवहन मंत्री जी ने बताया कि ७ दिन के अन्दर आर्डर चेंज हुए थे प्रशासकीय परिस्थितियों के कारण, तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो प्रपोज करने वाले थे उन्होंने ७ दिन के अन्दर चार प्रपोजल क्यों किये, एक ही प्रपोजल क्यों नहीं किया ?

श्री रामजीलाल सहायक—

उन कारणों का मुझे ज्ञान नहीं है । कोई न कोई बात तो रही होगी । यह तो एड-मिनिस्ट्रेटिव प्वाइन्ट आफ व्यू से होता रहता है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्री जे० पी० अग्रवाल क्या मुअत्तल भी हुए थे ? और यदि हां, तो कब, और बहाल हुए तो कब ?

श्री रामजीलाल सहायक—

वह १६ मई, १६६७ को मुअत्तल हुए थे और जून, १६६६ में बहाल हुए ।

श्री मोहम्मद इसरार अहमद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उनके खिलाफ क्या आरोप थे और क्या विजिलेन्स में भी उनके खिलाफ कार्यवाही हुई थी ?

श्री अध्यक्ष—

आरोप के बारे में तो पहले पूछा ही नहीं ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

यह तो इसमें है । इससे पता चल जायेगा ।

श्री रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, एक आरोप तो यह था कि उन्होंने टेम्पोरेरी परमिट्स दे दिये थे और उनके ऊपर जो टैक्स लेना था वह वसूल नहीं किया था । एक इन्टर-स्टेट का परमिट दे दिया था जो वह नहीं दे सकते थे । तीसरे यह कि उन्होंने ऐसे लम्बे रास्तों के परमिट दिये जो उन को नहीं देने चाहिये थे । चौथे यह कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों को परमिट दिये थे और उस में पक्षपात किया । इस तरह के चारजेज थे ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या उन के खिलाफ विजिलेंस की भी कार्यवाही हुई और जो आरोप बताये गये हैं, उन में कौन सही पाये गये और कौन गलत पाये गये ?

श्री रामजीलाल सहायक—

सतर्कता आयोग में दो साल तक छानबीन होती रही । कुछ आरोपों पर तो उन्होंने बताया कि सबूत ठीक नहीं दिया गया और कुछ के लिए कह दिया कि सीवियर चार्ज नहीं हैं । फिर भी जो जांच की रिपोर्ट आयी है वह यहां जांची जा रही है ।

प्रदेश में पंजीकृत बेरोजगार व्यक्ति तथा उन्हें काम दिलाने की योजना

*३—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या श्रम मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में पंजीकृत बेकारों की संख्या ३१ मार्च, १९७० तक क्या थी ? इन में से शिक्षित बेकार कितने हैं और कोई काम जानने वाले (skilled) कितने हैं ?

श्रम राज्य मन्त्री (श्री राजमंगल पाण्डेय)—

३१-३-१९७० को राज्य के समस्त सेवायोजन कार्यालयों की जीवित पंजिका पर कुल ३,२७,८६७ बेरोजगार व्यक्ति पंजीकृत थे । यह सूचना कि इन में से कितने शिक्षित बेकार हैं तथा तथा कितने कोई काम जानने वाले हैं, इस समय उपलब्ध नहीं है ।

*४—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार ने इन बेकारों को काम देने के लिए किसी नयी योजना पर विचार किया है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री राजमंगल पाण्डेय—

किसी नयी योजना पर अभी निश्चय नहीं किया गया है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि सेवायोजन कार्यालयों में जो पंजीकरण किया जाता है तो वह बेकारों की शिक्षा और उनकी योग्यता के आधार पर ही किया जाता है, तो फिर क्या कारण है कि उन की शिक्षा और उनकी योग्यता के आधार पर आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये जा सके ?

श्री राजमंगल पांडेय—

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में बहुत से केन्द्र हैं और सभी से यह सूचना इकट्ठी करनी पड़ती है, इसलिए काफी समय की आवश्यकता होगी । जो स्टेटमेंट हमारे यहां आता है उसको तो हम ने बता दिया । जो यह स्किल्ड और नान-स्किल्ड का पूछ रहे हैं उस के लिए सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यह जो ३,२७,८६७ बेकारों की संख्या इस वर्ष है यह पिछले साल से बढ़ी है या घटी है, क्या माननीय श्रम मन्त्री जी कृपा कर बतायेंगे ?

श्री राजमंगल पाडेण्य—

चूंकि कम्पैरेटिव चार्ट इस समय मेरे पास नहीं है इसलिये मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि कुछ कह सकूं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

इस वर्ष जो सरकार की योजना है उस के अन्दर कितने बेकारों को खपाया जा सकेगा ?

श्री राजमंगल पाण्डेय—

इसके बारे में कोई निश्चित रूप से कहना कठिन है, वैसे दस लाख रुपये का प्राविजन किया गया है ताकि कोई कार्यक्रम सोचा जाय तो वह चल सके ।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)---

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलावेंगे कि यह जो प्रदेश में बढ़ती हुई बेकारी है उसके सम्बन्ध में कभी मंत्रिमण्डल में विचार हुआ है और यदि हुआ है तो किस नीति का अवलम्बन सरकार करना चाहती है ?

श्री राजमंगल पांडेय---

यह सवाल जरा फिर से साफ कर दें ।

श्री अध्यक्ष---

अभी कोई नीति निश्चित नहीं की गयी है यह उन्होंने बताया ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

क्या सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर विचार करते समय इस बात का विचार किया है कि कितने शिक्षित और कितने अप्रशिक्षित लोगों को काम देने के लिए कौन सी योजना चलायी जायगी और कितने स्थान उन लोगों को खपाने के लिए दिये जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

किस को ?

श्री कल्पनाथ सिंह---

जितने बेकार लोग हैं उन को खपाने के लिए कितना काम दे सकेंगे ? मैं यह पूछ रहा हूं कि चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में सरकार का क्या उत्तर है कि वह कितने लोगों को काम देगी और कितने नये बेकार पैदा होंगे ?

श्री राजमंगल पांडेय---

मूल प्रश्न से इस का कोई डाइरेक्ट सम्बन्ध नहीं है, इसलिए यह सूचना देना मुश्किल है । अभी भारतीय स्तर पर २६, २७ तारीख को बैठक हुई थी इन बेरोजगारों को काम देने के बारे में ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

जो २६, २७ को बैठक हुई उस में निर्णय क्या हुआ है, कृपया मन्त्री जी बतला दें ?

श्री अध्यक्ष---

अगर बैठक में कोई निर्णय हुआ है तो उस को बतला दें ।

श्री चरण सिंह---

अध्यक्ष महोदय, यह बेकारों की समस्या ऐसी नहीं है जिसका एक सवाल से जवाब दिया जाय । माननीय मित्र पूछते हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या-क्या है ? पिछली गवर्नमेंट ने जो चौथी पंचवर्षीय योजना स्वीकार की थी करीब-करीब हमने उस को पूरा मान लिया, तो हम से सवाल करना और गलत पोजीशन में रखना कोई बहुत मुनासिब नहीं है । अब रहा कि समस्या कैसे हल हो इसके लिए व्याख्यान देना पड़ेगा । लेकिन जो माननीय मित्र सुझाव देंगे और डिस्कशन करेंगे तो जो भी प्रैक्टिकल बात होगी उसको मैं मानने के लिए तैयार होऊंगा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि क्या सरकार, जो बेकार हैं उन को छोटे उद्योग-धंधे चलाने के लिए सहायता देने पर विचार करेगी ?

श्री राजमंगल पांडेय—

मान्यवर, यह अभी कहा गया है कि बेरोजगारी के बारे में और उस को समस्या हल करने के लिए अभी हाल में २६-२७ को मीटिंग हुई और उस की सिफारिशें क्या हैं वह अभी नहीं आयी हैं। जब वह सिफारिशें आ जायेंगी, तो सम्भव है कि सरकार उन पर गौर करे।

कुमायूं मंडल में औद्योगिक आस्थान

*५—श्री डूंगर सिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमायूं उत्तराखंड जिलों में किन-किन स्थानों पर इन्डस्ट्रियल स्टेट्स (औद्योगिक आस्थान) मार्च, सन् १९७० तक बनाये जा चुके हैं ? क्या नैनीताल जिले में भी इस तरह के आस्थान बनाये गये हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां और इन में प्रत्येक औद्योगिक आस्थान निर्माण-कार्य पर कितनी-कितनी धनराशि खर्च हुई ?

श्री बेनी सिंह—

कुमायूं मण्डल के जिलों में मार्च, १९७० तक निम्नलिखित स्थानों पर औद्योगिक आस्थान बनाये जा चुके हैं :—

(१) भीमताल (नैनीताल)—पर्वतीय औद्योगिक आस्थान।
(२) हल्द्वानी (नैनीताल)—हरिजन औद्योगिक आस्थान।
(३) अल्मोड़ा—पर्वतीय औद्योगिक आस्थान।

उत्तराखंड के किसी भी जिले में औद्योगिक आस्थान का निर्माण नहीं किया गया है।

नैनीताल जिले में जो दो औद्योगिक आस्थान बनाये गये हैं उन के निर्माण-कार्य पर निम्नलिखित धनराशि खर्च हुई—

		रु०
(१) पर्वतीय औद्योगिक आस्थान, भीमताल	..	२,७२,९३१
(२) हरिजन औद्योगिक आस्थान, हल्द्वानी	..	२,७९,०००

*६—श्री राम कुमार शास्त्री तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम—

[११वें सोमवार के लिए स्थगित किया गया।]

*७—श्री जगदीश गांधी तथा श्री केदारनाथ—

[१२वें गुरुवार के लिए प्रश्न सं० ८२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जिला झांसी के ग्राम सभापतियों द्वारा चार्ज न देना तथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही

*८—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास खण्ड, तालबेहट, जिला झांसी में पिछले ग्राम सभाओं के चुनाव के बाद ग्राम सभा पूरा कलां तथा ग्राम सभा विजयपुरा के पुराने सभापतियों ने ग्राम सभा की सम्पत्ति (फर्स, गैस बत्ती आदि) अब तक चार्ज में नहीं दी है ?

पंचायती राज मन्त्री (श्री जगन प्रसाद रावत)—

जी नहीं, गांव सभा पूराकलां तथा विजयपुरा के भूतपूर्व प्रधानों ने अपनी-अपनी गांव सभा की सम्पत्ति (फर्स, गैस, बत्ती आदि) का चार्ज दे दिया है।

नोट:—तारांकित प्रश्न ४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*६---श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अधिकारियों के कई बार मांग करने पर भी जब उक्त सामान नहीं दिया गया है तब आज तक उक्त भूतपूर्व सभापतियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---

प्रश्न नहीं उठता।

*१०---श्री जगदीश गांधी---

[११वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

स्वदेशी काटन मिल्स, मऊनाथ भंजन के कर्मचारी तथा उनको प्राप्त सुविधायें

*११---श्री भाभी (जिला आजमगढ़)---

क्या श्रम मंत्री बतायेंगे कि स्वदेशी काटन मिल्स, मऊनाथ भंजन, जिला आजमगढ़ में कुल कितने कर्मचारी अस्थायी एवं स्थायी रूप से काम कर रहे हैं ?

श्री राजमंगल पांडेय---

कथित मिल में इस समय ३४ स्थायी तथा ४६१ अस्थायी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं।

*१२---श्री भाभी---

क्या श्रम मंत्री यह भी बतायेंगे कि स्वदेशी काटन मिल, मऊनाथ भंजन, जिला आजमगढ़ में फैक्टरी ऐक्ट लागू किया गया है? यदि हां, तो उस फैक्टरी में कर्मचारियों के लिये कौन-कौन सी सुविधायें प्राप्त हैं ?

श्री राजमंगल पांडेय---

जी हां। कारखाना अधिनियम में निर्धारित सुविधायें जैसे वेतनिक अवकाश, कार्य के सीमित घंटे, लंच अवकाश आदि कर्मचारियों को मिल रहे हैं।

पंचायत राज विभाग के द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी तथा उनका स्थायीकरण

*१३---श्री महरम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)---

क्या पंचायत राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य के पंचायत राज विभाग में ग्रुप २ के कितने स्थायी पद स्वीकृत हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत---

७६६ स्थायी पद स्वीकृत हैं परन्तु इस समय इनमें से केवल ६७८ पदों का उपभोग किया जा रहा है। शेष १२१ पद अस्थागित (in abeyance) हैं।

*१४---श्री महरम सिंह---

क्या पंचायत राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य के पंचायती राज विभाग के इस समय ग्रुप दो के कितने अस्थायी कर्मचारी कार्यरत हैं जिन्हें अभी तक स्थायी घोषित नहीं किया गया है और उनके अभी तक स्थायी घोषित न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---

कथित अस्थायी कर्मचारियों की संख्या ४५१ है । इनमें से २६६ तो वे हैं जो विभाग से प्रतिनियुक्ति आदि पर बाहर गये हुए स्थायी कर्मचारियों के रिक्त स्थानों पर कार्य कर रहे हैं तथा उन्हें तब तक स्थायी नहीं किया जा सकता जब तक बाहर गये व्यक्ति अपने वर्तमान पदों पर स्थायी नहीं हो जाते । शेष १८२ व्यक्तियों को वरिष्ठ सूची के अन्तिम हो जाने के बाद स्थायी किया जा सकेगा । वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप देने की कार्यवाही निदेशक पंचायत राज इस समय कर रहे हैं ।

*१५---श्री हरी सिंह विष्ट---

[१३वें शुक्रवार के प्रश्न से १२ के अन्तर्गग स्थानान्तरित ।]

मेरठ जिले के सहायक बिक्री कर अधिकारियों का स्थानान्तरण न होना

*१६---श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)---

क्या बिक्री-कर मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ जिले में बिक्री कर विभाग में क्या ऐसे अधिकारी हैं जो तीन वर्ष से अधिक से मेरठ में कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उनके स्थानान्तरण करने पर विचार करेंगे ?

बिक्री कर मंत्री (श्री बलवीर सिंह)---

इस समय मेरठ जिले के बिक्री कर विभाग में केवल दो सहायक बिक्री कर अधिकारी ही तीन वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं । प्रशासनिक कारणों से उन्हें इस वर्ष स्थानान्तरित करने का कोई विचार नहीं है ।

*१७---श्री अनन्तराम जायसवाल तथा श्री शम्भूनाथ चौधरी---

[१३वें शुक्रवार के प्रश्न संख्या १० के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

खुर्जा स्थित कैलेडोनियन जूट मिल्स कम्पनी के त्रिमिक यूनिट के कर्मचारियों को बोनस

*१८---श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

क्या सरकार को विदित है कि खुरजा स्थित कैलेडोनियन जूट मिल्स कम्पनी लिमिटेड की त्रिमिक यूनिट अपने कर्मचारियों को बोनस वितरण नहीं कर रही है और इस विषय में श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश को भी ज्ञापन देकर कर्मचारी काफी समय से मांग कर रहे हैं तथा उनमें असन्तोष बढ़ रहा है ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ।

श्री राजमंगल पांडेय---

जी हां । इस प्रतिष्ठान में वर्ष १९६७ तथा १९६८ में कोई लाभ नहीं हुआ है और नया प्रतिष्ठान होने की वजह से बोनस भुगतान अधिनियम की धारा १६ के अन्तर्गत दिये गये प्राविधानों के अनसार सेवायोजकों को बोनस भुगतान करने के लिए वाध्य नहीं किया जा सकता है ?

*१९---श्री अनन्तराम जायसवाल---

[११वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया ।]

इंजीनियरों की बेरोजगारी से सम्बन्धित कार्यकारी मण्डल की सिफारिशें

*२०—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार बतायेगी कि बेरोजगार तकनीकी व्यक्तियों की समस्याओं के सम्बन्ध में जांच के लिये एक कार्यकारी मंडल का गठन किया गया है ? यदि हां, तो इस मंडल की सिफारिशें क्या हैं और इसे कब तक सरकार लागू करने का विचार कर रही है ?

श्री राजमंगल पांडेय—

बेरोजगार तकनीकी व्यक्तियों की समस्याओं के सम्बन्ध में जांच के लिये कोई कार्यकारी मंडल का गठन नहीं किया गया परन्तु एक कार्यकारी मंडल का गठन इंजीनियरों की बेरोजगारी के सम्बन्ध में किया गया था जिसकी मुख्य सिफारिशों का सारांश साथ में संलग्न है ।

कार्यकारी मंडल की सिफारिशों पर विचार संबंधित विभाग में किया जा रहा है । तकनीकी व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए वर्ष १६७०–७१ के बजट में दस लाख रु० का प्राविधान भी किया गया है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४७५ पर)

*२१—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

[विस्तीर्णता के कारण निरस्त]

जिला जालौन की सहकारी समितियों में गबन

*२२—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला जालौन की सहकारी समितियों में दिनांक २५ नवम्बर, १६६८ से ३० जून, १६६६ तक कितनी समितियों में कितने धनराशि के अपहरण की विशिष्ट रिपोर्ट सम्प्रेक्षक के द्वारा प्रेषित की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

२५–११–१६६८ से ३०–६–१६६६ तक जिला जालौन की १६ सहकारी समितियों में रु० ५६,४३०.६६ पैसे के अपहरण से सम्बन्धित विशिष्ट रिपोर्ट जिला सम्प्रेक्षाधिकारी द्वारा प्रेषित की गई है ।

*२३—श्री इन्द्रलाल—

[१२वें गुरुवार के प्रश्न संख्या ८३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*२४–२५—श्री राम निहोर राय—

[१०वें सोमवार के प्रश्न संख्या ६१–६२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*२६—श्री कृष्णकान्त, श्री श्याम सुन्दर लाल गुप्त तथा श्री रामप्यारे—

[१० वें सोमवार के प्रश्न संख्या ५२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*२७—श्री श्याम लाल—

[१०वें सोमवार के प्रश्न संख्या ५१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*२८—श्री कल्यान सिंह तथा श्री कृष्ण स्वरूप—

[१०वें सोमवार के प्रश्न संख्या ५४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

पन्नीजी शुगर मिल, बुलन्दशहर द्वारा गन्ने का क्रय

*२६—श्री खचेड़ू सिंह मोहरिया (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि गत माह की ओलावृष्टि से प्रभावित ग्राम सेमली, थाना बुलन्दशहर का कितना गन्ना अब तक पन्नीजी शुगर मिल, बुलन्दशहर ने लिया है और कितना गन्ना इस समय इस ग्राम में खेतों में है?

श्री चरण सिंह—

ग्राम समेली, जिला बुलन्दशहर से पन्नी जी शुगर मिल, बुलन्दशहर ने १५-६-७० तक १४,०६० कुन्टल गन्ना खरीदा और उक्त तिथि को उस ग्राम में केवल ४,००० कुन्टल गन्ना सप्लाई हेतु शेष अनुमानित था।

*३०—श्री अनन्तराम जायसवाल, श्री शेष नारायण शुक्ल, श्री कल्पनाथ सिंह, श्री इन्द्र मणी, श्री राम विलास पान्डेय, श्री राम सिंह, श्री सिया दुलारी, श्री अवधेश कुमार, श्री हरिवंश सहाय, श्री भानु प्रताप सिंह, तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम —

[११वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

आई० टी० आई०, चन्दौसी के लिये ली गई जमीन का मुआविजा न देना

*३१—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या श्रम मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आई० टी० आई० चन्दौसी जिला मुरादाबाद के लिये जो १६१/२ एकड़ भूमि एक्वायर की गई उसका मुआवजा दिनांक २५ अप्रैल, १९७० तक क्यों नहीं दिया जा सका?

श्री राममंगल पाण्डेय—

मुआविजे से सम्बन्धित कलेक्टर, मुरादाबाद के निर्णय (Award) पर राजस्व परिषद् की स्वीकृति न प्राप्त हो सकने के कारण मुआविजे की धनराशि का भुगतान नहीं किया जा सका।

*३२—श्री रियासत हुसैन—

क्या यह सही है कि जमीन के स्वामी ने १९६५ से आज तक कई बार जिला अधिकारी और राज्य अधिकारियों को मुआवजे के लिये प्रार्थनापत्र भेजे परन्तु कोई कार्यवाही आज तक नहीं की गई? यदि हां, तो क्यों?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मुआवजे के भुगतान हेतु भूमि के स्वामियों ने आवेदन पत्र कलेक्टर मुरादाबाद को दिये थे परन्तु जैसा प्रश्न ३१ के उत्तर में कहा जा चुका है, निर्णय (Award) पर राज्य परिषद् की स्वीकृति न प्राप्त हो सकने के कारण मुआवजे का भुगतान नहीं किया जा सका। इस सम्बन्ध में कलेक्टर के कार्यालय में आवश्यक कार्यवाही बराबर की जा रही है।

*३३-३४—श्री राम गोपाल संड—

[११वें सोमवार के प्रश्न संख्या ३३-३४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रधानाचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, लखनऊ का स्थानान्तरण तथा निलम्बन

*३५—श्री राम करन (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रधानाचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, लखनऊ कितने समय से लखनऊ संस्था में पदासीन हैं उनका कितनी बार स्थानान्तरण इस संस्था से हुआ और किन-किन परिस्थितियों में उनका स्थानान्तरण स्थगित हुआ और क्यों ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

प्रधानाचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, लखनऊ इस संस्था में १० जनवरी १९६७ से तैनात हैं। इस संस्था में उनकी यह तैनाती प्रथम बार की है, इसके पूर्व वह इस संस्था में नहीं थे। अतः स्थानान्तरतण स्थगित होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

*३६—श्री रामकरन—

किन कारणों से सरकार ने प्रधानाचार्य को उनके पद से निलम्बित किया था ? और किन परिस्थिति में पुनः बहाल करके लखनऊ में ही नियुक्त किया ? क्या जो अभियोग उन पर लगाये गये थे उनका निवारण हो गया ? यदि नहीं, तो वह क्यों बहाल किये गये ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

जी० आई० टी० आई०, लखनऊ में स्टोर की गई मशीनों के रखरखाव में बरती गई लापरवाही के लिये प्रधानाचार्य, आई० टी० आई० को उत्तरदायी समझ कर (क्योंकि जी० आई० टी० आई० का चार्ज भी उस समय उन्हीं के पास था) उनका निलम्बन किया गया था। बाद में यह पता चला कि जिन आधारों पर श्री वार्ष्णेय का निलम्बन किया गया था वे समुचित नहीं थे इसलिये उनका निलम्बन खत्म कर दिया गया। चूंकि लखनऊ आई० टी० आई० से ही यह निलम्बित किये गये थे अतः उन्हे उसी पद पर रखा गया। सम्पूर्ण मामले की जांच हो रही है।

*३७—श्री मोती लाल देहलवी—

[११वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

*३८—श्री मोतीलाल देहलवी—

[१३वें शुक्रवार के प्रश्न संख्या ११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मेसर्स आदर्श ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद तथा उनके श्रमिकों के मध्य विवाद

*३९—श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या श्रम मन्त्री को इसकी जानकारी है कि मेसर्स आदर्श ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद (आगरा) तथा उनके श्रमिकों के मध्य औद्योगिक विवाद अभिदेशवाद संख्या १३/१९६६ में श्रम न्यायालय, लखनऊ द्वारा दिये गये दिनांक २८ अक्तूबर, १९६८ के पंच निर्णय (एवार्ड) जो दिनांक ३० नवम्बर, १९६८ के सरकारी गजट (भाग १-ख—२) में दिनांक ७ नवम्बर, १९६८ के सरकारी आदेश संख्या ७६५९ (एस-टी)/२६-ए—१०३१ (एस० टी०)—६७, के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया, के अनुसार सम्बन्धित कर्मचारी को क्या काम पर ले लिया गया है और क्या सम्बन्धित कर्मचारी को पिछले धन कुल साढ़े आठ सौ रुपयों का भुगतान भी मालिकान द्वारा किया जा चुका है ? यदि हां, तो किस-किस तिथि को यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

सम्बन्धित कर्मचारी को काम पर नहीं लिया गया है।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग की बात है, अभिनिर्णय के विरुद्ध सेवायोजकों द्वारा दायर याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय के सशर्त स्थगन आदेशानुसार, सेवायोजकों ने रु० ८८५.६५ श्रम न्यायालय के पास जमा किया है।

सिविल कोर्ट रिआर्गेनाइजेशन कमेटी की सिफारिशें तथा इन्हें लागू करने से बचत

*४०—श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी), श्री शिवकैलाश (जिला बाराबंकी) तथा श्री भाभी—

क्या न्याय मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सर्वश्री बी० बी० मित्रा व एस० एस० आर० निगम की सिविल कोर्ट रिआर्गेनाइजेशन कमेटी ने मार्च, सन १९६६ में यह सिफारिश की थी कि कलेक्ट्रेट के आफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट व जिला जज के मुन्सरिफ का वेतन समान कर दिया जाय ? यदि हां, तो क्या सरकार उस सिफारिश को लागू करने पर विचार करेगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी, हां। इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय से आवश्यक सूचना मांगी गई है, जो शासन को अभी उपलब्ध नहीं हो पाई है। उच्च न्यायालय की सिफारिश प्राप्त होने पर इस सम्बन्ध में निर्णय लिया जायगा।

*४१—श्री अन्तराम जायसवाल, श्री शिव कैलाश तथा श्री भाभी—

क्या न्याय मंत्री यह भी बतायेंगे कि उपर्युक्त रिआर्गेनाइजेशन कमेटी ने यह भी राय जाहिर की है कि उसकी जुमला सिफारिसात लागू करने से सरकार को प्रतिवर्ष ३ लाख ६७ हजार ८ सौ ३७ रुपये की बचत होगी ? यदि हां, तो सरकार को कमेटी की सिफारिश लागू करने में क्या आपत्ति व कठिनाई है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी, हां। सिविल कोर्ट रिआर्गेनाइजेशन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में दिए हुए सुझावों को मान लिए जाने पर कुल ३,६७,८३६ रु० की बचत दिखलाई है।

ट्रैक्टर ट्रेलर की वार्षिक फीस में कमी

*४२—श्री तेजपाल (जिला मथुरा)—

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत सत्र में भूतपूर्व मंत्री श्री शांति प्रपन्न द्वारा सदन में इस घोषणा के बाद कि ट्रैक्टरों की ट्रोली (ट्रैलर) के रजिस्ट्रेशन की वार्षिक फीस ६०० रुपये के स्थान पर केवल १५ रुपये वार्षिक लगेगी, आज तक ऐसे आदेश आर० टी० ओ० आगरा के पास न भेजने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार ने यह निर्णय ले लिया है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

केवल कृषि कार्य में लगे हुए ट्रैक्टर-ट्रेलर, जो खेतों की सीमा के भीतर कार्य करते हैं, टैक्स से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। जो ट्रैक्टर-ट्रेलर्स खेतों की उपज को सड़क द्वारा फार्म से मण्डी या फैक्ट्री को ले जाते हैं उनका टैक्स घटाकर अब केवल १५ रु० प्रतिवर्ष कर दिया गया है। यह आदेश विज्ञप्ति संख्या ४५०६ टी/तीस, दिनांक अगस्त ६, १९६९ द्वारा समस्त आर०

[श्री रामजीलाल सहायक]

टी० ओ न को, जिन में आर० टी० ओ०, आ रा भी सम्मिलित है तथा समस्त मण्डलों के आयुक्तों को जो आर० टी० ए० के चेयरमैन भी हैं, भेजे जा चुके हैं और सरकार गजट भाग १(क) दिनांक अगस्त १६, १९६९ में भी सार्वजनिक सूचना के लिये प्रकाशित किये जा चुके हैं।

ललितपुर में कारखाना खोलने का प्रस्ताव

*४३—डाक्टर भगवत दयाल सिलोइया (जिला झांसी)—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतावेंगे कि क्या बुन्देलखंड में जिला झांसी के अन्तर्गत तहसील ललितपुर में कोई कारखाना खोलने जा रहो है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है?

श्री बेनी सिंह—

सार्वजनिक क्षेत्र में तहसील ललितपुर में इस समय कोई कारखाना खोलने का प्रस्ताव नहीं है। अगर निजी क्षेत्र में कोई व्यक्ति, औद्योगिक इकाई खोले तो सरकार हर प्रकार का प्रोत्साहन नियमानुसार देने को तैयार रहेगी।

*४४—श्री कल्पनाथ सिंह—

[१०वें सोमवार के प्रश्न संख्या ४८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*४५-४६—श्री नरेन्द्र सिंह—

[११वें सोमवार के प्रश्न संख्या ६३—६४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*४७—श्री महरम सिंह—

[१० वें सोमवार के प्रश्न संख्या ५३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सहकारी चीनी मिल चलाने हेतु दिये गये लाइसेंस

*४८—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या सरकार को ज्ञात है कि गत वर्ष केन्द्र सरकार से सहकारी चीनी मिल चलाने के लिये ३२ लाइसेन्स दिये गये थे जिनमें से उत्तर प्रदेश को केवल ३ ही प्राप्त हुए? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

शासन के पास भारत सरकार द्वारा ३२ सहकारी चीनी मिलों के लाइसेंस दिये जाने की सूचना नहीं है। उत्तर प्रदेश को ३ सहकारी चीनी मिलों के लिए लेटर आफ इंटेंट प्राप्त हुए हैं। ये तीन सहकारी चीनी मिलें हरदुआगंज (अलीगढ़), कायमगंज (फर्रुखाबाद) तथा रसड़ा (बलिया) में स्थापित की जायेगी।

*४९—श्री कन्हैयालाल वाल्मीकी—

[१०वें सोमवार के प्रश्न संख्या ४४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*५०-५१ श्री नरेन्द्रसिंह—

[१०वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ४४—४५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*५२—श्री मरहम सिंह—

[१०वें सोमवार के प्रश्न संख्या ४७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, कानपुर में अनुसूचित जाति के अधिकारी

*५३—श्री दुर्जन (जिला बांदा)—

क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, कानपुर में कितने शासकीय अधिकारी हैं? जिनमें से कितने अनुसूचित जाति के हैं? यदि निर्धारित कोटा के अनुसार नहीं हैं तो क्यों?

श्री बेनी सिंह—

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अन्तर्गत इस समय कुल ५२ अधिकारी हैं। इनमें से अनुसूचित जाति के कोई अधिकारी नहीं है। उपरोक्त ५२ अधिकारियों में से ४२ अधिकारी उद्योग निदेशालय से बोर्ड को स्थानान्तरित किये गये हैं तथा ६ अधिकारी बोर्ड के पुराने कर्मचारियों में से पदोन्नत किये गये हैं। शेष ४ अधिकारियों को चुनाव करके नियुक्त किया गया है। परन्तु इन चार पदों के लिये अनुसूचित जाति के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे।

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, कानपुर में अनुसूचित जाति के सहायक विकास अधिकारी (उद्योग) प्रथम

*५४—श्री दुर्जन—

क्या उद्योग मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि सहायक विकास अधिकारी (उद्योग) प्रथम कितने हैं और इस कैडर लिस्ट में कितने अनुसूचित जाति के हैं? यदि निर्धारित कोटा के अनुसार नहीं हैं, तो क्यों?

श्री बेनी सिंह—

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड में इस समय ३० सहायक विकास अधिकारी (उद्योग) प्रथम हैं जिनमें से ३ अनुसूचित जाति के हैं। उपरोक्त सभी सहायक विकास अधिकारी (उद्योग) प्रथम उद्योग निदेशालय से शासन द्वारा बोर्ड को स्थानान्तरित किये गये हैं। चूंकि बोर्ड द्वारा उपरोक्त कैडर में कोई नई नियुक्ति बाहर से नहीं की गई है अतः निर्धारित कोटा के अनुसार नियुक्ति करने का प्रश्न नहीं उठता।

*५५—श्रीमती मसाली देवी —

[१०वें सोमवार के प्रश्न संख्या ५५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

अकबरपुर, जिला कानपुर में रिन्द नदी पर पुल

*५६—श्री रघुनाथ सिंह—

क्या सरकार को पता है कि जिला कानपुर, तहसील अकबरपुर में प्रमुख कस्बों रूरा और शिवली को मिलाने वाले जिला परिषद मार्ग में रिन्द नदी पर स्थायी पुल नहीं है? यदि हां, तो सरकार उक्त पुल को कब तक बनवाने का विचार रखती है?

श्री जगन प्रसाद रावत—

जी हां। कथित जिला परिषद् मार्ग में रिन्द नदी पर स्थाई पुल नहीं है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्थायी पुल बनाने की कोई योजना जिला परिषद् की नहीं है।

*५७-५८—श्री श्रीशचन्द्र अग्रवाल, श्री केदारनाथ, श्री छेदालाल चौधरी तथा श्री सेवाराम—

[१३वें बुधवार के प्रश्न संख्या ४६-४७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*५९-६०—श्री रामपति—

[११वें सोमवार के प्रश्न संख्या ३४-३५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*६१—श्री राम लाल राही—

[११वें सोमवार के लिए स्थगित ।]

*६२—श्री रियासत हुसैन—

[१०वें सोमवार के प्रश्न संख्या ४९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*६३—श्री इन्द्रजीत—

[१०वें सोमवार के प्रश्न संख्या ५९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*६४—श्री मोहम्मद असरार अहमद, श्री धर्मवीरसिंह, श्री इम्तियाज हुसैन, तथा श्री हुकमसिंह—

[१० वें सोमवार के प्रश्न संख्या ४६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*६५—श्री मोहम्मद असरार अहमद, श्री धर्मवीर सिंह, श्री इम्तियाज हुसैन, तथा श्री हुक्म सिंह—

[१०वें सोमवार के प्रश्न संख्या ५८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*६६—श्री सियाराम तथा श्री नेतराम सिंह—

[१० वें सोमवार के प्रश्न संख्या ४३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*६७—६८—श्री रामजियावन तथा श्री शफीक अहमद—

[११वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

फैजाबाद जिले के विकास हेतु योजना

*६९—श्री विश्वनाथ कपूर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद के लिये पटेल आयोग की भांति कोई योजना विकास हेतु लागू करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो योजना क्या है तथा कब से लागू होगी ?

श्री चरणसिंह—

जी नहीं ।

*७०-७१ श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

[१३वें शुक्रवार के प्रश्न संख्या ४४-४५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*७२—श्री भगौती प्रसाद —

[१०वें सोमवार के प्रश्न संख्या ४५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

देवरिया जिले की चीनी मिलों पर गन्ने के बकाया मूल्य की वसूली

*७३—श्री रामधारी शास्त्री—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जनपद की किन-किन चीनी मिलों पर कितना-कितना गन्ने का दाम का बकाया है और क्या सरकार बकाया दाम दिलाने की तात्कालिक व्यवस्था करेगी ?

श्री राज मंगल पांडेय—

देवरिया जनपद की १२ चीनी मिलों पर जितना-जितना गन्ने के दाम का बकाया ३१–३ ६९ तक था उसका विवरण संलग्न तालिका 'क' पर दर्शाया है। शेष दो चीनी मिलों [कप्तानगंज तथा रामओला (पी)] पर उक्त तिथि तक इस मद में कुछ भी बकाया नहीं था। बकाया मूल्य की वसूली हेतु ३१–३–७० तक की बकाया स्थिति पर वसूली प्रमाण पत्र जारी कर दिये गये हैं। रामकोला (खेतान) चीनी मिल और भटनी चीनी मिल में बकाया देयों की वसूली हेतु रिसीवर नियुक्त है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४७६–४७८ पर)

प्रदेश में चीनी मिलों द्वारा पेरने हेतु शेष गन्ना

*७४—श्री राम धारी शास्त्री—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश की किन-किन चीनी मिलों में कितना–कितना गन्ना ३१ मई, १९७० तक पेरने को शेष हैं? क्या सरकार किसानों को समय से पेराई न होने के कारण जो क्षति हुई है उसे पूरा करने का आश्वासन देगी?

श्री राजमंगल पांडेय—

प्रदेश को जिन-जिन चीनी मिलों के क्षेत्र में जितना-जितना आफर्ड गन्ना ३१–३–७० तक अवशेष था उसकी स्थिति संलग्न तालिका 'घ' में दी गई है। सीजन १९६९–७० में चीनी मिलों में पेराई शीघ्र आरम्भ किया और अपनी पूरी पेराई क्षमता से कार्यरत रही। गन्ने की बाहुल्यता के फलस्वरूप प्रदेश की ४१ चीनी मिलों में अभी भी गन्ने की पेराई जारी है। गर्मी के मौसम में गन्ने के मूल्य में चीनी परता के अनुसार कोई कटौती भी नहीं की जा रही है। अतः सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में किसानों को क्षतिपूर्ति किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४७६–४७८ पर)

*७५–७६ श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री राम करन—

[११वें सोमवार के प्रश्न संख्या ६५–६६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

अतारांकित प्रश्न

१—श्री मंजूर अहमद, श्री श्याम लाल, श्री रूपनाथ सिंह यादव तथा श्री राम सूरत उपाध्याय—

[१०वें सोमवार के प्रश्न सं० ३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

सहायक विकास अधिकारी (प्रथम) उद्योग के पद

२—श्री दुर्जन—

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कष्ट करेंगे कि मई सन् १९७० में जो सहायक विकास अधिकारी (प्रथम) उद्योग की जगहें निकाली गई है उनमें वरिष्ठता सूची के अनुसार कितने सहायक विकास अधिकारी (उद्योग) द्वितीय में से लिये गये और उनमें से कितने अनुसूचित जाति के लिये गये हैं, और यदि नहीं लिये गये हैं, तो क्यों?

श्री बेनी सिंह—

मई, सन् १९७० में सहायक विकास अधिकारी (प्रथम) उद्योग की कोई जगहें नहीं निकाली गई हैं। शेष प्रश्न नहीं उठते।

३—चौधरी रामपालसिंह यादव—

[१०वें सोमवार के प्रश्न संख्या २ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

प्रश्नों के उत्तरों के सम्बन्ध में आपत्तियां

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मुझे अपने प्रश्न संख्या ४८ के सम्बन्ध में जो जवाब मिला है वह मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि वह कार्बन कापी है और मुझे अच्छी कापी मिलना चाहिये। जब मैं जवाब पढ़ ही नहीं सकता तो ऐसे जवाब से फायदा क्या। दूसरी चीज यह है कि ३२ लाइसेंस दिये गये लेकिन.....

श्री अध्यक्ष—

मैं प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है। आप को जो कुछ पूछना हो मेरे कक्ष में आकर पूछ लीजिये।

श्री इन्द्रमणी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

एक समस्या यहां पर यह आई कि इस प्रान्त में ३,२७,८०० व्यक्ति बेकार हैं और उसमें जब उत्तर पूछा गया तो यह भी बताया गया कि १० लाख रुपये इसके लिये रखे हैं, तो किस तरह से व्यवस्था होगी। श्री कल्पनाथ सिंह जी ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रश्न पूछा तो मुख्य मंत्रीजी ने हमको यह बताया कि जिन लोगों ने प्लान बनाया था, उसको उन्होंने उसी रूप में रख दिया। यह कोई उत्तर नहीं है। अगर इस सरकार ने प्लान बनाया था तो उस समय ३,२७,००० के करीब बेकार थे और जबउन्होंने उसको उसी रूप में रख दिया तो और बेकार हो जयेंगे। मैं आपकी इसमें व्यवस्था चाहता हूं कि इसमें आप नियम ५१ में समय दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

इसमें कोई व्यवस्था की बात नहीं है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मुझे यह निवेदन करना है कि जब मैंने यह अनुपूरक प्रश्न पूछा इस बेकारी के बारे में तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह उत्तर दिया कि चौथी पंचवर्षीय योजना पिछली सरकार ने बनायी थी और उसको ज्यों का त्यों करीब-करीब मान लिया। श्रीमन्, उसी सिलसिले में यह बात भी कही गई कि इस इरादे से सवाल पूछना जिससे किसी को गलत तरीके से एक्सपोज किया जाय, यह सब कुछ कहा। तो मैं श्रीमन् इस बात की व्यवस्था चाहता हूं कि क्या सरकार की तरफ से कोई मुख्य मंत्री या मंत्री किसी सदस्य की नियत पर इस प्रकार हमला कर सकता है। वैसे, श्रीमन, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि वह मेरी सलाह चाहते हैं, लेकिनश्रीमन् मैं कहता हूं कि वह मेरी सलाह नहीं चाहते। जब हमने उनको सलाह दी कि वह हमारी ओर से मुख्य मंत्री बने तो वह इन्दिरा जी की गोद में चले गये। तो मैं नहीं समझता कि वह मेरी सलाह चाहते हैं। सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि इस प्रकार का कोई उत्तर देना किसी मंत्री के लिये मुनासिब है ?

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न पर तो आपने व्यवस्था दी ही नहीं।

श्री अध्यक्ष—

मैंने कहा कि मेरे कमरे में आकर बात करें। माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने जो बात कही, उस पर मेरी यह व्यवस्था है कि कोई किसी की नियत पर हमला न करें, किसी की नीयत पर हमला करना ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

श्रीमन्, आज के तारांकित प्रश्न संख्या २ में श्री जे० पी० अग्रवाल के बारे में व्यक्तिगत प्रश्न है। मेरा कहना यह है कि जब हम लोग प्रश्न करते हैं तो आपका सचिवालय कहता है कि व्यक्तिगत प्रश्न है लेकिन सरकारी दल की ओर से व्यक्तिगत आता है तो उसको स्वीकार किया जाता ई।

श्री अध्यक्ष—

मेरे कमरे मेंआकर आप बात कर लें।

वित्त (लेखा परीक्षा एवं बिक्रीकर) विभाग की विज्ञप्ति‡

बिक्री कर मंत्री (श्री बलवीर सिंह)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ की धारा ३—क के अधीन जारी की गयी वित्त (लेखा परीक्षा एवं बिक्री-कर) विभाग की विज्ञप्ति संख्या एस० टी० १५१५।दस/९०० (१०८)—६९, दिनांक २० अप्रैल, १९७० को उक्त ऐक्ट की धारा ३—क की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६४—६५ की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम १५३ के अन्तर्गत यह सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६४—६५ की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, १९७० जो विधान सभा द्वारा २४ जून, १९७० को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक २७ जून, १९७० को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर अधिनियम, १९६५ का पूर्णतः निरसन करने हेतु याचिका

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर अधिनियम, १९६५, का पूर्णतः निरसन करने हेतु श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, सह मंत्री, उत्तर प्रदेश जनसंघ, द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री राम विलास पांडेय द्वारा श्री हरनरायन के विरुद्ध काउन्सिल हाउस गार्ड को पीटने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

विशेषाधिकार की अवहेलना के दो प्रश्न अभी जारी हैं। एक तो यह था कि यह कहा गया था कि काउन्सिल हाउस गार्ड ने श्री हरनरायन जी को जब वह निकले, कुछ आदमी जो उनके साथ थे जो सायकिल लेकर आए थे, उनको रोका और हरनारायन जी ने कुछ किया।

---

‡छापी नहीं गयी।

[श्री अध्यक्ष]

उसमें यह भ्रम हो गया था कि वह विधान सभा के गार्ड थे। लेकिन वह विधान सभा के गार्ड नहीं थे और विधान सभा के गार्ड न होने की वजह से दिक्कत यह पड़ी कि मुझे दरयाफ्त करना पड़ा। तो स्पष्ट है कि विधान सभा के गार्ड वह नहीं थे बल्कि सेक्रेटेरिएट के एस० ए० डी० के थे और उन्होंने हरनारायन जी की शिकायत एस० ए० डी० में की। मैंने तो बुलाकर उनसे बयान ले लिया चूंकि मैं समझा कि हमारे ही गार्ड है। चूंकि मैंने बुलाया इसलिये उन्होंने बयान तो दे दिया लेकिन वह यह समझ कर दिया कि मैं सब जगह पूंछ सकता हूं, मुझे पूर्ण अधिकार है। लकिन उन्होंने यह बताया कि मैंने एस० ए० डी० में लिखकर दिया। तो एस० ए० डी० इससे सम्बन्धित है इसलिए विशेषाधिकार का प्रश्न तो नहीं उठता। लेकिन जो उनका बयान है वह और जो हमारे यहां दरख्वास्त दी थी वह-इनको मैं मुख्य मंत्री जी के पास भेज दूंगा और वह इसका निपटारा करेंगे और मैं समझता हूं कि वह उचित कार्यवाही करेंगे।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या वह गार्ड आपके सचिवालय का नहीं है तो उसकी नियुक्ति कहां से हुई है? क्या सरकार की तरफ से भी कुछ गार्ड कौंसिल हाउस में काम करते हैं?

श्री अध्यक्ष—

सरकार की तरफ से गार्ड काम करते हैं और वह १२ महीने काम करते हैं वह सदन का गार्ड नहीं है। मैंने मार्शल से पूछा कि आपके अन्डर में वह काम करता है तो उन्होंने बताया कि उनके अन्डर वह काम नहीं करता है। बाद में यह मालूम हुआ। पहले मालूम हो जाता तो मैं बयान न लेता। चूंकि यहां पर सवाल उठाया गया तो मैंने पूछा था। मैंने समझा था कि ये जानते होंगे यह यहीं का है इसलिये उसका मैंने बयान लिया। इसलिये यह विशेषाधिकार के अवहेलना का प्रश्न नहीं रहा।

श्री कल्पनाथ सिंह—

चाहे वह आपके यहां का न हो लेकिन उसने ऐसा किया तो ?

श्री अध्यक्ष—

मेरा दफ्तर सभी के लिए खुला है। आप उसको देख सकते हैं।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

वह कौंसिल हाउस गार्ड आपके अन्डर में नहीं है तो मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि इस सदन की इंसल्ट हुई या नहीं। कई मेम्बरों के साथ ऐसा हुआ है। यदि ऐसा व्यवहार हो तो वह लज्जाजनक है या नहीं? आपके इस बीच में ये लाउड स्पीकर वाले बैठे हैं। ये आपके अन्डर में नहीं है लेकिन अगर कोई चार हाथ इनके मार दे तो सदन का प्रीविलेज हुआ या नहीं?

श्री अध्यक्ष—

सदन में कोई बात होती तो वह मैं मान लेता।

श्री रियासत हुसैन—

यहां पर रूलिंग हो चुकी है कि वह प्रिसिंक्ट आफ दि हाउस में आता है। इसके ऊपर जब मेम्बरों ने कहा था यह बात निश्चय हुई थी ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने भी उसको देखा है और उसमें यह है कि अवहेलना तब होती है जब आपके सदन का कर्मचारी हो और उसके ऊपर कोई हमला किया जाय या बेइज्जती होती है तो तब आता है।

अगर वह किसी दूसरे विभाग का नौकर है तो वह विभाग उस कर्मचारी के ऊपर एक्शन लेगा। यह कायदा है। उस रूलिंग को मैंने देख लिया है।

श्री रियासत हुसेन—

तो क्या प्रिसिंक्ट आफ दि हाउस के अन्दर कोई घटना हो तो ऐसी घटना की पुलिस के अन्दर रिपोर्ट लाज करने की आप इजाजत देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

सवाल यह है कि सदन के अन्दर कोई चीज होती है तो दूसरी बात थी। लेकिन बाहर कुछ हो रहा है तो वह दूसरी बात है। इसमें थोड़ा सा फर्क पड़ता है। यहां पर बाहर वाले आकर परचे फेंकते हैं तो एक्शन हो जाता है लेकिन अगर बाहर वह पर्चा फेंकता है तो उस पर अन्य ढंग से विचार करने की बात हो जाती है।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, नरसिंह नरायण पांडेय के विषय में पर्चा यहां नहीं डाला गया था तब भी वह मामला प्रिविलेज कमेटी को भेजा गया था। तो इस पर आप ध्यान दें।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

इस मामले में जितनी अहमियत है इससे वह सारी अहमियत खतम हो जाती है। वह सारी परिधि ही इस बिल्डिंग की इस परिसर के अन्दर आती है। इसका उत्तर दिया जाय कि क्या आपकी परिधि केवल इस हाउस की दीवारों के अन्दर ही है। सरकार से सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति अगर आपके विभाग की किसी रूप में मदद करता है तो क्या आपके विभाग से उसका सम्बन्ध नहीं हो जाता है क्या उसको अपना विप्रलाप नहीं करना चाहिये। इसकी अहमियत इतनी थी कि आपके मार्शल यहां थे। सारे गार्ड जितने भी हैं वह सचिवालय के हों लेकिन समारे साथ इस किस्म की बेउनवानी करते हैं तो उनका काम हमारे कार्य संचालन में बाधा डालना होगा। अगर वह आप की परिधि में नहीं आता है तो क्या वह मुख्य मंत्री जी की परिधि में आता है ? तो आप यों कर दिया कि मुख्य मंत्री के पास उसको भेज दिया ठीक किया लेकिन वह घटना जो घटित हुई है कहीं शदीद किस्म की होती तो न मालूम उस वक्त क्या होता और कब तक इसकी जांच कराते। इसके महत्व को समझ कर ही मैंने इसको आपके समक्ष पेश किया था। इतनी देर मनन करने के बाद आपने यह बारीकी निकाली कि वह आपसे सम्बन्धित नहीं था। आखिरकार यहां जो गार्ड्स थे वे उससे सहानुभूति रखते हैं एकत्र होकर माननीय सदस्यों के सामने उन्होंने अपनी करुणाजनक स्थिति बयान की। तो इसमें कितना वक्त लग जायगा माननीय मुख्य मंत्री को जांच कराने में ?

(व्यवधान)

श्री अनन्त राम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

श्रीमन्, यह प्रश्न अभी आपके सामने है, इस पर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

उस पर मैंने फैसला दे दिया है।

श्री अनन्तराम जय्यसवाल—

श्रीमन, मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाने का अधिकार है।

श्री आशाराम इन्दु (जिला मेरठ)—

मान्यवर, मैं नियम ३१४ की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आपका विनिश्चय हो चुका, उसके बाद भी माननीय सदस्य उस पर बहस कर रहे, विवाद कर रहे हैं।

श्री राम कुमार शास्त्री—

इसका मुझे अधिकार है।

श्री अध्यक्ष—

मैं उस पर फैसला दे चुका हूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, विधान भवन परिसर की जो परिभाषा दी गई है उसमें दिया गया है कि जो रास्ता विधान भवन में आता है, वह भी विधान भवन के परिसर में है। थोड़ी देर के लिये मान लें कि आपने किसी माननीय सदस्य को यहां से निकाल दिया या निलम्बित कर दिया तो इसका माने यह होता है कि वह विधान सभा के परिसर से निकल गया, और उसमें वह रास्ता भी आता है।

श्री आशाराम इन्दु—

श्रीमन्, आपने मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर कोई व्यवस्था नहीं दी।

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्य को सुनना चाहता हूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन् के नोटिस में यह बात लायी गयी कि परिसर में आते हुए कोई घटना घटी तो उस पर आप काग्निजेंस लेंगे या उसे मुख्य मंत्री जी के पास भेज देंगे तो वे उसका काग्निजेंस लेंगे। इसपर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैंने यह व्यवस्था दी उसके लिये कि आपने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, वह व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता है। इसके ऊपर कार्यवाही होगी और अगर श्री हरनरायन जी की ज्यादती होगी तो मुख्य मंत्री जी जो अपने कार्यकर्त्ता हैं, अपने कर्मचारी हैं उनकी रक्षा के लिये कार्यवाही करेंगे। आप यह न समझें कि वे कार्यवाही नहीं करेंगे। वे ही कार्यवाही कर सकते हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, आपने इस मामले को माननीय मुख्य मंत्री के सुपुर्द कर दिया है इसलिये मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं.... (व्यवधान)

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)—

आखिर माननीय सदस्य कितनी मर्तबा बोलेंगे ? (व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, आपके माध्यम से मैं मुख्य मंत्री जी को यह बतलाना चाहता हूं कि इस प्रदेश में ऐसी परिस्थिति बदल गई है जैसी पहले कभी नहीं थी। यहां के चपरासी हों, चाहे किसी सरकारी दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारी हों, आज सब की जबान पर एक ही शिकायत है कि मुख्य मंत्री के दल के जो सदस्य हैं वे अपने को असाधारण मानने लगे हैं, जैसे मालूम होता है कि वे आसमान से टपक पड़े हों, और वे लोग उनको बहुत तंग करते हैं। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या कारण है कि श्री रामकुमार शास्त्री जी इधर बैठ रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं । (व्यवधान)

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

श्रीमन्, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या श्री रामकुमार शास्त्री अब कांग्रेस (आर०) में आ गये हैं जो पहले उधर बैठते थे और अब इधर बठने लगे हैं ? (व्यवधान)

श्री जगननाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

आपने कहा कि यह चीज हाउस के बाहर हुई थी लेकिन अगर किसी माननीय सदस्य के साथ बाहर कोई ऐसी घटना हो जाय तो क्या आप हाउस में उस पर चर्चा की स्वीकृति देंगे या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

आप उस पर मुझसे यहां बहस नहीं कर सकते, अगर बहस करना है तो मेरे कमरे में आकर अपनी बात कहें । (व्यवधान)

लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कालेज, मेरठ के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल तथा अनशन के संबंध में वक्तव्य

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री धर्म दत्त)—

लाला लाजपतराय मेमोरियल मेडिकल कालेज, मेरठ के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने के संबंध में जो ब्योरा प्राप्त हुआ है उससे यह पता चलता है कि वहां के कुछ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एक यूनियन बनाने की मांग कर रहे थे । पांच अस्थायी कर्मचारियों को प्रिंसिपल ने २ मई, १९७० को नौकरी से हटाये जाने की एक माह की नोटिस दी । कुछ कर्मचारी अपना कार्य पूरा किये बिना दिनांक ८ मई, १९७० को हड़ताल पर चले गये । उनकी ये मांगे थीं कि नौकरी से हटाये जाने की नोटिसें वापस ली जाएं तथा कर्मचारियों को यूनियन बनाने की अनुमति दी जाय । इसमें श्री गंगा प्रसाद बहुत सक्रिय थे और दूसरे कर्मचारियों को कार्य करने से रोक रहे थे, अतः शान्ति भंग के भय से श्री गंगा प्रसाद के इस कार्य की पुलिस को सूचना दी गई । जिस पर पुलिसा ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया । ९ मई, १९७० को जब कुछ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी काम पर आना चाहते थे तो हड़तालियों ने उन्हें ऐसा करने से रोका । हड़तालो कर्मचारी जिला मैजिस्ट्रेट से उसी दिन मिले और जिला मैजिस्ट्रेट ने उन्हें सलाह दी कि वे अपनी मांगे शान्तिपूर्ण तरीके से प्रिंसिपल के सामने रक्खें । हड़तालो कर्मचारी प्रिंसपल से मिले और उन्होंने अपनी मांगों को दुहराया । प्रिंसिपल ने उन्हें सलाह दी कि वे लोग अपने काम पर वापस जाएं । हड़तालो कर्मचारियों ने प्रिंसपिल का सुझाव नहीं माना और काम से अनुपस्थित रहे । उक्त पांच कर्मचारियों में से एक कर्मचारी ९ मई, १९७० से काम पर आ गया और अपने को अन्य हड़तालो कर्मचारियों से अलग कर लिया । शेष कर्मचारियों की नौकरी, नोटिस की अवधि बीत जाने पर, समाप्त कर दी गई । बाद में पता चला कि दो चतर्थ श्रेणी कर्मचारी—एक मेहतर और एक मेहतरानी—अपना कार्य ठीक तरह से नहीं कर रहे थे उन दो कर्मचारियों की नौकरी एक महीन का वेतन देकर २२ मई, १९७० को समाप्त कर दी गई ।

[श्री धर्मदत्त]

१ जून, १९७० को हड़तालो कर्मचारियों ने कालेज के फाटक के सामने एक शामियाना खड़ा किया और भूख-हड़ताल की घोषणा की। लाउड स्पीकर पर भड़काने और उकसाने वाले भाषण दिये गये जिसके कारण अस्पताल में भर्ती मरीजों को बड़ी असुविधा हुई। इसी बीच यह पता चला कि श्रीमती विमला देवी नाम की आया १७ मई, १९७० से बिना अर्जी दिये अपने काम से अनुपस्थित थी। उस आया को नौकरी से हटाये जाने की एक माह की नोटिस ४ जून, १९७० को रजिस्ट्री डाक से भेजी गई थी जिसे स्वयं उस आया ने ११ जून, १९७० को प्राप्त किया।

कर्मचारियों को वेतन समय से न मिलने के संबंध में प्रिंसपिल से ज्ञात हुआ कि पिछले ३१ महीनों में से २४ महीनों में कर्मचारियों को वेतन का भुगतान महीने के प्रथम पांच दिनों में कर दिया गया था। शेष ७ महीनों में अधिक से अधिक ११ तारीख तक वेतन का भुगतान कर दिया गया। वेतन के भुगतान में विलम्ब कई कारणों से अलग-अलग महीनों में हुआ है। जैसे, उपस्थिति की रिपोर्ट न मिलने के कारण, बिल का देर से बनना या ट्रेजरी से बिल पास होने में देरी हो जाना।

९ जून, १९७० से अस्पताल के ३५ और कालेज के १४ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने अपना कार्य बन्द कर दिया था। इनमें से अस्पताल के ९ और कालेज के ६ कर्मचारियों को नौकरी से अलग करने की एक महीने की नोटिस दी गई है। ११ जून, १९७० को प्रिंसिपिल की अर्थी बनाकर जलाई गई लाउड स्पीकर पर भाषण और रिकार्डों का जोर जोर से बजाना जारी रखा गया। १६ जून, १९७० को वहां धारा १४४ लागू करके अस्पताल से ५०० गज की दूरी तक लाउडस्पीकरों के बजाने पर रोक लगा दी गई। पुलिस का समुचित प्रबन्ध कर दिया गया।

हड़ताल के कारण अस्पताल में भर्ती हुए १५० रोगियों पर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ने दिया गया। उनके उपचार तथा अन्य सुविधाओं के लिये प्रिंसिपल ने समुचित प्रबन्ध कर रखा था।

जिला मैजिस्ट्रेट से २५ जून, १९७० को टेलीफोन पर यह सूचना प्राप्त हुई थी कि उक्त कर्मचारियों की हड़ताल २४ जून, १९७० की शाम से समाप्त हो गई है।

(व्यवधान)

८ जून, १९७० के तारांकित प्रश्न संख्या ५ व ६ के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

श्रम राज्य मंत्री (श्री राज मंगल पांडेय)—

अध्यक्ष महोदय,

विनांक ८ जून, १९७० को श्री शंभू नाथ चौधरी द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५ व ६ के संबंध में जो कि लक्ष्मी रतन काटन मिल्स, कानपुर पर भविष्य निधि के बकाया के विषय में था, श्री हिम्मत सिंह ने अनुपूरक प्रश्न पूंछा था कि क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि २८ सितम्बर, १९६७ को जो आदेश दिये गये उनका अभी तक पालन नहीं हुआ, क्या इसकी जानकारी सरकार को है ?

उस समय सदन में यह उत्तर दिया गया था कि कुल बकाया करीब २४ लाख की थी जिसमें से २० लाख ८१ हजार की प्रतिष्ठान ने सिक्योरिटीज एन्डोर्स कर दी और बाकी ५ लाख के लिये भी बांड्स दे दिये, इसलिये आवश्यकता नहीं पड़ी।

उक्त उत्तर में जो आंकड़े दिये गये थे वे वस्तुतः ३१ दिसम्बर, १९६९ के थे। वास्तविक स्थिति यह थी कि ३० सितम्बर, १९६६ को ३१,५३,६५३.११ रुपये प्रतिष्ठान के विरुद्ध बकाया थे जिसमें से उसने २०,८१,८०० रु० की सिक्योरिटी एन्डोर्स कर दी थी।

मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४७९ पर)

उत्तर प्रदेश एन्टरटेनमेंट एण्ड बैटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९७०

गृह उप मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश एन्टरटेनमेंट एन्ट बैटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश एन्टरटेनमेंट एन्ड बैटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री ओम प्रकाश सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश एन्टरटेनमेंट्स एन्ड बैटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९७०, को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी "घ" आगे पृष्ठ ४८० पर)

इंडियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७०

बिक्री-कर मंत्री (श्री बलवीर सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं इंडियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापति करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि इंडियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बलवीर सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इंडियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ ४८१–४८२ पर)

कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७०

बिक्री-कर मंत्री (श्री बलवीर सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बलबीर सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिए नत्थी "च" आगे पृष्ठ ४८३--४८५ पर)

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, १९७०

विद्युत् उप मंत्री (श्री राम प्रसाद देशमुख)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (संशोधन) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (संशोधन) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री राम प्रसाद देशमुख—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिए नत्थी "छ" आगे पृष्ठ ४८६–४९६ पर)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९७० पर विचार

राजस्व मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय ।

श्रीमन्, यह विधेयक इस बात के लिये लाया गया है कि जो निर्णय इस सरकार ने लिये थे यह जो कि छोटे काश्तकार हैं जिनका रकबा साढ़े ३ एकड़ यानी ५ बीघा पक्का है, उनको मालगुजारी से मुक्त किया जाय, छूट दी जाय ।

श्रीमन्, इस प्रदेश में करीब १ करोड़ २२ लाख के खातेदार हैं । इस विधेयक से उनमें से ६८ फीसदी खातेदारों को फायदा पहुंचेगा । उनका लगान छुटेगा और इससे सरकार का ५ करोड़ २५ लाख रुपये की मालगुजारी की हानि होगी । इसके साथ साथ कुछ स्टाफ कम होगा जो मालगुजारी की वसूली में लगा था । इस तरह से साढ़े चार करोड़ रुपये की हानि सरकार को होगी । एक संशोधन उस विधेयक में है । इसके साथ-साथ और दो छोटे से संशोधन हैं । बुन्देलखंड के जो चारो जिले हैं और जमुना पार के इलाहाबाद, आगरा, मथुरा, इटावा आदि का जो इलाका है वह बुन्देलखंड से मिलता जुलता है और मिर्जापुर के जिले में भी जहां बुन्देलखंड एक्ट लागू था और जहां एक एकड़ दो एकड़ के बराबर मानी जाती थी उसमें परिवर्तन हो गया है । अब डेढ एकड़ के बराबर मानी जायेगी, वह संशोधन इसमें रक्खा जा रहा है । इसी तरह से काशीपुर नैनीताल जिले में . . . . .

श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा, फतेहाबाद)–

अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि जमुना पार के इलाके में जहां एक का दो एकड़ माना जाता था वहां पर क्या परिवर्तन हुआ, माननीय मंत्रीजी दोबारा बता दें।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

एक एकड़ का डेढ़ एकड़ वहां माना जाय।

श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि डेढ़ एकड़ करने का क्या आधार है। जब मिर्जापुर के दक्षिणांचल में एक इंच भी सिंचाई की व्यवस्था नहीं की गयी है। आप उत्तर देंगे कि सिंचाई की व्यवस्था बढ़ गई है। तो क्या आपने उन इलाकों की जांच कराई है? बुद्धी इलाके में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। मैं तो कहता हूं कि....

श्री चतुर्भुज शर्मा—

माननीय सदस्य जब विधेयक पर बोलेंगे तब मैं जवाब दूंगा।

श्रीमन्, मैं यह विधेयक सदन के सामने रखता हूं। इस पर विचार किया जाय।

(माननीय अध्यक्ष द्वारा श्री रियासत हुसैन को पुकारने पर)

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। वह प्रश्न जिस से सदस्य के अधिकार का अपहरण हो आपके सामने पेश किया जा सकता है और उसके बारे में कहा जा सकता है। माननीय मुख्य मंत्री को एक पत्र मैंने २५ तारीख को ....

श्री अध्यक्ष—

आपने विशेषाधि कार का प्रश्न उठाया था। मैंने उसको नामंजूर कर दिया है। आपसे प्रत्यक्ष बातचीत का सवाल नहीं है। आप रजिस्टर्ड पत्र भेज सकते हैं। मैंने उसे नामंजूर कर दिया है।

श्री सुखपाल पांडेय—

उन्होंने पत्र नहीं लिये। उनसे सम्बन्धित है। यह तो किसी सदस्य के अधिकार का अपहरण है। उसको रक्षा आप ही कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप माननीय मुख्य मंत्री को निर्देश दें कि वह भविष्य में किसी भी विधायक के पत्र को ले लें और इन्कार न किया करें। उन्होंने कहा कि गोंडा के चार विधायकों का पत्र वापस कर दिया है। मैं चाहता हूं कि आप सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करने के लिये उसे स्वीकार करके भिजवा दें।

श्री अध्यक्ष—

आपने जो विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है वह नहीं उठता। मैंने सेक्रेटरी से कह दिया है कि आपको उत्तर दें कि रजिस्ट्री से भिजवा दें। उसमें कोई विशेषाधिकार का सवाल नहीं उठता।

(व्यवधान)

श्री सुखपाल पांडेय—

स्वस्थ प्रशासन के माननीय मंत्री जी को इस पर ध्यान.....

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें, आप जबरदस्ती बोल रहे हैं, यह गलत है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९७० को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपनी रिपोर्ट एक माह के अन्दर प्रस्तुत करे तथा विधेयक की परिधि बढ़ाने के अधिकार प्राप्त हो। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।)

अध्यक्ष महोदय, हम सब लोग पूरे उत्तर प्रदेश के भिन्न-भिन्न इलाकों से चुन कर यहां पर और जनता की हर बात को, उसके हर दुख दर्द को यहां सदन के सामने रखते हैं। हमारा कर्त्तव्य है कि जनता की हर तकलीफ को हम सरकार तक पहुंचायें। जनता के हित में कानून बनवायें तथा उसमें आवश्यक संशोधन करायें। मान्यवर, पिछले दिनों में जो भी कानून यहां पर बनाये गये हैं तथा भिन्न-भिन्न मंत्रियों द्वारा जो जो आश्वासन दिये गये हैं तथा जिस प्रकार से उन आश्वासनों को भंग किया गया है उसको देख कर ऐसा लगता है कि यह सदन आश्वासनों की मर्डर प्लेस बन गया है। इसी सदन में माननीय गेंदासिंह जी की कही गयी बातों को पहले रौंदा गया, उसके बाद माननीय अनवार अहमद के आश्वासनों को रौंदा गया अब माननीय राजस्व मंत्री जी का नम्बर है। जब माननीय वित्त मंत्री ने यहां बजट भाषण प्रस्तुत किया था, उस बजट भाषण में यह आश्वासन दिया था कि ३-१/३ तक की जोतों का लगान माफ होगा। क्या उनका आश्वासन था और आज क्या प्रदेश की जनता को मिल रहा है। किस तरह से इस लगान को छोड़ा जायेगा। मान्यवर, बजट भाषण के सफा २५ पर, डेफिसिट बजट बताते हुये कहा है कि"...यह ९५ करोड़ रुपये की अपेक्षित धनराशि राजस्व की उस हानि को दृष्टिगत रखते हुये बढ़कर अब १३५ करोड़ रुपये हो गयी है जो अलाभकर जोतों को भू-राजस्व के भुगतान से मुक्त करने और उर्वरकों पर से बिक्री कर हटा लेने से होगी..." उन्होंने इसमें प्रिन्सिपिल में यह माना है कि अलाभकर जोतों से लगान माफ किया जायेगा। लेकिन आज उसी आश्वासन को जब कि यह अधिनियम बनाया जा रहा है, पूरा नहीं किया जा रहा है। उसका कहीं जिक्र नहीं है। जो आश्वासन था उस को रौंदा जा रहा है। यह छूट इस तरह से मिल रही है जैसे कि कोई जब पलड बगैरह आता है तो तब मिलती है।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

एक विधान सभा यहां चल रही है दूसरी सेठ पृथ्वीनाथ चला रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य वहां खड़े होकर बात न करें।

श्री रियासत हुसैन—

आज जो माननीय राजस्व मंत्री ने ऐलान किया कि ५ करोड़ २५ लाख रुपये की छूट मिलेगी और.....

श्री लक्ष्मण स्वरूप (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, क्या यहां खड़े होना भी गुनाह है?

श्री अध्यक्ष—

खड़े होना नहीं, किन्तु बात करना अवश्य मना है,। आप लोग उनसे बात कर रहे थे।

श्री लक्ष्मण स्वरूप—

मैं बात नहीं कर रहा था।

श्री अध्यक्ष—

आप नहीं तो दूसरे लोग तो कर रहे थे।

श्री रियासत हुसैन—

१ करोड़ २२ लाख खातेदारों को, ६८ फीसदी खातेदारों को उससे मुक्ति हासिल हो जाने की बात थी। और ५ करोड़ २५ लाख रुपये की रिलीफ प्रदेश के किसानों को मिल जाएगी। लेकिन आप को याद दिलाना चाहता हूं, जिस वक्त वोट आन एकाउन्ट की बात थी, वह रकम ५ करोड़ २५ लाख नहीं थी, बल्कि ९ करोड़ थी, बल्कि आश्वासन इस तरह का था कि समस्त प्रदेश के अन्दर साढ़े बारह तक के काश्तकारों को, सभी को २० बीघे लगान की छूट दी जाएगी। श्रीमन्, आपको भी याद होगा कि समस्त प्रदेश के अखबारों में यह निकाला गया था, उस वक्त की प्रोसीडिंग्स में भी यह चीज देखने को मिलेगी कि साढ़े बारह तक की काश्त को वह माफ करने के पक्ष में नहीं हैं, बल्कि वह चाहते हैं कि यह रकम पूरे प्रदेश के उन किसानों को भी मिल जाए, जिनका रकवा साढ़े बारह एकड़ से कम हो। उस शक्ल में जब वह साढ़े बारह तक की चाहते थे, उसकी उम्मीद थी कि ३ १/८ तक की बिलकुल छूट मिल जाएगी और उतना ही नहीं चाहे चालीस बीघे का काश्तकार हो या चाहे ६० बीघे का काश्तकार हो, उस को भी २० बीघे की छूट मिलेगी। उस समय यह रकम ९ करोड़ के करीब होती थी। लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि यह ९ करोड़ की रकम घटकर अब ५ करोड़ २५ लाख रह गई है। इससे ज्यादा लज्जाजनक बात कोई नहीं हो सकती है।

श्रीमन्, एक बड़ा प्रश्न बहुत दिनों से चल रहा था, यह अनएकोनामिक होल्डिंग का है। जैसा कि सारे प्रदेश की मांग है, उस पर से लगान माफ हो, जिसका भूतपूर्व मंत्रिमंडल ने ऐलान भी किया कि सवा छः एकड़ की जमीन को वह अनएकोनामिक होल्डिंग मानते हैं, उस पर से लैण्ड रेवेन्यू विदड्रा कर लिया जाएगा। श्रीमन्, मैं आपके दिया बतलाना चाहता हूं सवा छः एकड़ कहां से आया। यह जमींदारी एबालीशन कमेटी की रिपोर्ट में दिया हुआ है। इसमें साफ तौर पर यह लिखा हुआ है। जब यह प्रश्न आया था कि एक अनएकोनामिक होल्डिंग क्या हो? तो बड़े बहस मुबाहसे के बाद अनएकोनामिक होल्डिंग १० एकड़ का माना गया था। लेकिन उस कमेटी के एक मेम्बरान ने उसको अस्वीकार करते हुए अपनी राय जाहिर की कि १० एकड़ नहीं बल्कि सवा छः एकड़ अनएकोनामिक होल्डिंग है। वह मैं आप को पढ़कर सुनाये देता हूं:—

"Sri Charan Singh regards an area of 6-1/4 acres as roughly an average economic holding."

वही मेम्बर आज इस प्रदेश का मुख्य मन्त्री बना हुआ है। किन्तु आज उन्हीं के इशारे पर या उन्हीं की इच्छाओं की पूर्ति के लिए माननीय वित्त मंत्री ने जो आश्वासन दिया था, जो उन्होंने बजट भाषण में दिया था और वोट आन एकाउन्ट के वक्त के ऊपर साढ़े बारह तक के काश्तकारों को २० बीघे की छूट की आशाएं और आश्वासन दिलाई थीं, उन सब को अब रौंद डाला गया है। तो मैं आप के द्वारा बतलाना चाहता हूं यह मसला उत्तर प्रदेश का आज का नहीं है। अनएकोनामिक होल्डिंग क्या है, लगान उस पर क्या होना चाहिए आदि विषयों पर मैं एक-एक कर के मुख्य-मुख्य लोगों की रायों का हवाला देना चाहता हूं। यह किसी मामूली आदमी ने नहीं कहा है, किसी सड़क पर चलने वाले ने नहीं कह दिया है। १९३६ में जब कि प्रदेश में अंग्रेजी राज्य था, और समस्त प्रदेश की जनता अंग्रेजों को निकालने के लिए लड़ रही थी उस समय कांग्रेस ऐग्रेरियन रिफार्म्स कमेटी बनी। उसने एक रिपोर्ट किया। वह पढ़ कर मैं सुना देना चाहता हूं। माननीय राजस्व मंत्री और मंत्रिमण्डल के वरिष्ठ सदस्य इस बात को जानते हैं।

To distribute more equitably the burden of taxation we recommend at agricultural incomes, which are free from income-tax at present be assessed to that tax like other incomes on a progressive scale.

[श्री रियासत हुसैन]

मतलब यह था कि एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स लगे जो कि लैंड रेवेन्यू की शक्ल में हो या किसी शक्ल में हो, जैसे और आदमियों पर टैक्स लगता है। इसी सिलसिले में मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि इसी अबालिशन कमेटी रिपोर्ट के सफा ५६२ पर लिखा हुआ है—जैसा कि पिछले दिनों अखबारों के द्वारा जब यह मांग पेश हुई कि सवा छः एकड़ तक लगान अनइकानमिक होल्डिंग मान कर अबालिश किया जाय तब यह दलील दी गयी कि सवा छः एकड़ तक अगर लगान कर माफ कर दिया तो सब डिवीजन हो जायगा। लोग अपने अपने खातों को बांट देंगे। नतीजा यह होगा कि सवा छः एकड़ से होल्डिंग्ज कम हो जायेगी।

Not a very forceful objection against the exemption of un-economic holdings is that it would encourage subdivision. The proper remedy for leading with the evil of subdivision is to do so directly by suitable legislation and not indirectly by a manipulation of land revenue system.

आज चकबन्दी के कानून के आधार पर जब आप ने यह कर दिया है कि कोई अपने चक का एक पार्ट नहीं बेचेगा, पूरा चक बेचेगा, इसका यही मतलब है कि अगर इस किस्म का कोई लेजिस्लेशन बने तो इससे नीचे के पूरे खाते के पार्ट को कोई शख्स नहीं बेच पायेगा। तो सब डिवीजन वाला खसरा बिलकुल खत्म हो जाता। जिस समय पिछले दिनों बहस हुई उनमें कहा गया कि जिस समय कमेटी की रिपोर्ट हुई थी और उस वक्त सवा छः एकड़ जो अनइकानामिक होल्डिंग थी अब वह अनइकोनामिक नहीं रही। तब से फूड की प्राइसेज बढ़ गई हैं। इस सिलसिले में उस कमेटी की एक फाइंडिंग सुना देना चाहता हूं....

The high prices of foodgrains and commercial crops really benefited only the substantial landlords and the small section of the peasantry which held economic holdings.....for the poor peasants, and agricultural labourers, the war really meant further pauperisation..... It may therefore, be safely said that they did not get any advantage as a result of the rise of the price. The United Provinces Government Report on marketing of Wheat revealed that about 40 per cent of cultivating population have no surplus to sell at all.

आज माननीय मुख्य मन्त्री ने रेफर किया है कि ६८ परसेंट को ३.१८ एकड़ तक लगान माफ करने स रिलीफ मिलेगा। यह जो मैंने आप को पढ़कर सुनाया उससे साफ जाहिर होता है कि वह कमेटी इस नतीजे पर पहुंची है कि प्राइसेज बढ़ती है तो उसका फायदा बड़े लैंडलार्ड को पहुंचता है। जो गरीब है, जो छोटी जोत को जोतने वाला काश्तकार है उसको कीमतें बढ़ने से ज्यादा फायदा नहीं पहुंचता क्योंकि उसकी १० एकड़ से नीचे की जोत अनइकोनामिक है। वह दूसरी परेशानियों में मुबतिला रहता है और उसके पास सरप्लस गल्ला बेचने के लिये पैदा हो नहीं पाता। उस कमेटी की यह सिफारिश थी जिसके आधार पर मैं यह कहता हूं कि सवा ६ एकड़ की जोत जिसके पास मौजूद है, मौजूदा सेटअप में राईजिंग प्राइसेज के कारण वह अनइकानामिक नहीं रहती है, गलत है। मैं उस कमेटी से यह भी कोट करना चाहता हूं जे० बी० जेथर तथा जी० एस० बेरी ने अपने किताब इंडियन इकोनामिक्स में लिखा है।

"If private ownership on land is granted, it seems to follow logically that the land revenue is a tax and not a rent."

यह बुनियादी मसला है। अगर हम यह मानते हैं जैसा कि स्लोगन है जिसके अनुसार कहा जाता है कि जो भूमिधर है वह जमीन का मालिक हो गया और जो सीरदार है वह लगान का अगर २० गुना जमा कर दे तो वह भी जमीन का स्वामी हो गया उसके आधार पर हम इस चीज को देखें तो आप पायेंगे कि जब वह मालिक हो गया तो फिर वह लैंड रेवेन्यू बदल जायगा टैक्स की शक्ल में और लैंड रेवेन्यू की शक्ल में नहीं रहेगा जिस शक्ल में आप आज उससे लेते हैं। जो भूमिधर है वह जमीन का जब मालिक है, उसको ट्रांसफर करने के राइट्स हैं लिहाजा यह मान लिया कि वह भूमि का स्वामी होगा और कल

को जब हम को जरूरत पड़ी तो हम उसका मुआवजा ५,७ साल में दें या उसे बढ़ा दें। वह भूखों मर जाय, उसके बच्चे भूखों मर जायं। भूमि का स्वामी भी वह नहीं था, स्टेट थी और लैन्ड रेवेन्यू का इतना गुना उसे अदा कर दो तो वह भूमि से वंचित हो जायगा और कह दिया कि अब यह हमारी मिल्कियत है। इसलिये आज सारी पोलिटिकल पार्टीज की मांग यह है कि आप इस लैन्ड रेवेन्यू की जगह ग्रेडेड लैंड टैक्सेशन पालिसी को अख्तियार कीजिए। जब आपने कृषि को प्रोफेशन माना है और उस पेशे पर आपके देश व प्रदेश के ८५ फीसदी लोग निर्भर करते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि एक तरफ तो आप एग्रीकल्चर को प्रोफेशन की लिस्ट में रखते हैं और दूसरी तरफ आप उस प्रोफेशन पर टैक्स की बात न करके लैंड रेवेन्यू लेने की बात करते हैं। इसलिये यह बुनियादी चीज है कि कृषि ग्रेडेड लैंड टैक्स होना चाहिये। जैसे भिन्न-भिन्न पेशे हैं और उन पेशों पर ५ हजार रुपये तक कोई इनकम टैक्स नहीं लिया जाता चाहे वह दूकानदार हो अथवा कोई भी दूसरा पेशा करने वाला हो, उन सब को आप बरी करते हैं ५ हजार रुपये के नीचे टैक्स लेने से तो फिर एग्रीकल्चर को अपने ऐसा पेशा क्यों मान लिया कि एक बीघे जमीन भी हो तो उससे आप लैंड रेवेन्यू वसूल कर लेते हैं। दोतरफा पालिसी इस तरह से नहीं चलेगी। माननीय मुख्य मंत्री ने कई दफा इस बात का ऐलान किया कि छोटे किसानों को रिलीफ मिले और हम भी यही चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ३.१/८ एकड़ जमीन पर से वह लैंड रेवेन्यू हटा लेंगे। मैंने यह समझा चलिये ठीक है कम से कम एक सिद्धांत तो माना। उस सिद्धांत को मानने के बाद यह लड़ाई कंट्रोवर्शियल हो सकती है कि वाई अनइकोनामिक होल्डिंग इस वक्त क्या है २० साल पहले कमेटी की रिपोर्ट में १० एकड़ को इकोनामिक होल्डिंग बतलाया गया तो उसके बाद तीन प्लानों में जो रुपया आपने खर्च किया जो इर्रीगेशन के मीन्स बढ़े जो काश्तकारों की प्रतिशत आय बढ़ी किन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जो पिछड़े हुए इलाके थे जो कि बैकवर्ड एरियाज थे जिसमें एक या दो एकड़ बढ़ाये जाने की बात थी उसमें आपने घटाकर डेढ़ एकड़ कर दिया। यह विकास का कार्य आपने उनके लिये किया है। जिसे आपने दफा २३७ के अन्तर्गत क्लासीफायी किया है। सवा छः एकड़ के बजाय आपने ३,१/८ एकड़ कर दिया। इस विषय में मेरे अन्य साथी जो मेरा समर्थन करेंगे डिटेल में बोलेंगे और उससे पता चल जायगा। अगर ये बैक्वर्ड हिल एरिया, बुन्देलखन्ड तथा पूर्वी जिले पिछड़े हुये न होते तो यहां पर दो दिन तक इसी सदन में इनके सम्बन्ध में बहस हो गई थी और क्यों नहीं प्लान के अन्तर्गत अलग से प्राविधान किया गया, जो कि अभी विचाराधीन है। श्रीमन् माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में यह बात स्पष्ट की थी कि हम अनइकनामिक होल्डिंग से लैंड रेवेन्यू को इक्जेप्ट करने जा रहे हैं। तमाम अखबारों ने इस चीज को छापा है और अपने-अपने एडिटोरियल में छापा है। पाइनियर के दिनांक १०-५-७० के एडिटोरियल में यही छपा था उसकी कुछ लाइनें मैं आपके सामने पढ़ देना चाहता हूं :—

"The remaining amount of Rs.95 crores will swell to Rs.135 crores as a result of loss of revenue from exemption on uneconomic holdings from land revenue and withdrawal of sales tax on fertiliser".

मेरे कहने का मतलब यह है कि अनइकानोमिक होल्डिंग पर से लैंड रेवेन्यू को हटाने का आपका प्रिंसिपल क्या था यह बिल जो प्रस्तुत किया गया है उससे तो कोई रोशनी नहीं पड़ती है। कहीं भी आपने यह नहीं लिखा है कि किसको आधार मानकर आप ३,१/८ लैन्ड रेवेन्यू हटाना चाहते हैं। मान्यवर, मैं आपके द्वारा उन ६८ फीसदी जिनको आज यह मालूम होगा कि इस बिल के द्वारा उनको सरकार ५ करोड़ २५ लाख रुपये दे रही है यह नहीं भूलना चाहिये कि किस आधार पर उन्होंने ऐसा किया है। यह विड्रा भी इसी प्रकार हो सकता है। इसको रिमिशन करके विदड्रा किया जा सकता है। जैसा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि अलाभ-कर जोतों पर से लैंड रिवेन्यू नहीं होना चाहिये और जिसको उन्होंने अपने बजट भाषण में भी कहा है लिहाजा यह बात हो सकती है कि जमीदारी एबोलिशन कमेटी ने १० एकड़ कहा, इस वक्त की सरकार ३,१/८ एकड़ कहती है और सारा विरोध सवा छः एकड़ कहता है कि यह होना चाहिये....

श्री बसंत लाल शर्मा (जिला बहराइच)—

कोरम नहीं है ।

कृषि मंत्री (श्री शिव राज सिंह)—

१ और २ के बीच कोरम की आवश्यकता नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

कोरम हैं ।

श्री रियासत हुसैन—

इसलिये मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि जो प्रिंसिपल क्लीअर नहीं है, कन्टोंबर्शियल है, यानी जमीदारी अबोलीशन कमेटी ने १० एकड़, और हम लोग साढ़े छः एकड़ और सरकार ३,१/८ एकड़ कहती है, इसको तय करने के लिये इसको प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय । वह कमेटी इस बात पर विचार करके कि अनएकोनोमिक होल्डिंग क्या है । ताकि उसका बेस एक प्रिंसिपल हो जाय कि कितनी जमीन तक से लगान को हटाया जाय । इन बातों को कह कर मैं प्रवर समिति के अपने संशोधन को सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं ।

श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से, माननीय रियासत हुसन जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, मुझे आज बड़ा दुख है कि माननीय राजस्व मंत्री, जो ऐसे इलाके से आते हैं जिसको बुन्देलखंड कहा जाता है, उनके रहते हुए आज इस बिल में ऐसा प्राविधान किया गया है कि वर्षों पहले वहां के लोगों को छूट दी जा रही थी, उसको भी समाप्त कर दिया गया है । प्रदेश के कुछ ऐसे इलाके हैं जो भौगोलिक तथा अन्य दृष्टियों से पिछड़े हुए हैं, जहां आवागमन के साधन भी नहीं हैं, वहां की उपज भी औसत से बहुत कम है । जहां पानी बरस जाता है या सिंचाई की कुछ सुविधा हो जाती है, तो कुछ हो भी जाता है । वहां के २ एकड़ मैदानी क्षेत्र के १ एकड़ के बराबर पहले से चले आते थे । क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी भी इस बात को जानते होंगे कि मैदानी क्षेत्रों खास कर मेरठ वगैरह में जहां एक बीघा में ४० मन पैदा होता है वहां बुन्देलखंड मिर्जापुर आदि क्षेत्रों में मुश्किल से १० मन पैदा होता है और वह भी तब जब कि कुछ सिंचाई और बरसात का पानी मिल जाय । इसलिये जो पुरानी व्यवस्था थी, उसको कायम रखना चाहिये ।

श्रीमन,, मिर्जापुर ही नहीं, हिन्दुस्तान के ५८ जिले बैकवर्ड माने गये थे, जिनमें से २२ जिले उत्तर प्रदेश में हैं जिनमें मिर्जापुर, बुन्देलखंड और पहाड़ी इलाकों के जिले हैं । इन १५—२० सालों में वहां की प्रतिव्यक्ति आय बढ़ी नहीं है, घटी है । नयी-नयी आपदायें इस क्षेत्र के लोगों को आये दिन परेशान करती हैं । आप स्वयं जानते हैं कि दुद्धी, मिर्जापुर, इलाहाबाद और बनारस में किस तरह से लाखों आदमियों की जान बचाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ा था, भारत सेवक समाज की तरफ से उन लोगों के भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी, उनको जाड़े से बचाने के लिए कम्बल बांटे थे । इस प्रकार वहां की आमदनी बढ़ी नहीं घटी है । अगर आप १९६७ और १९६८ की पर कैपिटा इन्कम पर तो जहां वह उत्तर प्रदेश की २४४ रुपये थी वहां बुन्देलखंड, मिर्जापुर और जहां की जमीन का डयोढ़ा करने का इरादा किया है वहां की पर कैपिटा इन्कम केवल १२७ रुपये थी । इन क्षेत्रों में आपने कौन सी शिक्षा सुविधा बढ़ाई, कौन सी रोड्स बना दीं ? जब पी० डब्लू० डी० का बजट पेश किया था तो मैंने कहा था कि पूरे प्रदेश में ६८. कुछ था जिसे बाद में प्लान के अनुरूप सड़कें बनायी गयीं, लेकिन बुन्देलखंड मिर्जापुर और इन इलाकों में ५९. कुछ था और हमारे यहां जो ज्यादा दिखाया गया है वह भी इसलिये कि उसमें जिला परिषदों की और कच्ची सड़कें भी जोड़ ली थीं । जहां तक जमीन की प्रति एकड़ उपज का सवाल है, अगर माननीय मंत्री जी एक आयोग बिठा दें तो यह स्पष्ट हो

जायगा कि मैदानी इलाके के मुकाबले वहां की पैदावार कितनी कम है। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी का हृदय गरीबों के प्रति बहुत अच्छा है और उस हालत में वह स्वयं इसमें सुधार करने की आवश्यकता को महसूस करेंगे। दुद्धी इलाके के लिये उन्होंने कारण दिये हैं कि पिछले २०–२५ साल में वहां सिंचाई की सुविधाओं के बढ़ जाने की वजह से वहां की उपज बढ़ी है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कैमोर के दक्षिण में कितने एकड़ भूमि की सिंचाई की व्यवस्था की गयी है? वहां दो, तीन बांध बनाये गये हैं ९–९ लाख रुपये की लागत से लेकिन एक इंच भी भूमि की सिंचाई नहीं होती है। मुश्किल से एक-दो बार पानी आता है। अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाय तो कोई भी सिंचाई की सुविधा नहीं बढ़ाई, कोई ऐसा कार्य नहीं किया कि उपज बढ़े। हमारे यहां मेड़बन्दी और चकबन्दी भी नहीं हो सकी। तो जब आपने उन इलाकों में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे उनके जीवन का रहन-सहन उठे, उनकी पर कैपिटा इन्कम बढ़े तो इस सरकार को क्या अधिकार है कि उनके साथ ज्यादती करे। आज सदन में जो बार-बार प्रश्न उठता है कि सरकार सर्वदा इम्बेलैन्सेज क्रियेट करती है उसका यह एक नमूना है। प्रदेश में सूखे से पीड़ित जिलों की लिस्ट में बुन्देलखंड के चार जिले, मिर्जापुर, इलाहाबाद और बनारस का चकिया क्षेत्र निश्चित रूप से आते हैं। प्रदेशीय सरकार ने इनकी सहायता के लिये विशेष रूप से सहायता मांगी मुझे ऐसा पता चला है। तो सरकार जब यह महसूस करती है कि यह इलाके पिछड़े हैं, यहां की जमीन की प्रति एकड़ उपज मैदानी इलाके से कई गुना कम है तो क्या कारण है कि वह ड्योढ़ा करने जा रहे हैं। अगर मंत्री जी कारण बता देंगे तो मैं इसका स्वागत करूंगा। लेकिन मुझे विश्वास है और मंत्री जी जानते हैं कि ऐसी बात नहीं है।

मान्यवर, वहां की जमीन ऐसी है कि ट्रेक्टर चल नहीं सकते, न बंधी बनाई जा सकती हैं और न मेड़बन्दी की जा सकती है। वहां मोटा गल्ला जैसे सांवा, कोदों, मंड़ आ मक्का वगैरह होता है। तो मान्यवर, क्या ऐसी जमीनों का लगान बढ़ाना चाहेंगे? मिर्जापुर और बुन्देलखण्ड भोगोलिक दृष्टि से समान हैं। वहां जो सुविधायें अंग्रेजों ने दी थी, जब से जन प्रिय सरकार आई है, हम कह सकते हैं कि वह सुविधाएं, चाहे जंगल की सुविधाएं रही हों या जमीन की सुविधायें रहीं हों, छिनती जा रही हैं। मैं आपका ध्यान आर्कषित करना चाहता हूं कि वहां के किसानों को कोई सुविधा नहीं दी गई है। इसके अलावा मान्यवर, आपको याद होगा कि सवा छः एकड़ वाला मसला राजनीतिक प्रश्न हो गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी की जो सरकार बनी तो इसी मसले को लेकर बनी थी कि जिनके पास सवा छः एकड़ भूमि होगी उनका लगान माफ कर दिया जायगा। लेकिन उन्होंने किया क्या? इसको लेकर उन्होंने अपना उल्लू सीधा किया है। राजस्व मंत्री जी १९६७ में विरोधी दल में बैठे थे तो उन्होंने स्वीकार किया था कि सवा छः एकड़ जमीन अलाभकर है, लेकिन आज मंत्री जी उधर बैठे हैं तो वह भूल गये। आप कार्यवाही निकलवा कर देख सकते हैं कि मंत्री जी ने जो मैं कह रहा हूं, कहा था। अगर मैं गलत कहूंगा तो अपने को ठीक कर लूंगा। मान्यवर, राजस्व मंत्री जी का सेनानियों में नाम है जो देश की स्वतंत्रता के लिए लड़े हैं। मैं अपील करना चाहता हूं कि जो सरकार वचनभंगी है, जिसकी कोई योजना नहीं है उनके साथ गठबंधन करके जनता के साथ खेलवाड़ न करें। माननीय शर्मा जी ने कहा है कि गुप्ता जी की सरकार बनाई होती तो उनसे आशा थी, लेकिन वह न बन पाई.....

(व्यवधान)

श्री मही लाल (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, इनको रोकिये।

श्री राम प्यारे—

आज बुन्देलखंड की स्थिति और मिर्जापुर की स्थिति बहुत खराब है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह जल्दबाजी न करें। आप तो वहां के रहने वाले हैं। आपने सूची दी है, मान्यवर, आपको वहां के लोग उलाहना देंगे जिन्होंने देश की

[श्री रामप्यारे]

स्वतंत्रता के लिए जो कुछ कर पाये हैं किया है। आज ऐसा बिल लाये हैं जो हमें कुचलने वाला है। इमबैलेन्सेज की जो बात है हम महसूस करते हैं कि जो क्षेत्र पिछड़े हैं आज उनके साथ न्याय नहीं करते हैं। केन्द्रीय सहायता आई थी पिछड़े जिलों के लिए लेकिन फतेहपुर, रायबरेली और पता नहीं किन-किन को दे दिया। मान्यवर, मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि चौथी योजना में हमारे यहां खाद की फैक्टरी लगने वाली थी लेकिन नहीं लगी। यह सरकार केन्द्र से क्यों नहीं मांग करती। पच्छिम जिलों को और हरियाना को कल कारखाने चले जा रहे हैं। तो इन चन्द शब्दों के साथ मैं सरकार से मांग करता हूं कि आप इन पिछड़े क्षेत्रों के साथ अन्याय न करें। क्षेत्रीय इम्बलैन्सेज की वजह से प्रदेश में असन्तोष बढ़ रहा है और उसके कारण जो राष्ट्रीय एकता है उस पर भी असर आ सकता है। इन चन्द शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि मिर्जापुर, इलाहाबाद और बुन्देलखंड में जो डेढ़ एकड़ का प्रस्ताव है तुरन्तु वापस लेवें और दो एकड़ ही रहने दें या फिर यहां के किसानों की भी हालत वैसी ही करदें जैसी कि इधर के किसानों की है। मैं नहीं चाहता कि प्रदेश में किसानों के साथ भिन्न-भिन्न प्रकार के मापदंड हों लेकिन स्थिति ऐसी है कि यह करना आवश्यक है। बुन्देलखंड में बक्साइट मिलने वाला है क्यों नहीं वहां अल्मोनियम फैक्ट्री लगातें जिससे वहां के जो निवासी हैं हरिजन, गरीब जनता है, सभी वर्ग की हालत खराब है उसको सहूलियत मिल सके। इन शब्दों के साथ मैं मांग करता हूं मुख्य मंत्री जी से कि इस बिल को वापस लेवें।

श्री हंसा (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं जो मुझे पहला मौका बोलने के लिए मिला। मैं साधारण रूप से सरकार के सम्मुख अपने विचार रखना चाहता हूं। सन् १९४२ में मैं सैनिक था। अगर सुभाष चन्द्र जी का नाम लेना कोई आरोप लगाना है तो मैं इस बात को नहीं बढ़ाना चाहता।

(व्यवधान)

सरकार के समक्ष मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि गोरखपुर में तहसील, महराजगंज में २५, ३० बड़े-बड़े फार्म हैं जो तीन-तीन और चार-चार मील के हैं जिसमें करीब-करीब २५, २५ और ३०,३० हजार एकड़ जमीन है। इन पर जो वहां के बड़े-बड़े जमींदार लोग हैं उनका कब्जा ह या बाहर के जो लोग हैं उन्होंने घेर रखा है। आज अगर वहां कोई अधिकारी निरीक्षण के लिए जाता है तो उसको दूसरी जगह दिखा दी जाती है। फार्म के अन्दर ५० हजार एकड़ भूमि बेकार पड़ी हुई है। यह फार्म नैपाल राज्य की सीमा पर पड़ते हैं और मुझे यकीन है कि नक्सलवादी जैसे लोग जो वहां पर क्रियाशील हैं, उस पर कब्जा करने का प्रयास करेंगे। हम पर यह आरोप लगाया जाता है कि हम अपना मुंह बन्द रखें, लेकिन मैं इस हाउस को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि एक समय आयेगा जब यह हाउस इन सब बातों को जानेगा जो सही हैं। अधिक न कह करके मैं यह प्रार्थना करूंगा कि इतनी जमीन जो बेकार पड़ी हुई है उनको गरीबों को, पीड़ितों को और भूमिहीनों को सरकार बांट दे। हमारे यहां बहुत से हरिजन भाई ऐसे हैं, पिछड़ी जाति वाले ऐसे हैं तथा और भी मोमिन जैसी छोटी-छोटी जाति वाले लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन नहीं है। सरकार को चाहिये कि.....

(इस समय १ बज कर २२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए।)

इन लोगों की सहायता करे, रक्षा करे और अपने देश और प्रदेश की उन्नति करे। बड़े-बड़े आदमी जब कोई बात आती ह तो जोर लगा कर अपने फेवर में काम करवा लेते हैं, लेकिन गरीब आदमी जो खून और पसीना एक करके काम करता है, उसके लिये सरकार कुछ नहीं करती सरकार में क्षमता है, लेकिन हम देखते हैं कि वह अब करे और तब करे। मैं इतना जरूर कहूंगा कि अब ऐसा समय आ गया है कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिये। इतना कह कर के श्रीमन्, मैं बैठता हूं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं कि इसको प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय और उस पर प्रवर समिति की परिधि बढ़ा दी जाय। मैं अधिक इस सम्बन्ध में नहीं कहना चाहता था, लेकिन जब भी प्रवर समिति का नाम लिया जाता है तो इसके पीछे एक उद्देश्य रहता है वह यह कि यदि हम किसी विधेयक को पास करना चाहते हैं तो उसके प्रत्येक अंग पर भलीभांति विचार करने के लिये जरूरी है अनेक मस्तिष्कों की उसमें बुद्धि लगे ताकि जिस मतलब के लिये वह विधेयक पारित किया जा रहा है वह मतलब हल हो सके। इस विधेयक के सम्बन्ध में दो बातें कहना चाहता हूं। पहली तो यह कि जो छूट दी जा रही है लगान की तीन सही एक–बटा–आठ की उसके पीछे एक बड़ा सिद्धान्त यह है वह अलाभकर जोत हों। मैं इस पहलू पर नहीं जाऊंगा। इस सदन में एक बात पर कई बार चर्चा हो चुकी है कि अलाभकर जोत कौन-सी हैं और कितनी हैं। लेकिन सरकार ने तो केवल तीन–सही–एक–बटा–आठ ही अलाभकर जोत को माना है। अगर आपकी ही बात मान ली जाय तो मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह कैसे तय किया जायगा कि कौन सी अलाभकर जोत है। क्या वह भी अलाभकर जोत मानी जायगी जहां नहरों की, टयूबवैल की तथा सिंचाई आदि की सुविधा है उसकी तुलना में जहां इन सब चीजों की सुविधा न हो जैसे रीकड़ है या और भी थर्ड क्लास जमीन है, जहां किसी प्रकार लाभ कौन कहे, कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिये क्या यह तीन-सही-एक-बटा-आठ भूमि बराबर है उस भूमि के जहां कुछ भी नहीं होता और किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। मैं समझता हूं कि यह अन्याय हो रहा है कि आपने एक ही प्रकार का स्लैब सभी के लिये बना दिया, यह अनुचित है। इसलिय आप इसको प्रवर समिति को भेज दीजिये जिससे इस पर विचार हो सके। पहले एक आदमी १० गुना लगान देकर भूमिधरी हो जाता था। अब उसको ३० गुना लगान देना पड़ता है भूमिधरी होने के लिये तो जिनको आप छूट दे रहे हैं यह कैसे तय होगा कि वह कितना लगान जमा करे जिससे भूमिधरी के उसको राइट्स मिल जायं। उसको राट्स हैं कि दूसरे तरीके से उपयोग कर सकता है। सीरदार दूसरे तरीके से उपयोग कर सकता है। भूमिधरी की राइट्स बड़ी हैं। उसे प्राप्त करने के लिए वह कितना रुपया जमा करेगा। जब पूरे लगान की छूट है? यह पहलू भी विचारणीय है। और अगर यह कह दें कि वह बीस गुना उस लगान का देगा जो पहले निश्चित था तो क्या बालूवाली जमीन का और ट्यूबवेल या नहरवाली जमीन का भी वही होगा? यह भी बात विचारणीय है।

मुझे दुःख है कि ऐक्ट वन आफ १९५१, जमींदारी एबालीशन ऐक्ट जबसे पास हुआ उसमें हर साल ही नहीं बल्कि साल में दो-दो बार संशोधन होते हैं। क्यों होते हैं? कारण यह है कि सरकार सही मस्तिष्क से इसके हर पहलू पर विचार नहीं करती। इधर और उधर दोनों ओर के लोगों की इच्छा है कि गरीब किसान और भूमिहीन को राहत मिले। लेकिन उसके लिए जो कानून बनता है उसमें हर पहलू पर सरकार विचार नहीं करती। उसके मस्तिष्क में एक लहर आयी, हाई कोर्ट का ऐसा फैसला हुआ है या पब्लिक की यह आवाज है, तो कानून बना लेती है लेकिन हर पहलू पर विचार नहीं करती। मैं इस विषय में कुछ तथ्य रखना चाहता हूं कि इसकी परिधि क्यों बढ़ाई जाय। जब इस ऐक्ट में संशोधन हो ही रहा है तो हमें हर पहलू पर विचार कर लेना चाहिए ताकि आयन्दा दूसरे संशोधन के लिए दूसरा बिल लाने की आवश्यकता न पड़े। मैं अनेकों बार कह चुका हूं कि भूमिहीनों को भूमि देने का प्रश्न सारे समाज के सामने विचाराधीन है। इसका एक बड़ा आन्दोलन भी चल रहा है। लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं देती। गांव समाज की जितनी जमीन है वह गरीब और भूमिहीन को कैसे मिले? लोगों ने उसको हड़प लिया। कैसे हड़पा? बड़ा आसान तरीका है। अगर कोई गांव समाज के प्रधान से मिल गया तो वह २२९–बी का दावा कर देता है कि घोषित कर दिया जाय कि जमीन हमारी है और कब्जा कर लेता है और कब्जा नहीं है तो कहता है कि कब्जा दिलाया जाय और वह डिग्री ले लेता है। अगर गांव समाज जीत गया और दावा करने वाला हार गया तो

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

गांव समाज के लिए यह आवश्यक है कि तीन वर्ष के अन्दर डिग्री को एक्जीक्यूट कराए। अगर तीन वर्ष के अन्दर नहीं कराते तो दावा करने वाला आटोमेटीकली सीरदार हो जाता ह। नतीजा यह होता है कि दावा करने वाला हार भी जाता है और सीरदार हो जाता है। क्या इस पर कभी सरकार ने विचार किया? सरकार को ऐसा कोई कानून बनाना चाहिए कि साधारण व्यक्ति के लिए जो तीन वर्ष की मियाद है वह गांव समाज पर लागू न हो। गांव समाज की प्रापर्टी पब्लिक प्रापर्टी है। जैसे सरकार के लिए ६० वर्ष की मियाद होती है वैसे ही गांव समाज के लिए १२ वर्ष की मियाद होनी चाहिए, अगर साधारण व्यक्ति के लिए तीन वर्ष की है तो, क्योंकि एक सभापति बदल जाता है और दूसरा आता है या दूसरी समिति आती है और वह एक्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो १२ वर्ष के अन्दर करा सकते हैं और गांव समाज का हक इस तरह से बच जाता है। इस पहलू पर सरकार ने कभी विचार नहीं किया। नतीजा यह है कि वकीलों की मदद से ८० प्रतिशत दावे जो गांव समाज के हुए आज वह बिल्कुल बेकार हुए जा रहे हैं क्योंकि ज्यादा मियाद नहीं दी गयी।

हमारे कम्युनिस्ट भाई झंडा उठा कर चलते हैं कि गांव समाज की भूमि हमें नहीं मिली और बड़े-बड़े लोगों ने कब्जा लिया। उसका भी एक तरीका था। जब टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ पास हुआ तो उसमें एक कब्जा वापस लेने का विधेयक आया, वह ऐक्ट पास हुआ और बहुत सी जमीन वापस हो गयीं। उसी प्रकार, अगर आपकी सच्ची नियत है, किसी गरीब को राहत देना चाहते हैं, गांव समाज की जमीन भूमिहीन को देना चाहते हैं तो सर्वे कराइए कि जिस दिन जमींदारी समाप्त हुई उस दिन कितनी जमीन ऐसी थी जो बंजर दर्ज थी। उसमें वह कानून रिकवरी आफ पजेशन, २३२ के अनुसार कार्यवाही करें। उसके आधार पर बड़े-बड़े जमींदारान या उनके भाई-भतीजों ने प्रधान से लेकर जमीन रख ली तो वह जमीन उनसे वापस ली जाय। कह दीजिये कि अगर कोई डिगरी हुई या कोई दावा हुआ या किसी तरह से भी कब्जा है १ जुलाई १९५२ से चाहे वह जमीन बंजर थी या गांव समाज की थी तो उनके पास नहीं रह पायेगी। उसको वह अपने पास नहीं रख सके। सरकार उस सबको रिकवर कर लेगी। अगर आप यह समझते हैं कि किसी गरीब आदमी को जमीन मिल गई है तो आप उस पर प्रतिबन्ध लगा सकते हैं कि अगर उसके पास ३ बीघे से अधिक जोत नहीं है उससे जमीन वापस नहीं ली जायगी लेकिन जो बड़े जोतदार हैं, जिनके पास २।। एकड़ से ज्यादा जमीन है उसको वापस लिया जाय। यह अत्यन्त आवश्यक है। मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि वकील लोग यहां पर कानून बनाते हैं। विधि मंत्री भी वकील हैं और शर्मा जी भी वकील रहे हैं, पता नहीं आज कल प्रैक्टिस करते हैं या नहीं पर इन सब चीजों पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। मैं भी बड़े जमींदारों की तरफ से वकील रहा हूं। अब तो नहीं हूं लेकिन मेरा दिल उस समय दुखता था। एक गरीब का हक इसलिये मारा जाता था कि उसके पास साधन बहुत नहीं होते थे। कानून गरीब आदमी की मदद नहीं करता है। ये लोग तो ऊपर की बात लेकर चलते हैं। इस दृष्टि से इस पर विचार होना चाहिये।

दूसरे पहलू पर भी विचार होना चाहिये जिसके लिये बराबर अवसर नहीं आते। यह ऐसा महत्वपूर्ण आपके सामने प्रश्न है जमींदारी अबालिशन का जिससे ७५ फीसदी आदमी प्रभावित होने वाले हैं। उसको जल्दी से पास करने का विचार न करें। हमारे लिये यह आवश्यक है कि ३ सही एक बटा ८ वालों का लगान माफ करें लेकिन और पहलुओं पर भी इसके विचार करें। समाज के अन्दर जो आन्दोलन की बात सुनते हैं और जमीन के लिये लोग परेशान हैं, उस पर भी विचार करें। मेरे दिमाग में यह बात नहीं आती है कि इन सब बातों पर आप क्यों नहीं विचार करते? इस दृष्टि से इसकी परिधि को बढ़ाया जाय। इस पहलू पर विचार किया जाय। आज एक महत्व का प्रश्न आपके सामने यह है कि जमींदारी अबालिशन ऐक्ट के अन्दर जो कुछ खामियां हैं इन्हैरीटेन्स की, एडाप्शन की या कैंसिलेशन की तो उस विषय में

रेविन्यू रिपोर्ट करेगा और यदि दिवानी में शहादत लेकर वह कार्यवाही करे तो यह पता नहीं है कि न्याय किसके पक्ष में जायगा। आज उसके लिये अवसर नहीं है। मैं समझता हूं यह अत्यन्त आवश्यक है कि ऐसे महत्व के प्रश्न, जिनका रेगुलर सूट कोर्ट में जाता है तो उसमें ज्यादा समय लगेगा। ज्यादा समय और ज्यादा पैसा लगेगा तभी वह न्याय पा सकता है। उसके लिये आप ऐसा करें कि कांकरेन्ट जुरिस्डिक्शन रख दें। उसको भी वही हैसियत हो जो रेगुलर दावे की होती है। इससे यह होगा कि जो गरीब है उसको सुविधा हो जायगी। जिस तरह से वह चाहेगा करेगा। वहां से उसको न्याय पाने का अधिकार हो जायगा। जो उसकी शहादत देंगे और वह समझेगा कि शहादत मिल जायगी तो वह दीवानी में जायगा। इसलिये यह पहलू बहुत विचार करने का है।

तीसरी बात यह है कि अगर आप कहते हैं कि दीवानी में जाने से बहुत पैसा लगता है। तो उसके लिये आप ऐसा कर सकते हैं कि जब यह जमींदारी अबालिशन ऐक्ट लागू हुआ तो उस समय घोषणा-पत्र के लिये १ रुपया मालगुजारी रखी गई थी। हमारी सरकार ने उसको बढ़ा दिया है। तो अब ऐसा किया जाय जो गरीब है उसके लिये प्रतिबन्ध लगा दे कि उसके घोषणा-पत्र के सूट पर एक रुपया लेंगे। अगर ऐसा हो जाय तो उसको न्याय मिल सकता है। वह जोर जबर के न्याय से वंचित नहीं रहेगा। यह सदन इस बात का समर्थन करेगा। मैं कुछ उदाहरण दे सकता हूं और अनेक उदाहरण ऐसे हैं। अगर मेरी हैसियत की तरह के आदमी से जिसके पास ५०० बीघे या ५० बीघे खेत हैं धारा ११५ सी० के अनुसार ५०० रुपया हरजाना लिया जाता है तो वह आदमी जिसके पास एक बीघा ही खेत है या उससे भी कम है, उसके ऊपर भी ५०० रुपये की डिग्री हरजाने के लिये होती है और वह उससे लिया जायेगा। उसमें सुधार की आवश्यकता है। क्योंकि अगर माधव प्रसाद त्रिपाठी की हैसियत के आदमी से ५०० रुपया लिया जायगा तो वह तो देंगे लेकिन जिसके पास एक बीघा भी खेत नहीं है या जो तीन बीघा खेत जोतने वाला है, जो किसी तरह से इतना खेत ही जोत कर या मेहनत कर अपनी जीवन यापन करता है, वह कहां से इतना रुपया लावेगा? इसलिये मुआविजे का रेट एक नहीं होना चाहिये। वरना ५०० रुपये की वजह से वह भाग कर सरहद नैपाल में चला जायगा क्योंकि उसकी ऐसी हैसियत नहीं है कि वह अपने को यहां रिटेन कर सके। अनेक ऐसे पहलू हैं, दरिद्र हैं, दुखी हैं, भूमिहीन हैं, जिनको इसमें स्पर्श किया गया है, उनके सम्बन्ध में विचार करने की आवश्यकता है। आखिर इस अवसर पर इन प्रश्नों पर विचार नहीं किया जायेगा तो फिर इसके लिये कौन सा दूसरा अवसर आयेगा। इस प्रश्न को ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में न भेज कर आप गरीबों के लिये, भूमिहीनों के लिये बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं और केवल पोलिटिकल एचिवमेंट के नाते आप सवा ६ एकड़ या ३ १/८ एकट छूट देने की बात यहां करते हैं। मुझे आशा है कि माननीय राजस्व मंत्री जी इस पर पुनर्विचार करेंगे और इस विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द करने का जो प्रस्ताव रखा गया है उसको वे सहर्ष स्वीकार करेंगे क्योंकि इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है बल्कि इससे गरीबों का ही हित होने वाला है।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)--

माननीय, मैं इस विधेयक में प्रस्तुत संशोधन के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। देखने में यह बड़ा साधारण विधेयक है किन्तु इसका बड़ा महत्व है। मैं आपके माध्यम से सदन को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि यह एक ऐसा विषय था जिसके ऊपर ही संविद सरकार का पतन हुआ। यही एक महत्वपूर्ण विषय था जिसको मद्देनजर रख कर सरकार बनी थी और उस सरकार को गिराने में आज जो हमारे माननीय राजस्व मंत्री हैं, उनका भी बड़ा हाथ था। उन्होंने विरोधी बेंच पर बैठते हुए इसकी बड़ी जोरदार मुखालिफत की और इस बात की ताईद की थी कि अलाभकर जोतों की मालगुजारी तत्काल खतम होनी चाहिये। मुझे उम्मीद थी कि जब वे आज पावर में हैं, तो निश्चित रूप से अपने वचनों का पालन करेंगे। मुझे यह भी उम्मीद थी कि माननीय

[श्री रामधारी शास्त्री]

मुख्य मंत्री जिन्होंने पहली अप्रैल, १९६७ को इस्तीफा देते समय जो वादे किये थे, आज जबकि पावर में है तो वे उन वादों को पूरा करेंगे। श्रीमन् मैं आंपके माध्यम से पहली अप्रैल, १९६७ को माननीय मुख्य मंत्री ने विधान सभा में क्या कहा था, उस दिन की विधान सभा की कार्यवाही से पढ़ देना चाहता हूं जो पृष्ट ४९१ पर है दिया हुआ है। संशोधन इस प्रकार से है :-"प्रस्ताव के अन्त मे निम्नलिखित जोड़ दिया जाय -किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में १-लगान, भूमि, भवन कर, वृत्ति एवं व्यापार-कर को समाप्त करने, २-हाई स्कूल तक नि:शुल्क की शिक्षा की व्यवस्था करने आदि, आदि तमाम बातें हैं जिनका कोई जिक्र नहीं किया गया है।" इस संशोधन के ऊपर माननीय मुख्य मंत्री, चौधरी चरण सिंह ने जो उस समय भी सरकार में थे -गुप्ता सरकार में थे, मगर उससे निकल कर विरोधी पक्ष में आ गये थे, जो कुछ कहा था उसकी दो तीन लाइनें पढ़ देना चाहता हूं। उन्होंने कहा था "अध्यक्ष महोदय, एक संभ्रान्त व्यक्ति से मेरी बात चीत हुई तो उन्होंने पूछा कि क्या किया। मैंने उनको एक ही जवाब दिया कि आप मेरे ऊपर दया कीजिये। मुझको महसूस हो रहा है कि मेरे और मेरे खयाल के लोगों के लिये आज कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है। आज मैंने अखबार में एक बयान पढ़ा है। जिस प्रकार से किसी के छुरा भोंकने पर तकलीफ होती है, मेरे दिल में उसी प्रकार से तकलीफ हुई है। मैं नहीं समझ पाया कि आत्म सम्मान वाले मेरे साथी कैसे कांग्रेस में रह सकते हैं। अन्त में मुझे यह अर्ज करना है कि माननीय सदस्यों और अपने साथियों से माफी चाहूंगा कि अगर मेरे मुंह से कोई कठोर बात निकल गई होगी तो वे मुझे माफ करेंगे।" इस पर आप जरा और ध्यान दें आगे वह कहते हैं कि "राजनैतिक पार्टियां तो एक इन्स्ट्रूमेंट हैं पब्लिक सर्विस की और अगर वह पार्टी जन सेवा का साधन नहीं रह जाती है तो फर्ज है उसके सच्चे सदस्यों का कि उस पार्टी से विदा ले लें, जिन मान्यताओं के लिये हमने इतना सारा जीवन बिताया, उनकी रक्षा अगर हमको करनी है तो वह कांग्रेस के अन्दर नहीं हो सकती है, बाहर ही हो सकती है। इन शब्दों के साथ मैं अपने कथन को समाप्त करता हूं।"

यह शब्द थे उस दिन माननीय चौधरी चरण सिंह जी के, यह शब्द किसलिये उन्होंने कहे थे ? वह इसलिये कहे थे चूंकि उस समय जो गुप्ता जी की सरकार थी उसने राज्यपाल के अभिभाषण में कोई तजकरा लगान माफी का नहीं किया था और यही बिना थी जब यह शब्द कह कर उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा था, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि उनकी ४५ साल की सेवा उस दल की थी लेकिन आज जबकि वह स्वयं पावर में हैं और जो चाहें वह कर सकते हैं। आज उनके दल में स्वयं और जिस बड़े दल के साथ आज वह सरकार चलाते हैं और जिसकी कृपा पर वह उस कुर्सी पर हैं उनमें भी काफी बड़ी तादाद सदन के सदस्यों की ऐसी है जो आज ईमानदारी से महसूस करती है कि केवल ३ १/८ एकड़ की नहीं बल्कि सभी अलाभकर जोतों की मालगुजारी माफ होनी चाहिये। लेकिन आज मुख्य मंत्री जी इसको करना नहीं चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यदि चौधरी चरण सिंह जी अपनी बातों के पक्के हैं जैसा कि वह हमेशा दावा करते हैं और बराबर कहते रहते हैं तो आज यह ईमानदारी का तकाजा है कि आप सवा ६ एकड़ तक लगान की माफी की घोषणा करें और यह नहीं हो सकता तो वह फिर स्तीफा देकर जैसे विरोधी दल की बेंचेज की तरफ आ गये थे उसी तरह आज भी उसको दोहरायें और कहें कि मैं असमर्थ हूं और ऐसा नहीं कर पा रहा हूं इसलिये मैं मुख्य मंत्री पद से स्तीफा देता हूं। लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि कुर्सी का मोह बहुत बड़ा मोह होता है, वह बहुत ही मोहक होता है और उसी मोह में वह आज फंसे हुए हैं और उसके कारण आज वह कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसके दो पहलू हैं। एक तो आप देखें कि हमारे दल संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के लोग, जिसका कि मैं भी एक छोटा सा सिपाही हूं, उस वक्त कहते थे कि आप २ एकड़ तक की ही माफी आरम्भ में कर दें, इसका मतलब यह नहीं है कि आज हम इस ३-१/८ तक के लगान की माफी के विरुद्ध हैं, हम उसके विरोधी नहीं हैं कि यह माफी न हो। वह माफी तो जरूरी है ही वह होनी चाहिये। लेकिन प्रश्न यह है कि इस माफी के पीछे उसूल

क्या है और सरकार का क्या कहना है ? इसके पक्ष में दो-तीन बातें कही जाती हैं, पहली बात तो यह है कि राजस्व मंत्री जी ने हवाला दिया कि अलाभकर जोत क्या है और आपने सुना होगा कि श्री रियासत हुसैन जी ने पहले कहा कि जमींदारी विनाश समिति ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसमें स्वीकार किया था और अधिकतर लोगों की राय यही थी कि दस एकड़ तक की जोत अलाभकर रखी जाय लेकिन उसके बाद चौधरी साहब की राय थी कि सवा ६ एकड़ की जोत अलाभकर मानी जाएं। तो यदि यह सवा ६ एकड़ तक की ही जोत अलाभकर मान ली जाय और जैसा कि बाद में कांग्रेस के प्रस्ताव में भी स्वीकार किया गया। अगर आप दावा करते हैं जनसेवा के सिद्धान्तों का और जीवन की मान्यताओं पर चलने का तो आज आपके मुख्य मंत्री काल में यह सवा ६ एकड़ तक की मालगुजारी माफ होनी चाहिये। एक बार चौधरी साहब ने कहा था कि आजकल सिंचाई के बढ़े हुए व्यय तथा अनाज के भाव में बढ़ती होने के कारण अलाभकर जोत की परिभाषा में भी बदल हो गया है। जब तक वह उस परिवर्तन को नहीं बतलाते हैं तब तक तो उन्हें अपनी मानी हुई और कही हुई बात पर ही अमल करना होगा, वह उससे बाहर नहीं जा सकते। आज की मौजूदा हालत में आपके लिये और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, अगर आप सिद्धान्त की बात करते हैं तो सिवा सवा ६ एकड़ तक की लगान माफी के और कोई चारा आपके लिये नहीं है। मैं माल मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी से अपील करूंगा कि वह जो अपना लंबा चौड़ा भाषण दिये हैं उसकी याद करें और ३-१/८ की जगह सवा ६ एकड़ तक के लगान की माफी की घोषणा करें। इसमें कोई ज्यादा सोचने समझने की खास बात भी नहीं है।

दूसरी बात यह है कि अखबार में आया कि अगर इस तरह से सवा ६ एकड़ की माफी कर दी जायेगी तो भूमि के छोटे-छोटे टुकड़े हो जायेंगे। तो क्या सवा ६ एकड़ से ही टुकड़े हो जायेंगे, वह क्या ३-१/८ एकड़ की माफी से नहीं होंगे ? यह सोचने की बात है कि पहले ज्यादा टुकड़े होते कि आज होंगे ज्यादा। यह भी बिलकुल मजाक है और मालूम होता है कि यह बात सीरियसली नहीं कही गई। आप देखें कि जमींदारी अबालिशन ऐक्ट की धारा ७६ में, जिसमें बटवारे की व्यवस्था है, उसमें दिया गया है कि ३-१/८ एकड़ तक की होलडिंग हो तो उसका बटवारा १० भाई हों तो वह हो सकता है लेकिन अगर २० हिस्सेदार हों और ३-१/८ एकड़ भूमि हो तो २० हिस्सेदार हो सकते हैं—५-५, १०-१० इकट्ठे के टुकड़े हो सकते हैं। कानून में कोई रुकावट नहीं है। इसलिये यह कहना कि टुकड़े टुकड़े हो जायेंगे, किसी कानून की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। यह केवल एक टालने का बहाना है। माननीय चौधरी साहब जब नेता विरोधी दल थे उन्होंने उसके पहले देहातों का दौरा किया था। मेरे जिले में भी गये थे और उन्होंने कहा था कि हम इसके खिलाफ हैं कि मालगुजारी को माफ किया जाय लेकिन अगर वे खिलाफ हैं तो ३-१/८ एकड़ तक को क्यों मंजूर किया। वे कहते थे कि मालगुजारी के माफ करने से बड़ा भारी नुक्सान होगा। श्रीमन, आपके माध्यम से मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर उनके पास आंकड़े हों, और जो होंगे ही, तो वे अपने उत्तर में बता दें कि जितनी होल्डिंग्स हैं, उनमें पुराने जमींदारों की कितनी सीर और खुदकाश्त हैं और कितनी मालगुजारी देते हैं और जो साधारण काश्तकार हैं, वे कितनी मालगुजारी देते हैं। आज जो हमारे पुराने जमींदार हैं, उनके ऊपर शरीफाना मालगुजारी है और जो छोटे काश्तकार हैं उनके ऊपर रजीलाना है। अगर हमारे राजस्व मंत्री जी बोल्ड स्टेप्स लें तो सारी शरीफाना मालगुजारी जो है उसको सर्किल रेट पर लेना वसूल कर दें तो एक पैसे का भी नुकसान या कमी नही होगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करें कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। सरकार की आय में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा।

अगर आपको सरकार की आमदनी का खयाल है तो आपकी आंख के नीचे ही आपके सारे कानून होते हुए भी, जितने पुराने जमींदार हैं या बड़े-बड़े ताल्लुकेदार हैं, वे हजार-हजार या २-२ हजार एकड़ बाग की शक्ल में जमीन रखे हुए हैं। अगर आप मालगुजारी बढ़ा देंगे

[श्री रामधारी शास्त्री]

उन लोगों पर जितने आपके पुराने जमींदार हैं और जिनके पास केवल नाम मात्र के कागजों पर बाग हैं, वे उन जमीनों में खेती करते हैं, फसल उगाते हैं आर उन खेतों को जोतते हैं तो आपकी आमदनी में कोई घाटा नहीं होगा। उनको आप उनकी जमीन से बेदखल भी नहीं करना चाहते हैं और न उनकी मालगुजारी ही बढ़ाना चाहते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक बार यह कहा था कि वे तो क्रमिक विकास चाहते हैं। अगर अभी भी आपका विचार वही है तो आप कानून बना दीजिए कि १० एकड़ से ज्यादा जो जमीन जोतता है उसके ऊपर लगान भी उसी क्रम में बढ़ता जायगा। श्रीमन्, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वे इसको तुरन्त घोषणा करदें कि जितना नुकसान सवा ६ एकड़ की माल-गुजारी माफ करने से नुकसान होगा सो उससे ज्यादा पैसे आ जायेंगे। फर्क केवल अगर है तो वह है इरादों का। मैं यह निवेदन करता हूं कि जब छोटी-छोटी तरमीमें करनी ही हैं, आप अपने भाषण में भी कहते हैं, राज्यपाल से भी कहलवाते हैं कि भूमि का वितरण गरीबों में होगा क्या यह केवल जवाब में या कल्पना में ही होगी या वह केवल आपके भाषण में ही होगी ?

आज जो बंजर जमीन है उन पर भी बड़े-बड़े लोगों का कब्जा है। जो सीलिंग से जमीन निकली है वह भी जो बड़े काश्तकार हैं, उनके लड़कों के नाम वहां के तहसीलदार, वहां के लेखपाल और कानूनगों कर देते हैं, लेकिन जो भूमिहीन हैं, उनको वे जमीनें नहीं मिल पाती हैं। हमारे जिले देवरिया में अफजल नगर आदि क्षेत्रों में जहां पर पुराने राजाओं और बदराना में बडरौना के राजा आदि हैं उन क्षेत्रों में जितनी भी बंजर भूमि है वह उनके कब्जे में है। उनमें बिहार और उत्तर प्रदेश के बड़े-बड़े लोगों ने १० हजार एकड़ पर कब्जा किये बैठे हैं। प्रश्नों के द्वारा भी सरकार का उस ओर ध्यान आकर्षित किया गया लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार का कोई इरादा ही नहीं है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को चाहिये और माननीय राजस्व मंत्री को चाहिये। हो सकता है कि माननीय राजस्व मंत्री को यह बोल्ड स्टेप लेने में त्याग करना पड़े। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप दिल से चाहते हैं कि समाजवाद की स्थापना हो, जो छोटी और बड़ी जोतों में अन्तर है वह न रहे वह दूर हो तो आपको यह कदम उठाना पड़ेगा। कहा यह जाता कि मालगुजारी माफ करने से ज्यादा जरूरी है सिंचाई की सुविधा देना। मैं कहना चाहता हूं कि जब हम संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के लोग लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं तो हम उसे भी शामिल किये हुए हैं। मालगुजारी के माफी के माने यह नहीं होते कि सिंचाई की सुविधा न हो। हमारी पार्टी यह कहती है कि सिंचाई की सुविधा, अगर खेती की पैदावार बढ़ानी है, तो उसके लागत की मूल्य की हर एक किसान को मिलनी चाहिये। उसके अलावा भी मालगुजारी माफ होनी चाहिये। एक सामाजिक-कारण भी है श्रीमन्, मैं उसे भी कहना चाहता हूं। सरकार का यह रिकार्ड कहता है, तहसीलों की रिपोर्टें कहती हैं कि मालगुजारी की माफी में पकड़ा कौन जाता है, कौन गिरफ्तार होता है उसमें। उसमें कोई बड़ा ताल्लुकेदार गिरफ्तार नहीं होता बड़ा काश्तकार उसमें गिरफ्तार नहीं होता। उसमें गिरफ्तार कौन किया जाता है एक विधवा--चार आने मालगुजारी पर गिरफ्तार की जाती है। उसकी नथुनी खिचवाई जाती है। जेल भेजा जाता है आठ आने का बकायादार। दो हजार के बकायादार को जेल नहीं भेजा जाता। इसलिये हम चाहते हैं कि छोटे काश्तकार पर मालगुजारी न रहे क्योंकि उसकी आमदनी नहीं है। आपने बिक्री कर की एक सीमा निर्धारित कर रक्खी है कि बारह हजार से कम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसी तरह से ऐशा कर में छूट दे रक्खी है। उसी तरह से इन्कम टैक्स पर भी छूट दे रक्खी है। पांच हजार सालाना की आमदनी पर कोई इन्कम टैक्स नहीं है। उसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि नैतिकता का आधार यह है, बराबरी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि किसान वह बदकिस्मत तबका है कि चाहे उसके घर के पीछे डेसीमल दो जमीन भी न हो पर समाजवादी सरकार कहलाने वाली इस सरकार के जमाने में उसके ऊपर जबरिया मालगुजारी है। माल-गुजारी से वह बरी नहीं हो सकता। बराबरी का भी यह तकाजा है कि अगर आप वास्तव में

चाहते हैं कि बराबरी हो। कुर्सियों का मोह नहीं है तो छोड़ दीजिए उन कुर्सियों को, मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से कहना चाहता हूं। आप आ जाइए यहां, आना तो है ही एक दिन। अगर आप वास्तव में समाजवाद लाने के इच्छुक हैं और जो कहते हैं उसको अमल में करना चाहते हैं तो आपके लिये केवल एक रास्ता है कि ३-१ / ८ की जगह सवा छः एकड़ की मालगुजारी की माफी हो। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन कर रहा हूं।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक माननीय मंत्री जी ने उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी की भावनाओं का समर्थन करते हुए मैं कुछ सुझाव माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं। इस विधेयक के संबंध में मान्यवर, तीन धाराओं के कारण देहातों में बहुत अधिक मुकदमे शुरू हो गये हैं। २२९ बी वर्ग ४, वर्ग ९ के कारण बहुत से मुकदमे देहातों में चल रहे हैं और उसमें खास करके छोटे किसान अब ज्यादा परेशान होते हैं। जो भी जबरदस्त ढंग का आदमी होता है, वह जमीन पर काबिज हो जाता है। आजकल हम देख रहे हैं कि गांव सभा की जमीनों पर जिन बड़े लोगों ने कब्जा कर रक्खा है वह जब यह देखता है कि कानून के मुताबिक हमको पट्टा नहीं मिल रहा है तो वह पहले की तारीखों में अपना कब्जा दिखा देता है। कभी-कभी तो यह होता है कि जमींदारी को जमाने की जो पुरानी रसीदें हैं, वह जमींदारी थी उन तारीखों में रसीदें काट ली जाती हैं अपने कब्जे की। २२९ बी का मुकदमा कायम करके पुरानी रसीदें दाखिल कर दी जाती हैं कि उस जमाने के काजिब हैं। इस तरह से अपना कब्जा दिखाकर मुकदमा चला रहे हैं। २२९-बी की धारा में ऐसी व्यवस्था करें कि वास्तव में जो गरीब किसान हैं वास्तव में जो काबिज हैं उनकी मंशा पूरी हो सके और दूसरे लोग नाजायज लाभ न उठा सकें। इसी तरह वर्ग ९ का भी बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। चाहिये तो यह कि जो वास्तव में काबिज है, जमीन को जोतता और बोता है, उसी के नाम वह जमीन दर्ज होना चाहिये कागज में। मगर होता क्या है? जो भूतपूर्व जमींदार हैं, कैफियत में किसी प्रकार के नाम उन्हीं का दर्ज चला आ रहा है। फिर बाद में वही सीर हो जाता है और जमीन पर कब्जा कर लेता है, जो जोतता और बोता है वह अलग कर दिया जाता है। इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये जिससे इस नियम का नाजायज फायदा लोग न उठा सकें।

इसी तरह से गांव समाज की भूमि पर जिन बड़े-बड़े काश्तकारों ने कब्जा कर रखा है उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती, जो छोटे-छोटे काश्तकार होते हैं उनके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही होने लगती है। मैं यह नहीं कहता कि छोटे काश्तकारों के खिलाफ कार्यवाही न की जाय, मगर आप बड़े-बड़े काश्तकारों के खिलाफ भी उतना ही सख्त कदम उठाएं। जिन लोगों ने भी अनधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है, चाहे वे बड़े किसान हों, चाहे छोटे हों, सरकार को उनके खिलाफ समान रूप से कार्यवाही करना चाहिये और इस प्रकार जो जमीन निकले उसे भूमिहीन हरिजनों को देना चाहिये। इसी तरह से जिन लोगों ने और सार्वजनिक भूमि पर कब्जा कर रखा है वह भी उनसे खाली करानी चाहिये। इस ओर भी कड़ाई से कदम उठाना चाहिये।

मान्यवर, हरिजनों को जो जमींदारी उन्मूलन कानून की धारा १९८ के अन्दर देने का प्राविधान किया गया है उसमें प्राथकिता के हिसाब से उनका तीसरा या चौथा नम्बर आपने रखा है। पहली प्राथमिकता आपने पशुओं के चारे आदि के लिये दी है। इसमें आप इतना करें कि जो गरीब हरिजन है, जिनके पास रहने तक के लिये जमीन नहीं है, उनको कम से कम पहले आप रहने के लिये जमीन दे दें। पूर्वी जिलों में बहुत से ऐसे हरिजन हैं जो पुश्त दर पुश्त से एक जगह बसे हुए हैं और रहते चले आ रहे हैं, लेकिन उस जगह पर उनकी आबादी दर्ज नहीं की गई है। अगर वह हरिजन उन लोगों को जिनके नाम वह जमीन दर्ज है खुश नहीं कर पाता है तो वह आदमी उस हरिजन को वहां से निकाल देता है। वह जमीन कहीं बाग के नाम से, कहीं

[श्री माताप्रसाद]

बंजर के नाम से, कहीं किसी तरह से उनके नाम रहती है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि जहां-जहां पर गरीब हरिजन वर्षों से रहते चले आ रहे हैं, वहां पर उनकी आबादी दर्ज हो। आज व्यवस्था यह है कि मान लीजिये एक बाग ४ एकड़ का है, उसमें २.४ डिसमिल में कोई आबाद है, तो वह लिखा नहीं जाता है। मैं चाहता हूं कि जितनी जगह में आबादी है, चाहे बाग ही क्यों न हो, उतनी दूरी में लिख दिया जाना चाहिये कि इतनी में आबादी है। इसके अलावा जब आबादी लिखी जाती है तो केवल आबादी लिखी जाती है, किसी व्यक्ति के नाम से नहीं लिखी जाती है। उसमें दिक्कत यह होती है मान लीजिए एक व्यक्ति २५ साल से एक बाग में रह रहा था और कैफियत के खाने में आबादी लिखी है, तो नाम न लिखे होने से जो आदमी मौके पर आबाद है, जब मुकदमा चलता है, तो जो उसके मालिक हैं वह यह कहते हैं कि वह हमारी आबादी है। नाम न होने के कारण बड़ी गड़बड़ी होती है। जिसकी आबादी है और कौन उस पर काबिज है, यह लिखने की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये।

आश्चर्य तो यह है कि जहां पर चकबन्दी हो रही है, वहां पर भी यह दर्ज नहीं की जाती है। जहां बाग है और वहां आबादी है और खेत रहा है, तो उसको चकबन्दी कर्मचारी "चकपरे" कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि उसकी चकबन्दी न की जाय और उसको वैसे का वैसा ही रहने दिया जाय। इसके कारण बहुत से मुकदमें खड़े होते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार आबादी की व्यवस्था करे।

इस संबंध में मैं मंत्री जी का ध्यान अधिकतम जोत सीमा की तरफ भी आकर्षित करना चाहता हूं, मंत्री जी वह बिल जल्दी से लाएं और ऐसी व्यवस्था करें कि यह ३० एकड़ की जो बात कही गयी है, उसका जल्दी से जल्दी कार्यान्वयन हो सके। जिसको जो जमीन निकले, वह जरूरतमन्द लोगों को मिल सके। अब तक कहा जाता रहा है कि भूमिहीनों और हरिजनों को जमीन मिले। मैं राजस्व मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस सिलसिले में थोड़े से कदम उठाए हैं और जिलों में यह प्रक्रिया चल रही है। रेवेन्यू कर्मचारी जगह-जगह मीटिंग करके कोशिश कर रहे हैं कि भूमिहीनों, गरीबों को जमीन दी जाय। मंत्री जी की घोषणा यह थी, कि ३० जून तक हम उसे वितरित कर देंगे। लेकिन यह प्रक्रिया बहुत धीमी थी, इसलिये नहीं हो पाया है। कार्य बिलकुल नहीं हुआ है और मियाद खत्म हो रही है, इसलिये मंत्री जी कर्मचारियों को और अधिक समय दें और अधिक सख्ती के साथ आदेश दें कि बंजर और परती पड़ी जमीन भूमिहीनों और गरीबों को दी जाय। २२९—बी, वर्ग ४ व ५ के बारे में मैं चाहता हूं, सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि जो गरीब असहाय लोग हैं, उनके लिये खेती की व्यवस्था हो जाय, तो ठीक ही है और उनके रहने के लिये जरूर ही ऐसी व्यवस्था करें कि कम से कम वह आबाद हो सके। मैं इतना ही कहकर मंत्री जी के विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९७० का, प्रवर समिति के पास भेजने का प्रस्ताव जो माननीय रियासत हुसैन ने प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं आप के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मान्यवर, आप उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० को देखने का कष्ट करें। आप अनुभव करेंगे कि यह घड़ियाल की आंत हो गया है। रात दिन संशोधन होते जा रहे हैं। वह इतना उलझ गया है कि दिग्गज वकीलों की भी समझ के बाहर होता चला जा रहा है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है।

इस प्रदेश की रीढ़ की हड्डी किसान है। उस के लिए सूक्ष्म-सा अधिनियम होना चाहिए जिसमें थोड़ी सी धारायें हों। इसमें आमूल परिवर्तन कर के इसे एक छोटा सा अधि-

नियम बनाया जाना चाहिए। इस अधिनियम के आधार पर ही गांव समाज के, गांव सभाओं के, भूमिधरों, सीरदारों, असामियों और अधिवासियों के नाना प्रकार के झंझट पैदा हो गये हैं।

श्री रियायत हुसैन—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप बार बार इस सदन में मंत्रिमंडल को आगाह कर चुके हैं कि ऐसे मौके पर कोरम की मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी होती है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपकी बात पर मंत्रि परिषद् ध्यान नहीं दे रही है। आज फिर जब कि आफिशल बिल पेश है कोरम का अभाव है। इस बात को आप गम्भीरता से लें। पहला मौका है सदन के इतिहास में बार-बार कोरम की वजह से घंटी बजती है।

श्री उपाध्यक्ष—

सवा दो बजे के बाद....

एक.सदस्य—

२ हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

सवा दो कर दिया गया है। आप लोगों ने ही तय कर दिया है। कोरम फिर भी देखा जाय।

(गणपूर्ति न होने के कारण घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री बसन्तलाल शर्मा—

मैं यह कह रहा था कि इसमें बार-बार संशोधन न लाकर इसको आमूल परिवर्तित करें। इसके स्थान पर नया अधिनियम बनाया जाना चाहिए जो सूक्ष्म हो और भूमि की व्यवस्था में पूर्ण सुधार ला सके। मान्यवर, इसके उद्देश्य और कारणों को पढ़ें इसमें कोई कारण नहीं बताया गया है कि क्यों संशोधन लाया जा रहा है। केवल इतना कह दिया गया है कि राज्य सरकार अपने निर्णय को कार्यान्वित कर सके। राज्य सरकार का क्या निर्णय है। ३.१/८ एकड़ पर लगान माफ करना। वह क्यों है इसका कोई आधार नहीं है। इसमें धारा ३३७ का जिक्र किया गया जिसमें बुन्देलखंड तथा मिर्जापुर के पहाड़ी इलाके और कुछ ऐसे स्थान दिये गये हैं। आप देखें कि प्रत्येक जिले में जमीन की स्थिति विभिन्न प्रकार की है। मैं अपने जिले बहराइच का उदाहरण देना चाहता हूं। १५½ पैसे प्रति एकड़ लगान की दर से ले कर १५ रुपये प्रति एकड़ तक की लगान की दर वहां है। इस प्रकार १०० गुने का फर्क है। उन जमींनों का लगान १५ पैसे प्रति एकड़ है जिनमें कुछ पैदा नहीं होता और जो नदी के किनारे अथवा कछार में हैं और जो जमींने अधिक उपजाऊ हैं उनका लगान १० रुपये से लेकर १५ रुपये प्रति एकड़ तक है। अब यह देखा जाय कि गरीब किसानों को छूट दी जायगी तो इससे कौन सा लाभ समान रूप से पहुंचेगा? केवल राजनीतिक लाभ इसमें अवश्य है। चौधरी साहब में कोई स्थिरता किसी बात पर है ही नहीं। उनमें कोई स्थायित्व नहीं है। अपना कोई वचन वह पालन करेंगे इसके वह आदी नहीं हैं। यह ठीक है कि उनका नाम सार्थक है। संस्कृत में मैंने पढ़ा है "चरगति" माने धातु में ठक प्रत्यय लगने से चरण शब्द बनता है जिसका अर्थ होता है चलायमान और जो चलता रहे, अपनी बात पर कायम न रहे। यह उन्होंने सिद्ध कर के दिखला दिया। कभी इधर, कभी उधर। आज कुछ कहा और कल कुछ कहा आज एक वायदा किया, कल दूसरा वायदा किया। जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम उन्हीं की देन है। वह पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी

[श्री बसन्तलाल शर्मा]

थे जब १० गुने लगान का मसला चल रहा था। उसके बाद राजस्व मंत्री हुए। जितने संशोधन हुए उनमें ८० प्रतिशत देन उन्हीं की है। भाषण देंगे तो आधार विहीन, निरर्थक और दुनिया भर की बातें सुना डालेंगे। राजस्व मंत्री जो बड़े योग्य और अनुभवी हैं, लेकिन वह करें क्या। उनके गठबन्धन में कुछ मजबूरियां हैं। पहली शर्त तो यही है कि बिना किसी शर्त के वह उन को सहयोग देंगे, अपना समर्थन देंगे। उनकी आत्मा तो स्वीकार करती है उस बात को जिसकी मैं कह रहा हूं लेकिन कारण फंसा हुआ है। जो शर्त मान रखी है उसके कारण वह बोल नहीं पाते हैं और विवश हो कर उन्होंने इसे पेश किया है। दिल से वह इसे नहीं चाहते। पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ता वह हैं और बुन्देलखंड के तो वे बापू कहे जाते हैं। महात्मा गांधी के लिये हम बापू कहते थे। सन् १९३६ से लेकर पिछले वर्ष तक कांग्रेस के जितने प्रस्ताव हैं उन सबके वे समर्थक हैं और उनसे सहमत हैं।

अलाभकर जोतों के विषय में एक सवाल आया था कि लगान माफ होना चाहिये। मान्यवर, श्री रामधारी शास्त्री ने एक दलील दी। ५ हजार रुपये की आय कर पर छूट है और तमाम व्यापारियों पर छूट है। यह मालगुजारी भी माफ हो जानी चाहिये और इस में भी एक आय निश्चित कर देनी चाहिये। इस में मुझे जरा शंका होती है। मैं जहां तक समझ पाया हूं कोई भी सरकार एक राज्य का संचालन करती है और राज्य की परिभाषा में एक निश्चित सीमा, सेना, कोष तथा आमात्य का होना जरूरी है राजतंत्र में पहले राजा होता था और उसको भूप कहा जाता था। जो राज्य में में भूमि होती है वह राज्य की सम्पत्ति होती है इसलिये उस पर मालगुजारी को टैक्स नहीं कहते, उसे राजस्व कहा जाता है। भू-राजस्व का क्षमा करना कोई योग्यता की बात नहीं है। यह दूसरी बात है कि प्रजातंत्र प्रणाली में प्रजा की किसी कमजोरी को दूर करने के लिये अथवा उसके किसी अंग की आर्थिक स्थिति को विकसित करने के लिये हम किसी प्रकार की रियायत करें लेकिन वह समान दृष्टि से होना चाहिए, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिये और अगर वह समान दृष्टि से नहीं होगा तो पक्षपात पूर्ण कहलायेगा और यदि यह राजनीतिक पहलू कहा जायेगा तो मान्यवर यह एक षडयन्त्र कहलायेगा और जनता को न्याय नहीं मिलेगा। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि इसे प्रवर समिति को भेज दिया जाय जिसको किसी परिधि बढ़ाने का अधिकार है।

माननीय राजस्व मंत्री जी भली भांति परिचित हैं कि हमारे जिले के अन्दर नानपारा तहसील में धर्मापुर से सन् १९५२ में जब मैं चुन कर यहां प्रतिनिधि हो कर आया था बिना लगान के वहां जमीनें थीं और वहां के जिलेदार वगैरह उनसे लूट खाते थे और २ अक्तूबर, १९५२ को जब जमींदारी विनाश हो गया और उस जमीन पर कोई फैसला नहीं हो पाया और वह जमीन वैसी ही पड़ी रह गई। उन काश्तकारों को इससे बड़ी परेशानी हुई। मैंने इस घटना को इस सदन में पहुंचा दिया था। वहां पर रिकार्ड आपरेशन हुआ कभी पहले वहां हवाई जहाज के नक्शे बनाये गये थे। रेकार्ड आपरेशन में बकरी और भेड़ की तरह काश्तकार हलाल किये गये। हजारों आदमियों को अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा लूटा गया। बाद में रिकार्ड आपरेशन के दफ्तर में ही आग लगा दी गई। सारा रिकार्ड जला दिया गया। माननीय राजस्व मंत्री जी उस समय पी० डब्लू० डी० के उप-मंत्री थे। उसके बाद १९६७ में जब संविद की सरकार बनी और चौधरी चरण सिंह उस समय मुख्यमंत्री बने उनके सामने उधर की तरफ के कुछ प्रश्न, पैदा हुये। उस समय हमारे जिले के श्री कृष्ण बहादुर जी मिश्र उप मंत्री थे उन्होंने भी सवाल उठाया और उस समय लखीमपुर खीरी में नक्सलपंथी पैदा हुये थे। सर्वे का प्रबन्ध किया गया। वहां के जो असिस्टेंट रिकार्ड आफिसर हैं अब उनका तबादला किया गया है। इतनी गन्दगी वहां पर फैल गई थी कि जनता त्रस्त थी। तो कहने का मतलब यह है कि इस संशोधन को लाकर के कोई सर्वत्र न्याय नहीं हो पायेगा। उसकी कुछ धाराओं को आप देखें तो पहली चीज उसमें यह है कि—धारा ३ के खंड १ में धारा २४५, २४६ तथा २४७ में किसी बात के होते हुये भी, ऐसे परिवार के जिसके सदस्यों द्वारा सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के किसी कृषि वर्ष के प्रारम्भ पर भूमिधर या सीरदार के रूप में धृत भूमि का कुल क्षेत्रफल तीन सही एक बटे आठ एकड़ से अधिक न हो, प्रत्येक सदन को उस वर्ष के सम्बन्ध में देय मालगुजारी के दायित्व से छूट होगी।

तो मान्यवर, केवल परिवार का जिक्र इसमें आता है किन्तु सभी को तीन सही एक बटा आठ एकड़ जमीन पर मालगुजारी में छूट देनी चाहिए। जो धार्मिक संस्थायें हैं, जैसे मन्दिर, अनाथालय, स्कूल, औषधालय आदि २ इनके पास भी जमीन होती है और वह बहुत कम होती है और उन्हें भी मालगुजारी देनी पड़ती है। इस बिल में उनकी कोई चर्चा नहीं की गई है। उनके पास तीन सही एक बटे आठ एकड़ से कम जमीन है तो क्या उन्हें छूट नहीं मिलेगी? मान्यवर, कई सदस्यगण बोलने वाले हैं, मैं अधिक नहीं कहूंगा किन्तु इतना अवश्य कह देना चाहता हूं कि इस बिल में अनेकों त्रुटियां हैं और यह आंखें बन्द कर के बनाया हुआ विधेयक है। मान्यवर, सवा छै एकड़ को अलाभकर मानना कांग्रेस के बड़े पुराने सिद्धान्तों में से है। इसको न मान कर राजस्व मंत्री जी ने कांग्रेस के पहले से चले आ रहे सिद्धान्तों की अवहेलना की है। इस परिस्थिति में इसको प्रवर समिति के पास भेज दिया जाय, जिससे प्रत्येक जिले की स्थिति को देख कर उनकी मालगुजारी के अन्तर को देख कर काश्तकारों को रिआयत दी जा सके। इन शब्दों के साथ मैं प्रवर समिति को भेजे जाने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

उपाध्यक्ष महोदय, प्रवर समिति को भेजे जाने के संशोधन का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं साथ ही सवा तीन एकड़ के बजाय सवा छै एकड़ तक लगान माफ किया जाय, इसका भी समर्थन करता हूं। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कई बार इसको सदन में यह वायदा किया कि लगान माफ किया जायगा और यह भी कहा कि किसी भी विकासशील देश में लगान की प्रथा नहीं है लेकिन दूसरे देशों की बात को तो छोड़ दीजिये इसी देश के अन्दर और प्रान्तों में लगान जोती बड़ी सीमा तक माफ है। एम० पी० में तो १० एकड़ तक है और दूसरे प्रदेशों में भी साढ़े ६ एकड़ और साढ़े पांच एकड़ तक है। लेकिन हमारा प्रदेश जो सारे देश में पिछड़ा हुआ प्रदेश माना जाता है, उसमें किसानों पर लगान का टैक्स सब से ज्यादा है। दस गुने के रूप में ४० करोड़ रुपया किसानों से लेने के बाद भी यहां लगान की बड़ी दर है और उसमें माननीय मुख्य मन्त्री जी और माल मंत्री जी दोनों शामिल रहे हैं। लेकिन इसे भी यह कम करने को तैयार नहीं है। ४० करोड़ रुपये की सूद को अगर देखा जाय तो इससे भी मैं समझता हूं कि उनको पूरा लगान माफ कर देना चाहिये। बार-बार वायदा करे हैं और मुकर जाते हैं। अब भी जो ३ १।८ एकड किया है वह भी दबाव में आकर ही किया है। कुछ बकरियां ऐसी होती हैं जो दूध को चढ़ा लेती हैं लेकिन जब उस को मुक्का लगता है तो वह दूध भी देती हैं और मींगन भी देती है। इसी प्रकार से जब सरकार पर दबाव पड़ता है तो वह मांग को मानती है लेकिन अगर दबाव घट जाता है तो वह किसानों के दूध की चोरी भी कर लेती है। २०–२२ साल हो गये स्वराज्य को हुए उसने अनेकों बार किसानों के साथ चोरी की है।

लगान की प्रथा ऐसी है जिसका एक लम्बा इतिहास है और माननीय मुख्य मंत्री और माल मंत्री दोनों इसको अच्छी तरह से जानते हैं। अगर माननीय माल मंत्री इसको मान लेते हैं तो सवा छै एकड़ के लिये उनको मुक्का खाने की जरूरत न होगी। वर्ना वह दिन दूर नहीं है। जब कि यह सवाल फिर उठेगा और लोगों का दबाव आप के ऊपर पड़ेगा। इसलिये अगर आप उदारता के साथ अभी इस मांग को मान जाते हैं तो प्रदेश के किसान आपको श्रेय देंगे और आप के प्रति प्रदेश के किसान की भावना अच्छी रहेगी। लेकिन दबाव पड़ने पर तो आपको करना ही पड़ेगा। दबाव वाली बात को लोग कुछ अच्छा नहीं समझते हैं। इस-लिये यह जो प्रस्ताव है वह बहुत छोटा सा है कि इस बिल को प्रवर समिति में भेज दिया जाय और सवा छः एकड़ तक लगान समाप्त कर दिया जाय। वह चीज कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया हुआ सिद्धान्त है और आप भी उस संगठन के एक अंग रहे हैं। चाहे तो मुजफ्फरनगर का अधिवेशन हो अथवा सन् १९६७ का घोषणा-पत्र हो हर जगह आपने इस मांग को स्वीकार किया है। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप को स्वतः ही इस मांग को स्वीकार कर लेना चाहिये कि सवा छः एकड़ तक लगान माफ कर दिया जायगा। इसके

[श्री रामचन्द्र विकल---]

लिये प्रदेश के किसान आप के ऋणी रहेंगे। वरना फिर जो मैं कह रहा था दबाव वाली बात वह सही होगी।

यह किसानों की सरकार कही जाती है मगर मैं इसको किसानों की सरकार कहने के लिये तैयार नहीं हूं। गुप्ता जी की सरकार सवा ६ एकड़ तक का लगान छोड़ रही थी जिसको कहते हैं कि किसानों की सरकार नहीं है। वह चाहे जिस परिस्थिति में छोड़ रही थी और मुख्य मन्त्री जी जब उनसे साझा कर रहे थे तब तो शायद उनको भी छोड़ना पड़ता, यह तो गठबन्धन दूसरी तरफ हो गया तो आप किसानों के वायदे को भूल गये। गठबन्धन ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं होता। अब तो हम सुन रहे हैं कि वह गठबन्धन मर्जर की शक्ल में हो रहा है और हो भी जाना चाहिये क्योंकि इस प्रदेश में अनिश्चितता फैली हुई है। कुछ किसानों का भी तो होना चाहिये। किसानों के नाम की सरकार किसानों के खिलाफ नीति बना रही है। ३-१/८ एकड़ अलाभकर जोत आपने मानी है मगर यह परिभाषा सही नहीं है। आज जो किसान फसल पैदा करता है उसमें पहले जरूरत से ज्यादा लागत लगानी पड़ती है, चाहे अच्छी खाद की शक्ल हो, चाहे पानी की शक्ल में चाहे जुताई की शक्ल में। अब की बड़ा दुर्भाग्य रहा। गन्ना खेतों में खड़ा रह गया और गेहूं खलिहान में पड़ा रह गया। अबकी दफा किसान इतने घाटे में रहा है दैवी बातों की वजह से समझ लीजिये या इस सरकार का शुभारम्भ समझ लीजिये कुछ शुभ नहीं रहा। संविद के जमाने में जो भाव किसानों को वह नहीं मिल रहा है। आज घाटे का सौदा किसान कर रहा है। और आप स्वयं मानते हैं कि विकासशील देशों और हमारे देश के अन्य प्रदेशों में सवा ६ एकड़ तक का लगान माफ कर दिया गया है और हम बहुत कंजूसी के साथ ३-१/८ एकड़ तक लगान माफ करने को माने हैं। अन्त में मैं मंत्री जी से कहूंगा कि इस प्रस्ताव को मान लें और प्रवर समिति के सिपुर्द कर दें ताकि जिन वायदों को माल मंत्री जी और मुख्य मन्त्री जी अनेक बार कर चुके हैं उनकी पूर्ति हो सके और जनता में एक प्रकार से विश्वास पैदा हो सके। मुख्य मन्त्री जी स्वयं मानते हैं कि जनतंत्र का सबसे पहला नियम है कि सरकार के प्रति जनता का विश्वास हो। तो सरकार के वायदों के प्रति जनता का विश्वास होना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं फिर कहूंगा कि मंत्री जी सवा ६ एकड़ की बात मान लें, इसकी वह घोषणा कर दें और इसको एक प्रवर समिति के सिपुर्द कर दें।

श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बस्ती)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रियायत हुसैन द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। परन्तु इस विषय पर आने के पूर्व मैं भी कुछ निवेदन राजस्व मंत्री जी से कर देना चाहता हूं जिसका सीधा संबंध इस प्रस्तुत विधेयक से नहीं है लेकिन चूंकि आपने औरों को भी यह छूट दे दी थी कि वह राजस्व संबंधी और विषय भी ला सकते थे इसलिये मैं दो निवेदन उनसे करना चाहता हूं। पहली बात तो वही है जो है माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी ने कही। यदि आप वास्तव में भूमिहीनों को देना चाहते हैं और चाहते हैं, ऐसा मैं मानता हूं, तो आप को वह कदम उठाने होंगे जिनकी ओर माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने संकेत किया कि आप को जो पहले जमीनें हड़प ली गयी हैं उनको खाली कराना पड़ेगा। आपने ही यह स्वीकार स्वीकार किया कि पिछले तीन वर्षों में जो पट्टे हुये थे उनकी जब जांच करायी गयी तो आधे से ज्यादा पट्टे नाजायज निकले। अब आप स्वयं विचार करें कि उसके पहले जो पट्टे हुये थे और उनका प्रतिशत भी आधे से ज्यादा नाजायज का रहा होगा।

कोई गलती हो गई, कोई बेईमानी हुई कहीं पर, केवल समय बीत जाने के कारण वह बात ईमानदारी में नहीं बदल सकती है। तो मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि जब जमींदारी उन्मूलन हुआ था और उस समय जो जमीन गांवसमाज को मिली थी उसकी खोज करें और उस पर जो नाजायज अधिकार हुए हैं उसको खाली कराने के लिये कानूनी कार्यवाही करें। सरकार बहुत देर से चेतती है। १०, १२ लाख एकड़ भूमि बची है जबकि ४० लाख एकड़ इसके पूर्व

निकल चुकी है। तो इस १०, १२ लाख एकड़ का प्रबन्ध करें और जो पहले निकल चुकी है उसको खाली कराने का प्रयत्न करें ।

दूसरी बात मैं चकबन्दी के बारे में कहना चाहता हूं । अब अधिक समय नहीं है इसलिये मैं बाद में राजस्व मंत्रीजी से कह दूंगा ।

अब मैं सिद्धान्त के रूप में कहना चाहता हूं कि कोई पुरानी प्रथा है, उसको यदि बदलना है तो किसी सिद्धान्त के आधार पर सोच समझ कर बदलना चाहिये । जमींदारी एक पुरानी प्रथा है, बहुत दिनों से चलती आयी है । आज उसमें बहुत परिवर्तन करने जा रहे हैं । लेकिन अच्छा होता कि सोच समझ कर कदम उठाया गया होता, उसके पीछे कोई सिद्धान्त होता और सरकार अपने उस औचित्य को सिद्ध कर सकती और सभी परिस्थितियों में लागू कर सकती । मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर ३-१/८ एकड़ तक भूमि की मालगुजारी माफ करने के पीछे कौन सा सिद्धान्त है । मुख्य मंत्रीजी ने तो स्पष्ट रूप से कह दिया कि वह मालगुजारी प्रथा समाप्त करने अथवा उसे कम करने के विरोधी हैं किन्तु उन्हें राजनीतिक दबाव के कारण ऐसा करना पड़ा है । उन्होंने तो इसे स्वीकार कर लिया कि उन्हें राजनीतिक दबाव के कारण ३-१/८ एकड़ जिनके पास भूमि है उनका लगान माफ करना पड़ा, परन्तु मैं राजस्व मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसके पीछे कौन सा सिद्धान्त है ? आप कह सकते हैं कि हम अलाभकर जोतों की मालगुजारी छोड़ रहे हैं । अब देखना यह है कि अलाभकर के क्या अर्थ हैं ? अलाभकर तीन प्रकार से माना जा सकता है ? एक तो वह खेती उस पर की जाय और कोई लाभ न हो । तो मैं कहना चाहता हूं कि एक एकड़ में भी अगर खेती ठीक से की जाय, आधे एकड़ में की जाय तो भी लाभ होगा । इसको फिर अलाभकर कैसे कह सकते हैं । कुछ न कुछ लाभ तो होगा ही । दूसरा तरीका अलाभकर का यह हो सकता है कि एक परिवार में कितने काम करने वाले हैं, एक जोड़ी बैल है, उनको कितनी जमीन मिल सकती है जिसमें पूरी तरह से व्यस्त रह सकते हैं उसको लाभप्रद कहा जाय और उससे कम वाले को अलाभप्रद कहा जाय । इस परिभाषा को मान लें तो मालूम होगा कि ३–१/८ एकड़ वाली भूमि तो अलाभप्रद है ही, इससे ऊपर वाली भी अलाभ-प्रद हो सकती है ।

मान्यवर, मंत्री जी ने तो कह दिया कि एक परिवार को पूरी तरह से काम करने के लिये सवा छः एकड़ भूमि चाहिये । तो इस परिभाषा में भी अलाभकर हो सकता है । तीसरा तरीका यह हो सकता है कि आज की परिस्थिति देखते हुए आप यह कह सकते हैं कि इससे नीचे जिसकी आमदनी हो उसको गरीब कहा जा सकता है और समाज में उनके साथ रियायत का बर्ताव होना चाहिये । तो इस ख्याल से छोड़ देते हों मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो चीज देश के अन्य वर्गों पर लागू हो वही किसानों पर भी लागू करते । आय कर लोगों से लेते हैं जब उनकी आमदनी पांच हजार रुपये वार्षिक से ज्यादा होती है और नीचे वालों पर कोई प्रत्यक्ष कर नहीं लगता । यह माना गया हैकि इससे कम आमदनी वालों को कर देने में तक-लीफ हो जायगी । आखिर क्या कारण है कि खेती करने वालों पर आप यही मापदंड नहीं लगाते । अगर शहरों में आकर पांच हजार तक कमायें तो कुछ नहीं पड़े लेकिन गांवों में अगर वह चार एकड़ की खेती करता है तो उसको आपके इस नये विधेयक के अनुसार कर देना पड़ेगा । श्रीमन्, मैंने इस प्रश्न को पहले भी उठाया था तो दो उत्तर मिले थे एक माननीय मुख्य मंत्री की ओर से और एक राजस्व मंत्री की ओर से । मुख्य मंत्री ने कहा कि चूंकि अपने उत्तर प्रदेश में अधिकांश किसानों के पास ३–१/८ एकड़ से कम जमीन है इसलिए जो ऊपर अधिकांश लोगों केपास है उसको अलाभकर कैसे माना जाय इस तर्क हो को मैं नहीं समझ पाया। यदि कोई यह कहता है कि उत्तर प्रदेश में अधिकांश लोग गरीब है तो बात सही है । लेकिन गरीब की डेफिनिशन बदल दी जाय क्योंकि अधिकांश लोग गरीब इसलिए गरीब नहीं रह गये यह तो कोई तर्क नहीं हुआ । अगर हम कहें कि भारत देश के दो तिहाई लोग भरपेट भोजन नहीं पाते तो यह कहना पड़ेगा कि अधिकांश लोग भोजन नहीं पाते और चूंकि अधिकांश लोग नहीं पाते तो यह बात तो ठीक नहीं हो सकती है क्योंकि सभी को मिलता है । तो मैं तो यह स्वीकार करता हूं कि अधिकांश लोगों के पास अलाभप्रद जोते हैं लेकिन इस कारण से वह लाभप्रद होती है यह तर्क गलत है ।

माननीय राजस्व मंत्री ने यह कहा कि मालगुजारी एक सामन्ती

[श्री भानु प्रताप सिंह--]

प्रथा का अवशेष है। जमीन के मालिक राजा, महाराजा, नवाब या शहनशाह माने जाते थे और वह उस जमीन को किराये पर उठाते थे और जो किराया उसका लेते थे उसका नाम था मालगुजारी। अब उस प्रथा को, पुरानी प्रथा को तोड़ा तो यह कहा गया कि किसान को जमीन का मालिक बना दिया गया तो दूसरी मिल्कियत कैसे ? एक तरफ तो आप इसका भी श्रेय लेना चाहते हैं कि किसान को भूमि का मालिक बना दिया गया और दूसरी तरफ जमीन का किराया वसूल करना चाहते हैं। श्रीमन्, राजस्व मंत्री ने कहा था कि सावरेन स्टेट जमीन में अपनी मिल्कियत हक को छोड़ नहीं सकती। दुनिया के अनेक देश हैं जो सावरेन है किन्तु वहां मालगुजारी वसूल नहीं की जाती तो क्या उन्होंने सावरेनटी छोड़ दी। सबसे शक्तिशाली संयुक्त राज अमेरिका सावरेन स्टेट है लेकिन वहां मालगुजारी वसूल नहीं की जाती तो क्या उनकी सावरेन्टी नहीं है। उड़ीसा में स्वतन्त्र पार्टी के नेतृत्व में सरकार गठित है और उन्होंने सबसे पहला जो काम किया हुकूमत की बागडोर संभालने के बाद वह यह कि जमीन्दारी प्रथा का उन्मूलन किया पूर्णरूप से तो क्या वहां सावरेन्टी खत्म हो गई। यह भी कहा गया कि मालगुजारी अगर खत्म कर दी जायगी तो काम कैसे चलेगा ? उड़ीसा एक छोटा सा राज्य है और उसकी तुलना में आपके साधन तो कई गुना ज्यादा है और अगर वह मालगुजारी प्रथा समाप्त करके अपना काम चला सकते हैं तो आप क्यों नहीं चला सकते ?

श्रीमन्, मैं यह नहीं कहता कि जो खेती करता है उसको कोई टैक्स नहीं देना चाहिये लेकिन टैक्स वही होना चाहिये जो दूसरे काम करने वालों पर लगता है। अगर ५ हजार रुपये तक आमदनी करने वाले दूसरे व्यवसाय पर कोई प्रत्यक्ष कर नहीं है तो खेती पर भी ५ हजार रुपये आमदनी करने वालों पर कोई प्रत्यक्ष कर नहीं होना चाहिये। यदि उत्तर प्रदेश में औसत लगाया जाय और देखा जाय तो एक एकड़ पर २०० रु० वार्षिक से अधिक शुद्ध लाभ नहीं होता। मैं इस सदन में इस बात को बार-बार कह चुका हूं कि यदि सरकार के पास कोई आंकड़े हैं इसको गलत साबित करने के लिये तो कृपा करके उन्हें पेश करें और यह जो २०० रु० उसे कब मिलते हैं जब कि किसान की मेहनत--मजदूरी अलग से नहीं लगाई जाती वह तो उसी लाभ में जुड़ जाती है। तो अगर औसत यह है, तब तो तीन--सही एक--बटा आठ एकड़ वाले किसान की कुल शुद्ध आमदनी ६०० रु० साल भर में होगी। अगर ५ व्यक्तियों का परिवार है तो १२० रु० प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष ऐसे परिवार की आमदनी होगी जिसका नतीजा यह निकलता है कि प्रत्येक व्यक्ति को ५० पैसे, नये या पुराने समझिये, उसको प्रति दिन आमदनी होती है और इस पर भी आपने माल लिया कि यह लाभप्रद है। श्रीमन्, मैं फिर निवेदन कर देना चाहता हूं कि आप तीन-सही--एक--बटा--आठ एकड़ का औचित्य सिद्ध नहीं कर सकेंगे। जैसा मैंने कहा लाभ के तीन तरीके हो सकते हैं और उन तीनों में यह फिट नहीं होता। न तो यह कहा जा सकता कि इसमें लाभ नहीं होता, न तो यह कहा जा सकता है कि एक परिवार को काम मिला हुआ है और न यही कहा जा सकता है कि इतनी आमदनी होती है कि जीवन निर्वाह के लिये कम से कम आवश्यक आवश्यकतायें पूरी हो सकें। यह आपने जो एड--होक बेसिस पर कह दिया यह बात ठीक नहीं है। जब आप कोई व्यवस्था बदलना चाहते हैं, परिवर्तन लाना चाहते हैं तो सोच--समझकर के किसी सिद्धान्त के आधार पर जिस पर आप खड़े होकर अपना औचित्य सिद्ध कर सकें, लाना चाहिये, अन्यथा आप कोई परिवर्तन मत लाइये, ऐसे ही चलने दीजिये, और उसके लिये आवश्यक है, जैसा कि माननीय रियासत हुसैन साहब ने कहा कि इसको प्रवर समिति को सौंपा जाय। मैं तो इधर के बैठने वालों से और उधर के बैठने वालों से यही कहूंगा कि आपके किसान से दूसरे वर्गों की भांति व्यवहार करना चाहिये तथा सामन्तवादी बुद्धि को आप छोड़ दें। यह पुरानी बातें हैं कि माल गुजारी वसूल करना आपका हक है और सोवरेन्टी का लक्षण है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अनेक ऐसे प्रगतिशील देश हैं जो सोवरेन हैं और जिन्होंने माल-गुजारी छोड़ दी। यह बातें जो दिमाग में घुसी हुई हैं हम राजा है गद्दी पर बैठे हैं इसलिए किसानों से मालगुजारी वसूल करना जरूरी है, इसको छोड़ कर आप एक ऐसा मापदण्ड बनाये जो समान रूप से सभी काम करने वालों पर लागू किये जा सकें।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

श्रीमन्, उधर के बैठने वालों माननीय सदस्यों की दलील से मैं सहमत नहीं हूं लेकिन जो रियासत हुसेन ने प्रस्ताव रखा है और श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी नें बातें कहीं हैं, मैं समझता हूं कि उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर विचार करने की काफी गुंजाइश है। इसलिए मैं श्री रियासत हुसैन साहिब का जो संशोधन का प्रस्ताव है, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है और मैं इसे स्वीकार करता हूं।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं राजस्व मंत्री जी की इस भावना के लिए कि उन्होंने प्रवर समिति में इसे भेजने की बात मान ली, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और इसको प्रजातांत्रिक पद्धति का एक शुभ लक्षण मानता हूं। मेरी समझ से इस सरकार का यह पहल कदम है जो सही माने में सुविचारित ढंग से इस सरकार ने उठाया है। श्रीमन्, मैं यह भी समझता हूं कि राजस्व मंत्री जी ने इधर बैठने वाले कुछ माननीय सदस्यों को गौर से सुना और उसका उन पर प्रभाव पड़ा। जो माननीय सदस्य इस प्रवर समिति में जायेंगे, इस सिलसिले में हमारे कुछ सुझाव उन्हें या माननीय मंत्री जी को याद रहे वह सम्भवतः कारगर साबित होंगे। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता हूं कि सवा छः एकड़ पर माफ किया जाय या तीन सही एक बटे आठ एकड़ पर माफ किया जाय लेकिन यह जरूर अर्ज करना चाहता हूं कि सदन के आदरणीय सदस्यों ने इस सिद्धांत को माना था कि सवा छः एकड़ ही अलाभकर जोत मानी जाएगी।

श्रीमन्, इस सिलसिले में एक निवेदन और करना चाहता हूं। जमींदारी टूटने के बाद बड़े प्रशंसा भरे शब्दों में अपने ही लिए मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि उन्होंने इस प्रदेश में अनअथरा-इज्ड आकूपेशन को भी कानूनी करार दिया। श्रीमन्, जहां आपने गैर-कानूनी कब्जे को कानूनी करार दिया वहीं आपने यह भी कर दिया कि वह गैर-कानूनी कब्जा आज छोटे-छोटे किसानों के लिए सिर दर्द बन रहा है। कोई माननीय सदस्य यह कह सकते हैं कि सवा छः एकड़ और तीन सही एक बटे आठ एकड़ से उसका सम्बन्ध कैसे है।

श्रीमन्, उसका सीधा सम्बन्ध इसलिए हो जाता है कि अगर आज की तारीख में, या जिस तारीख को यह बिल ऐक्ट की शक्ल ले, या जिस तारीख को प्रदेश में लागू हो, उस तारीख को अगर किसी आदमी के पास तीन सही एक बटे आठ एकड़ जमीन है और कल गैर-कानूनी कब्जे की हैसियत से उसके ऊपर ज्यादा जमीन आ जाती है, किसी मुकदमें वगैरह से, तो फिर क्या होगा तो मेरा निवेदन यह था कि गैर-कानूनी कब्जे को मेहरबानी करके तोड़ने की कोशिश कीजिए। यह छोटे-छोटे किसानों के लिये अनावश्यक लिटीलेशन का और दिमागी परेशानी का कारण बन रहा है। साथ ही राजस्व विभाग के कर्मचारियों की इस मामले मे बन आती है। मैं एक ओर निवेदन करना चाहता हूं। अभी कई माननीय सदस्यों नें जिक्र किया और स्वयं सरकार की तरफ से इस बात का जिक्र किया जाता है- सिंचित और असिंचित क्षेत्र का अन्तर। श्रीमन्, सिंचित भूमि की स्थिति यह है कि कि आज प्रदेश में मुश्किल से ३० और ३५ फीसदी के बीच सारी जमीन सिंचित कही जा सकती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट अगर सिंचित की परिभाषा मानने वाली हो क्या सरकार उस जमीन का जो जमीन असिंचित है या जो सरकारी साधनों अथवा निजी साधनों के द्वारा सिंचित नहीं है उस जमीन पर सवा छः एकड़ तक लगान माफ करने की घोषणा करेगी सिंचित और असिंचित भूमि के अन्दर अगर सवा छः एकड़ भूमि घट कर ३ सही १ बटा ८ हो गई तो क्या बाकी जमीन के लिए सवा छः एकड़ जमीन लगान से मुक्त मानी जायगी? एक सीधा सवाल सरकार के सामने यह रहता है। एक और सवाल रह जाता है और वह यह है कि प्रदेश में बाढ़ और वाटर लागिंग का एक बड़ा हिस्सा है। बाढ़ से प्रभावित एरिया में मोटे तौर पर ७९ लाख और १ करोड़ के बीच में एकरेज है।

[श्री कल्पनार्थसिंह---]

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार उस एरिया को मुस्तकिल तौर पर अलाभकर घोषित करके उस जमीन का लगान माफ करने की कोशिश करेगी। सरकार वाटर लागिंग और बाढ़ पीड़ित इलाके के लगभग १ करोड़ लोगों को लगान में माफी दे। अलाभकर जोतों के लिए रियायत हो वह उनको दे। यह बहस इसलिए शुरू हो जाती है कि जब सवा छ एकड़ अलाभकर जोत घटकर ३ सही १ बटा ८ की बात हो जाती है। वहां उस ऐक्ट को उस दृष्टि से न देखने के कारण सवा छः एकड़ के लगान को बढ़ा कर १२ या १५ एकड़ की बात आती है या १० एकड़ तक करने की बात आती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या बुन्देलखंड की हालत है। वहां से मन्त्री जी स्वयं आते हैं। वहां पर डेढ़ एकड़ की जमीन १ एकड़ मानी जाती है दूसरी जगह के बराबर। अगर वहां पर डेढ़ एकड़ जमीन दूसरी जगह के १ एकड़ के बराबर है तो प्रदेश की दूसरी जमीन भी हो सकती है कि उनकी डढ़ एकड़ जमीन को एक एकड़ माना जाय। इस बात के लिए विस्तारित जानकारी मैं सरकार से हासिल करना चाहता हूं। सिंचाई की बात मैंने इसलिए कही कि हमारे राजस्व मन्त्री जी जानते होंगे कि वह जिला ऐसा है कि जिसमें सरकारी नलकूप नाम का १ या २ या ३ से ज्यादा नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जिसजिले में ३ नलकूप बने हो इस प्रदेश में तो क्या सिंचाई के नाम पर उस जिले को आप उसी परिभाषा के अन्दर रखना चाहते हैं कि जो सिंचाई के अन्दर ३ सही १ बटा ८ एकड़ की परिभाषा है। यह वजह क्या है? इसके पीछे एक वजह मालूम हो रही है और वह यह कि जल्दबाजी में राजनीतिक उद्देश्यों के नाते इस विधेयक को लाने की बात हुई और इसलिए मैंने उस बात के लिए जब माननीय मंत्री जी ने मान लिया, उनको मैंने धन्यवाद दिया। इसलिये मैं यह जरूर महसूस करता हूं कि यह विधेयक प्रेसर के अन्दर लाया गया। यह विधेयक इस बात को देखकर लाया गया कि जो बात हम लोग कहें उसको कुछ बिगाड़ दें। हम कहें कि आदमी बनना चाहिये तो शक्ल बन जाय राक्षस की। लेकिन प्रवर समिति में भी इसके जाने की बात है, और जिस प्रकार से सरकार ने आज उदारता दिखलायी है अपने विचारों को रखने की और हमारे विचारों को सुनने की, वहां भी इसी प्रकार की उदारता दिखलाने का कष्ट करेगी न कि राजनीतिक उद्देश्यों से प्रभावित होने की। अपने विचार हम यहां कह भी नहीं पाते, काश, माननीय मुख्य मंत्री जी यहां बैठे होते और वैसी स्थिति में तो माननीय मंत्री जी भी कुछ नहीं कर पाते। क्योंकि वे एक चीज का समर्थन करते हैं तो फिर उसमें न जाने क्या क्या बन्धन लगा देते हैं और इसका बड़ा गुणगान होता है कि क्या क्या किया है...

श्री चतुर्भुज शर्मा---

ज्वाइंट रिस्पांसिबलिटी है, सब की राय से ही काम होता है।

श्री कल्पनाथ सिंह---

आपकी तरफ से यही जवाब होना चाहिये कि ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी है। यह बात हो जाय तो अच्छा है, उसमें मैं कुछ कहता नहीं हूं लेकिन यह मैं जरूर मानता हूं कि वही बात जो ज्वायंट रिस्पांसिबिलिटी की है, फिर शुबहे का कारण बन जाती है क्योंकि विचारों में साम्यता नहीं है क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी सहकारी खेती के विरोधी हैं, माननीय राजस्व मंत्री जी सहकारी खेती के समर्थक हैं, फिर ज्वाइंट रिस्पांसिबलिटी कैसे चलेगी। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं कृषि के मामले में जहां बी० के० डी० और रानी कांग्रेस के लोगों के थोड़ा मतभेद है। तो मैं यह कहना चाहता था कि अगर आपने इस बात को देख कर इस विधेयक का परिधि को बढ़ाने की प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो अब इस बात को भी स्वीकार कीजिए कि लोगों को काम देने की व्यवस्था करें और लोगों को काम पाने का हक है। इधर बैठने वाले जो कांग्रेस के लोग हैं, इस बात मे विश्वास करते हैं कि प्रत्येक प्राणी को काम पाने का पूरा अधिकार है और उसके अधिकार का हम समर्थन करते हैं।

श्री मही लाल (जिला मुरादाबाद)---

जब सरकार में थे तो कितना पूरा किया था ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

माननीय महीलाल जी की एक बात मैं जानता हूं, वे मेरे दोस्त हैं लेकिन बेचारे क्या करें, श्री चरण सिंह ने न जाने कितने लोगों को लटका रखा, और उसी में ये भी हैं बेचारे। लेकिन सबसे बड़ी बात दिक्कत यह हो जाती है कि सवा ६ एकड़ की बात को हमारी सरकार ने स्वीकार किया था या नहीं किया था? अगर हमारी सरकार ने सवा ६ एकड़ तक किया था तो मेहरबानी करके आज ही सवा ६ एकड़ वाली बात मान लें, फिर इस पर बहस समाप्त और इसको प्रवर समिति में भेजने के सम्बन्ध में भी बहस समाप्त हो जाय तथा माननीय रियासत हुसेन साहब जो सिर हिला रहे हैं वह भी मान लें जायेंगे। इसलिए श्री महीलाल जी से करबद्ध प्रार्थना है कि कि वे माननीय मुख्य मंत्री के पास जाकर पूछें कि राजस्व मंत्री जी सवा ६ एकड़ तक की बात मानने के लिये कहते हैं, इसको वे मान लें, बस बात खतम। इतना ही नहीं, मैं इस बात के लिये भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि इस प्रदेश में एक स्वायल कनजर्वेशन स्कीम चलती है। इस स्कीम में सरकार ने जो जमीन अपने कब्जे में ले रखी है वह और जो किसान अपनी जमीन को उर्वरा बनाने के लिये एक ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिये जो कार्यावधि करते हैं वही इन सब चीजों को देख कर अर्थात् और अन्य अवस्थाओं को देख कर उस हिसाब से जिससे कि ३·१/८ एकड़ जमीन का कृषि उत्पादन जितना राजस्व मंत्री जी मानें उस हिसाब से उस क्षेत्र में भी जहां स्वायल कनजर्वेशन स्कीम लागू की जा रही है वहां भी लगान माफी की स्कीम को मानें।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं और वह सरकारी बेंचेज की भूलभुलैया ही है। जब हमने सवा ६ एकड़ लगान की माफी की तो स्वयं सरकारी लोगों ने, जो उस समय कहते थे कि इससे किसानों के पुश्तैनी हकूक छिन जायंगे और न जाने क्या क्या किसानों को मुगालते में डालने के लिये कहते थे। लेकिन आज हमने जिन को समझा रखा है वह उनके मुगालते में नहीं हैं, वह तो इनके नाम पर थूकते हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं उससे तो वह इस प्रस्ताव के द्वारा सरकार की और मदद कर रहे हैं। सरकार तो लगान की माफी नहीं चाहती है और वह उसकी और मदद इस तरह से कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह आप की राय हो सकती है, उन्हें मदद करने का भी और विरोध करने का भी, दोनों का अधिकार है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, उन्होंने कोई जानबूझ कर ऐसा नहीं कहा है। हमारे मुख्य मंत्री जी तो ऐसे बच्चे की तरह हैं जो हमेशा अपनी जीत ही रखना चाहता है, किसी बच्चे को छू दो तो फिर वह लप्पड़ मारता है और वह ऐसा करता ही रहता ह जब तक कि उसकी जीत न हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

यह जो संशोधन है वह...

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इसी तरह से हमारे मुख्य मंत्री जी हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

यह संशोधन श्री रियासत हुसैन, सुखपाल पांडेय, रामकरन सिंह, कल्पनाथ सिंह, शम्भूनाथ चौधरी, भाभी यादव, रामगोपाल संड तथा डूंगर सिंह विष्ट की तरफ से है। वह बोल रहे हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जायसवाल जी और आपका बहुत आभारी हूं। मैं समझता था कि माननीय जायसवाल जी के दल के उपनेता श्री शम्भूनाथ जी की ओर से जो प्रवर समिति का प्रस्ताव है वह सोच समझकर ही दिया गया है और वह बिल की खामियों को दूर करने के लिये है और ३ १/८ एकड़ की जगह सवा ६ एकड़ करने का संशोधन लाये हैं। ऐसा संशोधन रूपनाथसिंह यादव और दूसरे लोगों का है कि यह माफी सवा ६ एकड़ तक कर दी जाय और इस तरह से संशोधन के लिये विधेयक प्रवर समिति के सामने जाय। मैं समझता हूं मेरी बात शुरू होने के काफी देर के बाद श्री जायसवाल जी यहां आये इसलिये मुझे समझने में उन्हें गलतफहमी रही। लेकिन अगर माननीय जायसवाल जी सरकार को मना लें तो आज १२ बजे रात तक भी यह बिल पास हो सकता है, सरकार अभी सवा ६ एकड़ तक के लगान की माफी की घोषणा कर दे।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

भागते भूत की लंगोटी भली, जो भूत भाग रहा है उसकी लंगोटी ही खोल लीजिये।

श्री कल्पनाथ सिंह---

लेकिन मैं समझता हूं इस वक्त भूत फंसा है, वह आप की मुट्ठी में है जैसे चाहें फंसायें।

श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि आज इस प्रदेश की जनता में जो सरकार पक्ष ने भ्रम फैलाया है, उन सिद्धान्तों के बारे में अपनी अनिष्ठा दिखायी है जिससे सवा ६ एकड़ का सिद्धान्त प्रतिपादित होता है, उसके विरुद्ध इस प्रदेश में बड़े पैमाने पर लोगों में गलत फहमी पैदा कर दी है। पिछली सरकार ने सवा ६ एकड़ तक लेने का सिद्धान्त रखा था और यही कार्यक्रम बनाया था। वही सही कार्यक्रम था। उसी के तहत में इस सरकार ने यह बिल पेश किया है जिसको प्रवर समिति में सुपुर्द करने का भी सुझाव है। मैं इन बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी इन बातों पर अपना ध्यान देंगे।

श्री अमरनाथ (जिला वाराणसी)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे राजस्व मंत्री जी ने हमारे संशोधनों को स्वयं स्वीकार कर लिया है इसको प्रवर समिति में भेजने के लिए और सवा ६ एकड़ वाली बात भी उनको स्वीकार है वर्ना वे इस समय उठ कर न जाते। सवा ६ एकड़ तक की जमीन को अलाभकर सिद्ध करने के लिए बहुत से हमारे भाइयों ने कहा भी है और हम तो यह कहते हैं कि सवा ६ एकड़ और ३ १/८ एकड़ जमीन में कोई अन्तर नहीं रहा जिसको स्वयं हमारे मुख्य मंत्री जी भी स्वीकार कर चुके हैं लेकिन उनके बारे में मुझे यह कहना है कि :

"शिकवा मुझे हर्गिज नहीं, उनकी बेवफाई का,
गिला तब हो जब उन्होंने किसी से निबाही हो"।

जहां तक सवा ६ एकड़ की मालगुजारी की छूट का प्रश्न है, उसके सम्बन्ध में हमें प्रवर समिति के सदस्यों से भी प्रार्थना करना है कि यहां से भेजने के पूर्व ही पहले राजस्व मंत्री जी खुद हम लोगों की भावनाओं को समझ चुके हैं कि सबने सवा ६ एकड़ तक की लगान माफी के लिए कहा है।

जहां तक लैंड रेवेन्यू रिफार्म्स की बात है, भूमि वितरण की बात है, पहले तो यह ही निश्चित नहीं है कि १९५२ के जमींदारी एबोलीशन के बाद कितनी जमीन आपके पास बेकार

पड़ी रही, कितनी बंजर रही, कितनी जल खाते रहे, कितनी तालाबों में रहीं, और कितनी सिंचाई की जमीनें पड़ी हुयी हैं। मेरा एक सुझाव है कि १९५२ के बाद आंकड़े तैयार करा लिए जायं कि हर गांव में कितनी बंजर भूमि है, कितने जल खाते हैं, कितने तालाबों की जमीनें हैं और एक निश्चित अवधि रख दी जाय। जो जमीनें बंजर थीं उनको जमींदारों ने पट्टों पर दी। इसलिए सन् १९५२ या किसी समय को आप निश्चित कर दें कि उस समय जितनी जमीनें थीं, उसके बाद उन पर कब्जा करने वालों को हमारी सरकार को चाहिए कि २२९ (बी) में या चाहे किसी भी ढंग से गवर्नमेंट वकीलों से बेदखली करवाने की योजना बनावें। बहुत जगहों पर ग्राम सभाओं के सभापतियों को मिलवा लिया है। इतना ही नहीं मैं आपको बतलाता हूं कि इसमें आपके वकील सरकारी भी मिले हैं। लिहाजा उन पर भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। कितनी में कितनी वकील सरकार ने मंजूर की। कितनी सभापतियों ने मंजूर की। लिहाजा उन सभी जमींनों को बेदखल करवा कर भूमिहीनों को वे दी जानी चाहिये।

दूसरे जलखातों और तालाबों का मामला भी बड़ा परमार्थ का रहा है और असली सेवा और देशभक्ति यही रही। हमारे यहां जितने जलखाते हैं वे सब परती जमींनों में दर्जकर दिये गये। सूखे भी पड़े जा रहे हैं लेकिन कब्जे किये जा रहे हैं। ट्यूबवेल की हालत यह है कि ट्यूब-वेल की लाइफ १५ या बीस वर्ष है। बहुतेरी जगहों में तीन वर्ष भी नहीं है। इसलिये जलखातों पर बहुत सख्त ध्यान देने की जरूरत है। हमारा एक सुझाव है कि हमारी सरकार को चाहिये कि इन जलखातों को अपनी जगह पर ज्यों का त्यों कायम कर दे। तीसरा सुझाव यह है कि कुछ सुरक्षित जमीनें जरूर छोड़नी हैं मिलीटरी वालों के लिये छोड़ दी गई हैं, अन्धे, लूले लंगड़ों के लिये छोड़ी गई हैं। कुछ अन्याय जरूर उनके साथ है जो गवर्नमेंट सर्विस में हैं। अकेले मियां बीबी हैं। २५० रुपये की उनकी आमदनी है। यहां नौकरी करने आये हैं पर उनकी जमीन सीरदारी में ले ली गई है। यह तो उनके साथ आखिर अन्याय है। चरागाहों का नाम लिया जाता है। लेकिन यह नहीं कहा जाता कि गांव की जितनी आबादी हो उस हिसाब से चरागाह छोड़े जायं। अभी यह कहा गया कि लगान का विवरण अमीराना और रईसाना है। मेरा ख्याल है कि जमीन का वर्गीकरण गोइड नं० १, गोइड नं० २, गोइड नं० ३, गोइड नं० ४ और पौलो नं० १, पौलो नं० २, पौलो नं० ३ और पौलो नं० ४ के हिसाब से है। और अगर इसमें कोई फर्क पड़ता है तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट पटवारी से जांच करा के फिक्स करा लें। लेकिन काश्तकारों के लगान के डबुल खाते हो गये हैं उन पर गवर्नमेंट को गौर करना चाहिये। बीसयों बार कलेक्टर और तहसीलदारों से शिकायत की गई ह पटवारियों की लापरवाही की। मेरा सुझाव है कि तीन साल के भीतर ही पटवारियों का हलका बदल देना चाहिये। वह तीन साल के बाद तक रहता है तो इतनी हेर फेर होती है। संशोधन का प्रस्ताव सुपुर्द कर दिया गया है और हम आशा करते हैं कि मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे।

श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे संशोधन विधेयक पर बोलने का अवसर दिया। यों तो इस सदन में इस विधेयक पर हमारे माननीय सदस्यों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। मैं भी इस विधेयक पर अपने सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर एक ऐसा जिला है जहां की भूमि की स्थिति बहुत ही गम्भीर है। मान्यवर, मैं लगान के बारे में विशेष नहीं कहना चाहता। लेकिन इतनी सी बात जरूर सदन को आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि ३ १/८ एकड़ की जगह पर सवा छः एकड़ भूमि का लगान माफ होना चाहिये। इससे बहुत लोगों को फायदा होगा। मैं मिर्जापुर जिले के राबर्ट्सगंज तहसील का जिक्र करना चाहता हूं। जब कि पूरे प्रदेश में जमींदारी विनाश सन् १९५२ में लागू हुआ लेकिन उस क्षेत्र में जमींदारी विनाश नहीं लागू किया गया। वहां के भूतपूर्व जमींदार ने हाई कोर्ट में पैटीशन कर दिया फलस्वरूप वहां की जमीन का १९६४-६५ तक कोई रिकार्ड नहीं बनाया गया, कोई सेटिलमेंट नहीं कराया गया मान्यवर, उसी क्षेत्र के बगल में बुढी क्षेत्र में सेटिलमेंट हुआ है और वहां के लोग सीरदार बना दिये गये हैं। हमारे क्षेत्र में

[श्री सूबेदार प्रसाद]

१९६४–६५ में सर्वे सेटिलमेंट न करा कर रिकार्ड आपरेशन ही कराया गया है। वहां के जमींदारों ने जमींदारी विनाश कानून को लागू होने से रोक दिया। उन्होंने रिट पिटीशन दायर कर दिया। इस प्रकार लोग लगान तथा टोड़ाबन्दी पर जमीन काश्तकारों को देते रहे। लेखपाल घर बैठे बैठे पड़ताल करता रहा। जिसके नाम लेखपाल ने जमीन दर्ज कर दी वही उसके मालिक हो गये। जिसके नाम जितना जमीन दर्ज कर दी गई वे तो सीरदार हो गये, शेष जमीन वर्ग ४ में चली गयी और इस प्रकार वन विभाग का उस पर कब्जा हो गया। मैंने कई बार निवेदन किया कि मंत्री जी वहां जाकर इस चीज को देखें। माननीय राजस्व मंत्री जी जब राबर्ट्सगंज गये थे तब उस क्षेत्र की जनता ने उनसे निवेदन भी किया था कि वहां का आप सर्वे करायें, वहां का सेटिलमेंट करायें और जिस जमीन पर लोग पुश्त दर पुश्त से काश्त करते चले आ रहे हैं वह जमीन उनके नाम की जाय। जो गलत तरीके से जमीन वर्ग ४ में चली गयी है, है उनकी पुश्तैनी जमीन है। आपने एक आश्वासन भी दिया था और एक आफिसर की नियुक्ति भी की है, मगर उन्होंने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की। यही पता नहीं कि वह आफिसर कहां बैठता है। जब वहां का कोई रिकार्ड ही नहीं है तो किस प्रकार वह जमीन वन विभाग के सुपुर्द कर दी गयी। पीपरखाड़, चांचीकला और चांची खुर्द मौजों की जमीन बड़े बड़े लोगों ने अपने नाम दर्ज करा ली है, जो गरीब लोग काबिज थे उनसे इस्तीफा भी दिला दिया है। इस जमीन पर हरिजन आदिवासी लोग बहुत समय से रहते आ रहे थे। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि बड़े-बड़े लोगों से जमीन लेकर, उसे छोटे-छोटे लोगों को जिनका वास्तव में कब्जा रहा है, दिलवाने की कृपा करें। मान्यवर, सरकार ने हर जगह जमींदारी खत्म कर दी, मगर हमारे राबर्ट्सगंज क्षेत्र में जमींदारी खत्म नहीं हुई है। कारण यह है कि यहां के भूतपूर्व जमींदारों ने रिट दायर कर दी है। आज कल गरीब काश्तकारों को बेदखल किया जा रहा है। जब हाई कोर्ट में रिट दर्ज है, तो सरकार को इस बेदखली की कार्यवाही को तुरन्त रोक देना चाहिये। मंत्री जी ने मेरे एक प्रश्न के उत्तर में यह बतलाया भी था कि पहली जुलाई, १९७० से वे इसे समाप्त कर देंगे। मगर तब तक के लिये आप बेदखली की कार्यवाही को तो रोक दीजिये।

लगान के संबंध में भी कहना चाहता हूं। हमारे यहां गरीब काश्तकारों से ८–८ रुपये बीघा लगान लिया जाता है, जब कि बड़े-बड़े काश्तकारों से, जिनके पास ४–४ सौ बीघा जमीन है उनसे ८ आना बीघा लगान लिया जाता है। सरकार को इस असमानता को दूर करना चाहिये।

साथ ही बड़े लोगों ने छोटे काश्तकारों की जो जमीन वर्ग ९ में दर्ज करा ली है और उस पर अपना कब्जा कर लिया है वह वापस दिलाई जाय। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह परगना अगोरी की जो समस्या है, यह एक गम्भीर समस्या है। वहां पर रिकार्ड आपरेशन के द्वारा जो जमीन छीनी जा रही है, उसको कैंसिल करके फिर से रिकार्ड तैयार किया जाए। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि फिर से सेटिलमेंट कराया जाए। श्रीमन्, वहां पर सूखा पड़ता ही रहता है, वहां पर सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी हमारी सरकार ने वहां के लिए सोन लिफ्ट योजना चालू करने को थी, लेकिन उसे अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है। जो सरकार सिंचाई की व्यवस्था नहीं कर सकती है, वह कैसे कहती है कि हम ३ १/८ एकड़ तक का ही लगान माफ करेंगे। हम जो खेती करते हैं वह आसमान के सहारे करते हैं, सरकार ने सिंचाई साधनों द्वारा कोई सहायता नहीं की है। यदि सरकार सिंचाई की व्यवस्था नहीं कर सकती है, तो वह सारा लगान माफ कर दे। ऐसी सरकार को लगान वसूलने का अधिकार ही नहीं है। मैं आपका ध्यान वहां पर जो रकबे का हिसाब है, उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। यह बुन्देलखंड और मैदानी भाग का १ एकड़ तो पहाड़ी क्षेत्र का दो एकड़ था, जिसको कि अब घटा कर एक और डेढ़ एकड़ का कर दिया गया है। लेकिन हम इसको कैसे स्वीकार कर सकते हैं जब सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है, तो आप इसको हटा कर हमारे साथ अन्याय करेंगे। यदि हमें सिंचाई की सुविधा हो तो हम संहर्ष लगान दे सकते हैं। किन्तु वर्तमान हालत में सरकार को लगान मांगने का भी हक नहीं है। सरकार

सोचें कि लगान माफी की बात क्यों उठती है ? हम लगान नहीं देंगे जब तक आप बेटर सुविधाएं हमें नहीं देते, फर्टलाइजर नहीं सुलभ बनाते। तब तक आपको हक नहीं है लगान वसूल करने का। मैंने मंत्री जी से निवेदन किया है कि परगना अगोरी में रिकार्ड आपरेशन रोका जाए, लेकिन दु:ख के साथ कहना पड़ता है, वहां आप देखें वर्ग १६ में कुवें और मकान हैं, डिमार्केशन कर दिया गया है। वहां का किसान परेशान है। हालत यह है कि किसी किसान ने अगर रिश्वत नहीं दी तो पत्थर गाड़ दिया गया, और यदि दे दी तो सब ठीक हो जाता है। कोई देखने वाला नहीं है। इससे सम्बन्धित करीब २५ हजार मुकदमें वन विभाग द्वारा चलाये जा रहे हैं। बेचारे किसान मारे मारे फिरते हैं, उनकी जमीन बेदखल कर दी गई है वह वन बिभाग को सुपुर्द कर दी गई। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जमीन गलत ढंग से वन विभाग को दी गई है उसको फिर से गरीबों को वापस कर दिया जाए और रेकर्ड आपरेशन का नोटिफिकेशन रद्द कर दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अपने को संशोधन तक ही सीमित रखें।

श्री सूबेदार प्रसाद—

इस प्रकार जो मैंने यहां पर सुझाव दिए हैं उसे मंत्री जी स्वीकार कर लें और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस संशोधन को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जिससे उसकी परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं जो प्रवर समिति का संशोधन है इसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सन् १९४६ से हमारे दल का जो सरकार पर दावा था, जिसकी डिग्री १ जनवरी, १९७० को की गयी कि सवा छः एकड़ का लगान माफ होगा, उसके पक्ष में मैं खड़ा हूं। मैं माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि कानूनी दृष्टिकोण से अलाभकर जोत सवा छः एकड़ है या सवा तीन एकड़ है इसको हमेशा के लिए सदन ने तय कर दिया है जब पहली जनवरी को बहुमत की सरकार ने पास कर दिया कि सवा छः एकड़ अलाभकर जोत है। जैसे किसी नागरिक या गवर्नमेंट के बीच में कोई मुकदमा होता है और अदालत से फैसला हो जाता है। उसके बाद रेस जुडिकेटा के प्रिंसिपल के अनुसार वही मुकदमा दोबारा दायर नहीं हो सकता। तो प्रश्न यह है कि जब तक गवर्नमेंट पर यह पाबन्दी है सवा छः एकड़ को अलाभकर जोत है और सदन ने इसको घोषित कर दिया है, तो सवा छः एकड़ के संशोधन को मान कर विधेयक को पारित करवा लें इसके अलावा कोई छूट नहीं है। दूसरे जब इस सदन ने मान लिया कि सवा छः एकड़ का लगान माफ होना चाहिए तो यह सदन स्टापेल से बाध्य है। संविधान की धारा २१३ के मुताबिक अगर राज्यपाल ने संतुष्ट होकर कोई आर्डिनेंस जारी कर दिया है तो पूरे प्रदेश के लिए मान्य है जब तक सदन आकर पारित न करे। उपखंड (२) में दिया हुआ है—"इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो राज्यपाल द्वारा अनुमति राज्य के विधान मंडल के अधिनियम का होता है।" (दिस इज ऐन ऐक्ट आफ दि लेजिस्लेचर,) जिस अध्यादेश को गवर्नमेंट ने छः महीने के अन्दर लैप्स कर दिया। यह एस्टापेल है। इस चीज को आप बहस में नहीं ला सकते कि सवा तीन एकड़ या सवा छः एकड़ अलाभकर जोत है। दूसरा प्रिंसिपिल आफ रेस जूडोकेटा ऐप्लीकेबिल है जिससे यह माननीय सदन और गवर्नमेंट पाबन्द है कि इस सवा छः एकड़ पर कंट्रोवर्सी न हो।

श्री उपाध्यक्ष—

कौन सी धारा है ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

संविधान की धारा २१३ का उपखंड (१) और (२)। १९४६ में भी एक कमेटी बैठी थी। उसके अन्दर अलाभकर जोत का मसला आया था। फिर कांग्रेस के प्रस्ताव में आया। इस पर काफी बहस हो चुकी है। १९६९ में और इसके पहले भी बहस हुई जब माननीय शर्मा जी और माननीय गेंदासिंह मंत्री नहीं थे और इधर बैठते थे तब कटौती के प्रस्ताव में था कि सवा छः एकड़ का लगान माफ होना चाहिए। १९६७ के बजट में कहा गया था। और १९६९ के चुनाव घोषणापत्र में भी कांग्रेस ने कहा था कि सवा छः एकड़ अलाभकर जोत रखते हैं। लेकिन कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क है। एक तरफ समाजवाद का नारा इंदिरा गांधी दिल्ली से दे रही हैं दूसरी तरफ आर्थिक विषमताएं, छोटे बड़े का फर्क बढ़ता जा रहा है। हिन्दुस्तान जब आजाद हुआ तो आशा थी कि आजादी के बाद देश में जनधन का सदुपयोग होगा। लेकिन लगातार २२ वर्षों में धन का दुरुपयोग हुआ। हमारे नेता ए० आई० सी० सी० के बहक गये। और जो असली हिन्दुस्तान था उसको उन्होंने नहीं समझा। मैं चुनौती देता हूं मुख्य मंत्री व माल मंत्री को कि जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट जो पास हुआ है वह छोटे किसानों का विरोधी है, हरिजनों का विरोधी है, पिछड़े वर्ग का विरोधी है। मैं जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट की उस धारा की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें हरिजनों के लिये दुहाई दी है। वह धारा १९८ जिसमें भूमिहीनों को जमीन देने की बात कही गयी है लेकिन यह धारा हरिजनों व भूमिहीने के खिलाफ है क्योंकि जमीन देने की बात जो है वह प्रायरिटी नं० २ पर है। नं० १ में गांव समाज की जमीन को किसी इंस्टीट्यूशन अथवा स्कूल को देने की बात कही गयी है और ये स्कूल उनके हैं जो पुराने जमींदार अथवा रईस थे। कानून के मुताबिक अगर कोई गांव समाज उनके खिलाफ काम करता है तो कोर्ट उसको रद्द कर देगी। पहले स्कूल के मैनेजमेंट को प्रिफ्रेंस दिया गया है। यह १९८ कांग्रेस सरकार की समाजवादी नीति के विरुद्ध है और इसको आज के मुख्य मंत्री चरण सिंह ने बनाया था जिन्होंने हरिजनों अथवा छोटे किसानों के लिये कभी कुछ नहीं किया।

मैं बतलाना चाहता हूं कि तहसील चायल के ग्राम उझनी में तथा सोरांव तहसील में कायस्थ पाठशाला के नाम साढ़े तीन हजार एकड़ जमीन दे दी गयी। इसका जब हमने विरोध किया तो सोशलिस्ट पार्टी के खिलाफ फर्जी मुकदमें करा कर उसके कार्यकर्ताओं को पकड़ लिया गया और कहा गया कि नक्सलवादी हैं। आखिर में पट्टे उसके कैंसिल हुए और कमिश्नर के यहां अपील हुई। दोनों मामलों में साढ़े तीन हजार एकड़ जमीन दी गयी जिस पर एक हजार परिवार गुजारा कर सकते थे। इस जमीन पर कोई स्कूल खोलने की स्कीम नहीं थी केवल प्राफिट लेने की बात थी। अगर धारा १९८ में तरमीम की गयी होती तो मैं समझता कि यह हरिजनों के हित में है। कटौती के प्रस्ताव में यह कह दिया गया था कि १९८ डिफेक्टिव है, भूमिहीनों को जमीन नहीं मिल रही है लेकिन आज तक उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। वह बड़ी मिसचीवियस दफा है। आप देखें इसमें आगे कि कुछ ऐसी जमीनें हैं तालाब, बंजर रेलवे वाली उनको भी आसामी ले सकता है। गांव समाज की भी वह ले ले और रेलवे वालों की भी ले लें। इस चीज को इसमें से निकाल दिया जाय क्योंकि आसामी को १००, १५० बीघा जमीन तो यों ही मिल गयी है। तो इसको दुबारा जमीन क्यों दी जाय ? यह जो इनक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन आफ लैंड है उससे आर्थिक विषमताएं फैलती जा रही है। सरकार उधर ध्यान नहीं दे रही है। बड़े लोग ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। इसके ऊपर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है।

तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो इन २२–२३ सालों के अन्दर लेजिस्लेशन हुआ है उसमें एक फीसदी लेजिस्लेशन जनता के लिये नहीं हुआ है जिससे कि उसका फायदा हो। उस गरीब जनता को कुछ भी इसका पता नहीं है कि हमारे देश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चल रही है किन्तु जिस दिन उसे पता चल जायेगा तो वह इसे अपना दुर्भाग्य ही समझेगा। मैं मान्यवर, एक बात और बता दूं कि एक किताब भारत सरकार की है जो कि रिसर्च प्रोग्राम कमेटी प्लानिंग कमीशन, गवर्नमेंट आफ इंडिया ने प्रकाशित कराई जिसका नाम है "एस्टडी

आफ लैंड रिफार्म इन उत्तर प्रदेश" जिसकी रिपोर्ट की ड्राफ्टिंग जनवरी, १९६२ में पूरी हो गई थी। यह किताब हमारे विधान सभा सचिवालय में है। इसमें सुझाव दिया गया है कि जमीन किन भूमिहीनों को दी जाय, उसकी मालगुजारी कितनी हो। मैं अपका ध्यान इस किताब के उस पैरा की ओर दिलाना चाहत हूं कि जिसमें यह स्पष्ट है कि पूर्व पश्चिम का सवाल गवर्नमेंट उठा रही है। गवर्नमेंट ने सोचा कि सवा छः एकड़ होल्डिंग ज्यादा है और सवा छः एकड़ करने से पश्चिम वालों को लाभ नहीं होगा इसलिये तीन सही एक बटे आठ एकड़ किया जाय। इस किताब के पेज १३२ में ८–४ एवरेज साइज आफ होल्डिंग के बारे में यह लिखा है

The average size of holding under all tenures of the sample households has been worked out by the principal tenure of a household and analysed separarately by regions, occupation and castes. These figures indicate that the average size of a holding is a little more than 7.0 acres in the State as a whole 7.5 acres in the western districts, 5.2 acres in the central, 12.8 in Bundelkhand and 5.8 acres in the eastern district. The average holdings of the farmers are the largest being 17.6 acres and the smallest are those of agricultural labourers at 2.4 acres. The non-agriculturists have an average holding of 4.0 acres and the tillers of 6.8 acres. Again, the average holding of the upper caste Hindu households is the largest at 11.4 acres and that of the scheduled castes the smallest at 3.9 acres. The average holding of the intermediate castes works out at 5.8 acres and the Muslims at 6.6 acres.

मान्यवर, हिन्दुओं में जातिवाद जन्म से चला आ रहा है। यह एक विशाल चीज है। अपर कास्ट हिन्दू हाउस होल्ड के लिये सबसे ज्यादा ११–४ एकड़ और शिड्यूल्ड कास्ट के लिये सबसे कम ३–९ एकड़ है। हमारे यहां ८० फीसदी लोग ऐसे हैं जो सवा छः एकड़ के अन्तर्गत आ जायेंगे और उनको लाभ हो आयगा। जमींदारी एबोलिशन और लैंड रिफार्म्स ऐक्ट पैरा ३१७ में दिया है कि—

317. *Uneconomic holding* (1) If the aggregate area of all the holdings held by any *bhumidhar* or *sirdar* in any circle is less that such figure as the State Government may, by notification in the *Gazette*, declare, the said holdings shall collectively be called "uneconomic holding" of the *bhumidhar* or the *sirdar*."

तो यह सरकार चाहती है कि जितना ही ज्यादा किसान एक्सप्लाइट किया जाय उतना ही अच्छा है। इन आजादी के २२ सालों में जो किसान हैं और ज्यादातर छोटे किसान ही अधिक एक्सप्लाइड हुये हैं।

Agra Tenancy Act, 1926 *sub-section* 26: The cost is taken into account determining the rent payable by the tenant. (B) Class of persons who are privileged society.

तो इसको देखते हुए मालगुजारी को और भी कम होना चाहिये। तो मान्यवर, आपको बताऊं कि जमींदारी एबोलिशन से सीरदार और खुद काश्तकार भूमिधर हो गये और छोटे-छोटे किसान नुकसान में रहे। जब हमारा कान्स्टीट्यूशन सोशल जस्टिस के बारे में एश्योर करता है तब आपको अनएकोनामिक होल्डिंग की परिभाषा को मानना ही चाहिये। इसका एक इतिहास है और सन् १८७३ में पहला ऐक्ट पास हुआ। उसके बाद १८८१ में दूसरा कानून बना, फिर १८८६ में टेंनेंसी ऐक्ट बना, फिर १९०१ में में बना, फिर १९२६ में बना, फिर जब कांग्रेस मिनिस्ट्री बनी तो १९३९ में बना। उसके बाद जमींदारी एबोलीशन १९५१ में बना। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट को सब कानूनों को मिला कर रख दिया गया है। यहां तक कि वहां की डेफीनीशन्स को भी ज्यों का त्यों नाम बदल कर रख दिया गया है। सीर होल्डर और

[श्री रूपनाथ सिंह यादव]

खुदकाश्त की जो तारीफ वहां थीं, उनको ही यहां मान लिया गया है। इस तरह से यह एम्टी पीपुल ऐक्ट बनाया गया है। उसमें जो हम यह कहा करते थे कि जमीन जोतने वाले को मिलेगी, टिलर आफ दि स्वायल को मिलेगी, वह बात तो रही नहीं। लिहाजा उससे जो फायदा हुआ, वह अमीरों को ही हुआ, बड़े किसानों को सुपीरियर राइट्स दिये गये और छोटे किसानों को इनफीरियर राइट्स दिये गये। और उसका आजतक कोई सेटिलमेंट भी नहीं कराया गया। इसलिये सवा छः एकड़ तक की होल्डिंग को अनएकोनामिक मान कर उस पर से लगान माफ कर दिया जाना चाहिये। यह काम आज के ही दिन हो जाना चाहिये। आज ही मंत्री जी इसकी घोषणा कर दें और इस कानून को आज ही यह हाउस पास कर दे। इस सरकार ने गुप्ता जी से सक्सेशन पायी है। उस सरकार ने सवा छः एकड़ की लगान माफी की बात को मान लिया था, इसलिये इनको भी मान लेना चाहिये। वरना जनता को यह मान लेना चाहिये कि यह सरकार समाजवाद की विरोधी सरकार है। माना कि गुप्ता जी की सरकार ने इसको दबाव वश किया था, लेकिन वही दबाव उनके ऊपर भी तो हो जाता है। इसलिये वे आधा ही क्यों मानें, पूरा सवा छः एकड़ ही क्यों न माल लें। पूरे प्रदेश की जनता की जो डिक्री सवा छः एकड़ की हो चुकी है, उसको उसे स्वीकार कर लेना चाहिये। सरकार के हित में भी यही है कि आर्डिनेंस द्वारा जो कानून पास किया गया था उसको यह सरकार भी तस्लीम कर ले। अगर मंत्री जी इस सवा छः एकड़ वाली बात को मान ले तो मैं यह निवेदन करूंगा कि प्रस्तावक महोदय उसको प्रेस न करेंगे और इसको आज ही पास कर दिया जायगा। २२ साल हो गये हमको इस असेम्बली में बैठते हुए, हमने अपने वेतन और भत्तों को तो बढ़ा लिया है। सारी एमीनिटीज एम० एल० ए० और एम० पी० को तो हो गई है उसी गरीब के नाम पर मही लाल जी चुनाव लड़ते हैं लेकिन आज हाउस में हिम्मत नहीं है कि सवा ६ एकड़ के बारे में बोल दें।

श्री महीलाल—

प्रस्ताव तो आपके डिप्टी लीडर का है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

इसलिये जो हमारे माननीय सदस्य सत्तारूढ़ दल में बैठे हैं, जो बहुत ही गरीब और छोटे काश्तकार हैं, उनको चाहिये कि इस सरकार को झुका दें कि जो प्रस्ताव आर्डिनेंस के जरिये मान चुके हैं उसको यह सरकार माने क्योंकि हमेशा सरकारें चलती हैं गरीबों के लिये। जनता द्वारा, जनता के लिये और जनता की सरकार होनी चाहये। तो जनता के लिये सरकार अभी नहीं हुई है खाली जनता द्वारा और जनता की हुई है। संविधान का अनुच्छेद १५ (४) आप देखें तो उसमें दिया हुआ है कि पिछड़ों को सहायता देना, समान अवसर देना, स्कूलों में, मेडिकल कालेजों में, इंजीनियरिंग में। तो यह सरकार संविधान की हत्या कर रही है। जनता से तो कहती है कि बाएं चलो और खुद दाएं चलती है। तो कैसे शान्ति और व्यवस्था रह सकती है। तो सबसे पहले सरकार अपनी नीयत और अपनी नीति सही बना ले तो जो दुनिया भर की चर्चा सुनाई देती है नक्सलपंथियों की और सब क्रांतियों की वह नहीं होगी वरना एक दिन आयेगा कि क्रांति होगी और फिर आपके वश का नहीं रहेगा। इस किताब में सरकारी रिपोर्ट है कि इनइक्विटेबिल डिस्ट्रीब्यूशन आफ लैंड यू० पी० में है। मैं तो कहता हूं कि सरकार खुद टेकओवर कर ले सारी लैंड और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे, सीरदारी और भूमिधरी का डिफरेंस खत्म कर दे। यही एक क्रांतिकारी कदम होगा वरना कहने को कुछ और करने को कुछ वाली बात होगी। थ्योरी और प्रैक्टिस में जब तक एकरूपता नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा।

अन्त में मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस तरह से शर्मा जी ने हाउस के अन्दर रियासत हुसैन साहब के प्रस्ताव पर आश्वासन दिया है उससे कुछ बल मिलता है और प्रवर समिति के लिये जो आश्वासन दिया उससे और भी ज्यादा। अगर इस तरह से सवा ६ एकड़ के विषय में, जो अलाभकर जोत है, आज ही आश्वासन दे देते तो हाउस के अन्दर कितनी खुशी छा जाती। मैं समझता हूं कि ऐसा संभव है, अभी समय है, इस बात को वह मान लें। दूसरे मुझे यह भी निवेदन करना है कि पक्ष विपक्ष, दोनों तरफ के सवा ६ एकड़ के विषय में मांग उठती रही है और कहा जाता रहा है कि यह अलाभकर जोत है, इसको लगान से मुक्त किया जाय। जो शर्माजी को इसको मान लेने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिये। शर्मा जी ने कहा कि पक्के ५ बीघे तक वाले किसानों का लगान माफ करने से ६८ फीसदी किसानों पर इसका असर पड़ेगा और ५ करोड़ २५ लाख रुपये की लगान में हानि होगी। मैं शर्मा जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस हानि की तरफ अधिक न देखें। यह हाउस उस हानि को पूरा करने के लिये तमाम रास्ते निकाल सकता है। कुछ दिन पहले जब संविद की सरकार थी तो मुझे मालूम है कि मेरे जिले की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई थी सरकार को कि गंगा घाट की बालू कुछ चन्द किस्म के जमींदार सरकारी बालू को भी बेच लेते हैं। उसकी जांच हुई और उसके बाद वह बालू सरकारी करार दी गई और इस समय ४०–५० हजार रुपये उसकी कीमत है और यह कीमत बढ़ती चली जा रही है। इसी प्रदेश के अन्दर बहुत से मेले और बाजार हैं जो सरकारी जमीन के ऊपर लग रहे हैं। उससे भी राजस्व की आमदनी बढ़ायी जा सकती है। इसलिये राजस्व मंत्री इस घाटे को यकायक न देखें बल्कि जिन फायदे के विषयों की तरफ मैं उनका ध्यान दिला रहा हूं उधर देखें तो ज्यादा अच्छा हो और सवा ६ एकड़ तक के किसानों का लगान माफ करें। दूसरा एक निवेदन यह भी है कि इस समय राजस्व विभाग की तरफ से दुधारू तलवार लटकती रही है।

अब भी ११५ की बेदखलियां हो रही हैं। बड़े आदमी बच जाते हैं और छोटे-छोटे किसान जो भूमिहीन थे अगर उन्होंने छोटी सी जगीन जोत ली है तो उनके ऊपर ५०, ५० गुना जुर्माना होता है। मैंने पिछली बार इस हाउस में भाषण में कहा था और राजस्व मंत्री जी को लिख कर दिया था कि गरीब किसानों के ऊपर १०, ११ हजार रुपये तक जुर्माना हुए हैं उसकी तरफ ध्यान देना चाहिये। मैंने लिखा था कि फलां गांव के जमींदार ने जो जमीन छूटी उसको जोत लिया है, उनकी ११५ के अन्दर बेदखली कराई जाय, लेकिन उनको नहीं बेदखल किया गया और गांव के जो भूमिहीन किसान और छोटे किसान थे उनको बेदखल किया गया। सरकार को चाहिये कि इस तरफ तुरन्त कार्यवाही करे, नहीं तो एक तरफ आप सुविधा पहुंचाने की बात कर रहे हैं, छोटे किसानों का लगान माफ करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो हरिजन भूमिहीन हैं, जो गरीब हैं उनको कानून के जरिये से ११५ की कार्यवाही के जरिये उजाड़ा जा रहा है, बरबाद किया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि इसको रोकें और उनको तबाही और बरबादी से बचावें नहीं तो गरीबी और भुखमरी दिन प्रतिदिन प्रदेश में अपना घर करती चली जायेगी। यही नहीं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि एक तरफ वन विभाग की जमीन पड़ी हुई है और दूसरी तरफ बेकारी की समस्या दिनोदिन फैलती जा रही है, हजारों लाखों और करोड़ों की तादाद में प्रदेश के अन्दर बेकार घूम रहे हैं। ये उस वन विभाग की भूमि पर या उन जमीनों पर जिन पर लोगों ने नाजायज कब्जे कर रखे हैं, यदि उनको मिल जाय और उस पर वे खेती करें तो बेकारी की बहुत कुछ समस्या हल हो सकती है। नक्सलपन्थी है बिड़ला, नेवटिया और लखीमपुर खीरी वाले जो दो, दो हजार बीघे जमीन पर कब्जा किये हैं। उस जमीन को भूमिहीन गरीबों में बांटा जाय और सवा छः एकड़ तक की जमीन पर लगान माफ किया जाय।

श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा, फतेहाबाद)—

मान्यवर, जब राजस्व मंत्री घोषणा कर रहे थे कि जमुना पार की जमीन जिसकों दो एकड़ की कीमत एक एकड़ की जमीन के बराबर मानी जाती आई है शर्तियो से उसको अब

[श्री हुकुमसिंह परिहार]

डेढ़ एकड़ की कीमत के बराबर माना जायगा मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। जमुनापार की जमीन बहुत ही कम उपजाऊ है। इसी कारण यह मान्यता २२ साल से यह सरकार भी मानती रही है। उसको आज हटा दिया गया यह उस इलाके के लिये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मान्यवर, माननीय महीलाल जी गड़बड़ कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बोलें।

श्री हुकुमसिंह परिहार—

उस इलाके में कोई विशेष खर्चा नहीं किया गया, सिंचाई की व्यवस्था नहीं हुई। आगरे जिले में दो तिहाई जमीन असिंचित है। जमुनापार के इलाके में कोई विकास का काम नहीं हुआ तो यह भूमि की कीमत कैसे बढ़ गई? मान्यवर, मेरे पास आंकड़े है।

श्री उपाध्यक्ष—

समय नहीं है। आप आंकड़े न बतावें।

श्री हुकुमसिंह परिहार—

जमुनापार की जमीन दो तिहाई असिंचित पड़ी है। ३-१/८ एकड़ के बारे में लगान माफी की घोषणा की गई है। इस सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं कि जब पूरे प्रदेश में इसको किया जाय तो वहां सवा छः एकड़ तक माफ किया जाना चाहिये और जब पूरे प्रदेश में सवा छः एकड़ तक किया जाय तो वहां साढ़े बारह एकड़ तक किया जाना चाहिये। अगर ऐसा नहीं किया गया तो श्रीमन् जनुमापार के इलाके के साथ बड़ा भारी अन्याय होगा।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मैं बड़ा आभारी हूं जिन लोगों ने मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया। भानु बाबू और माधव प्रसाद जी त्रिपाठी के समर्थन के बाद जो माननीय मंत्री जी, ने प्रवर समिति को भेजने का ऐलान किया है मैं उसके लिये उनका भी आभारी हूं। इससे पहले कि मैं अपनी बात खत्म करूं मैं यह जरूर चाहूंगा माननीय राजस्व मंत्री जी से कि माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने जो सवा छः एकड़ तक की जोत को अलाभकर घोषित किया है जमींदारी एबालिशन कमेटी के अनुसार अगर उस पर से लगान हटाने का मंत्री जी अभी ऐलान कर दे तो प्रवर समिति के विचार करने में जो खर्चा है उसकी बचत हो सकती है जसा कि माननीय कल्पनाथ सिंह ने संकेत किया। मैं माननीय मंत्री जी को यह बता देना चाहता हूं कि यह सवा छः एकड़ अलाभकर की जो मांग है इसमें किन-किन लोगों का सैक्शन है। आज सदन का कोई दल इसमें पीछे नहीं है चाहे वह कांग्रस (ओ०) हो, जनसंघ, एस० एस० पी०, स्वतंत्र पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, मेरी प्रसोपा आदि और इंडीकेट कांग्रेस और तब तो जब इंडीकेट और बी० के० डी० का मरजर बहुत जल्दी होने वाला है तो बी० के० डी० भी पीछे इस मामले में नहीं है। इस मांग के पीछे पं० गोविंद बल्लभ पन्त, श्री पुरुषोत्तम दास टंडन, श्री लाल बहादुर शास्त्री आदि का आशीर्वाद रहेगा। आप इस बात का ऐलान कर दें कि सवा छः एकड़ तक की अलाभकर जोतों के ऊपर से समस्त प्रदेश में लगान हटाया जाता है। जमींदारी एबालिशन कमेटी में श्री जहीरुल हसन लारी थे। उन्होंने कहा जो मुस्लिम लीग के लीडर थे—

"I hold it is unjust and cruel to impose rent on such holdings as can not yield any surplus."

आज सारे प्रदेश की जनता, सारे राजनीतिक दल आपके मुंह की ओर देख रहे हैं कि आप इस बात की तुरन्त घोषणा कर दें कि सवा ६ एकड़ तक की लगान माफी होगी। इससे पैसे की भी बचत होगी और समय भी बचेगा। मैं इसके साथ ही माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि अगर वह ऐसी घोषणा कर देते हैं तो काफी उचित होगा।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहूंगा कि माननीय रियासत हुसैन साहब अपना संशोधन रखना चाहते हैं कि नहीं ।

श्री रियासत हुसैन—

अब तो यह जिम्मेदारी माननीय मंत्रीजी की हो गई । अगर वह सवा ६ एकड़ वाला प्रस्ताव स्वीकार कर लें तो मैं अपना प्रवर समिति वाला वापिस ले लूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९७० को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपनी रिपोर्ट एक माह के अन्दर प्रस्तुत करे तथा जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार प्राप्त हो ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, हमारा दल इससे एब्सटेन करता है ।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

श्रीमन्, सदस्यों के नाम बाद में घोषित किये जायेंगे ।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९७०

राजस्व मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९७०, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय। श्रीमन्, यह संशोधन एक छोटा-सा संशोधन है। इस संशोधन को लाने की दो मुख्य बातें हैं—एक तो यह है कि चकबन्दी अदालतों में जो शपथ-पत्र दाखिल किये जाते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के अनुसार पब्लिक नोटेरी को सर्टीफाई करना पड़ता है। उसमें किसानों को बड़ी तकलीफ होती है क्योंकि वह जिले के एक बोर्डर पर रहता है और उस को आने-जाने में काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। यह मांग बहुत दिनों से है श्रीमन्, कि उसको बदला जाय। सिविल प्रोसीजर क अनुसार जो ओथ कमिश्नर अप्वाइंट होते हैं चाहे हाई कोर्ट के हों या और अदालतों के, वही ओथ कमिश्नर चकबन्दी की अदालतों में भी सर्टीफाई करेंगे शपथ-पत्र को और तब दाखिल किया जाय। श्रीमन्, इसलिये यह विधेयक है।

दूसरी बात यह है श्रीमन्, जहां-जहां चकबन्दी पहले हो गई थी सन् १९५४–५५ में वहां न तो चक रोड थी और न गूलें थीं। कहीं थी और कहीं अपर्याप्त थीं और कहीं नहीं थीं। इसमें यह प्राविधान किया जा रहा है कि चूंकि अगर उस इलाके के १० प्रतिशत किसान यह चाहते हैं कि वहां चकबन्दी करा दी जाय। इस आग्रह के लिये कि चक रोड और चक गूल खोल दी जाय और दूसरे यह कि अगर वह न भी करें और डी० एम०; कहीं खुद भी चाहे तो इन्क्वायरी कर के चक रोड और चक गूल करने की जहां जरूरत हो तो उसी परपज के लिए उतना इलाका चकबन्दी में मान लिया जाएगा और उस की चकबन्दी इस हद तक करा दी जाएगी कि जो चक रोड और चक गूल बननी है वह बना दी जायं। तो यह छोटा-सा विधेयक है और बहुत अच्छा है इसलिये मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि इस पर विचार करें।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक उपस्थित किया है मैं उसके लिए उन्हें बधाई देना चाहता हूं। श्रीमन्, शुरू में जब हमारे प्रदेश में जिन जिलों और तहसीलों में चकबन्दी हुई वहां पर बहुत त्रुटियां रह गयीं। उनमें से कुछ को दूर करने के लिए यह विधेयक मंत्री जी लाए हैं। शुरू में जो चकबन्दी कानून बना था उसमें कुछ त्रुटियां थीं, चकबन्दी के कर्मचारियों को अनुभव नहीं था और जनता को भी जानकारी नहीं थी, इसलिए जहां चकबन्दी की गयी वहां गलतियां रह गयीं। कहीं चकरोड नहीं छोड़ी गयीं, नहरें जो निकाली गयीं उनमें गूलों के लिए रास्ता नहीं रहा, चक जो बनाए गए वह ७२-७२ कोने के बन गए....

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

व्यवस्था का प्रश्न है। अब तो चार बज गया, नियम ५१ के प्रश्नों का समय हो गया। यह तो हमारे अधिकारों का हनन है।

श्री उपाध्यक्ष—

अधिकारों का हनन नहीं है। आप लोग जो पहले पास करते हैं उसी के हिसाब से काम होता है। २५ जून को जो पास हुआ था उसी के मुताबिक चार बजे के बाद इसको लेना था।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, आज चार-चार नियम ५१ के प्रश्न हैं। इसको पोस्टपोन कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर महीलाल जी को भी बोलना है। माता प्रसाद जी का संशोधन भी है गूलों और हरिजन आबादियों की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

श्रीमन्, इसमें तो बड़ा पक्षपात हुआ है। राजस्व मंत्रीजी को तो ट्रांस्फर का कुछ शौक है। सी० ओ० उपाध्याय को शाहजहांपुर से सुल्तानपुर भेज दिया और फिर वहां से शाहजहांपुर भेज दिया।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो आप दूसरी बात कह रहे हैं। इस समय तो यह प्रश्न था कि इसको लिया जाय या न लिया जाय।

श्री माता प्रसाद—

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि शुरू में जब चकबन्दी हुई थी तो चकबन्दी कानून में त्रुटियां होने के कारण और कर्मचारियों की अनुभवहीनता के कारण बहुत त्रुटियां रह गयीं। उसमें से कुछ गलतियों को दूर करने के लिये यह व्यवस्था की जा रही है। जहां इस विधेयक के द्वारा यह व्यवस्था कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

मेरा निवेदन है कि नियम ५१ के प्रस्ताव आप अब लेने की कृपा करें।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

समझ में नहीं आता है कि माननीय सदस्य क्या कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी थोड़ा समय इनको देने के बाद २,२ मिनट कुछ लोगों को दिया जायगा। उसके बाद उनको लिया जायगा।

श्री माता प्रसाद—

बहुत सी आबादियों में हरिजन मौजूद हैं उनकी आबादी छोड़ी गयी है लेकिन बहुत जगहों पर हरिजन की आबादी है। उनको चक में एलाट कर दिया गया है। हमारे जिले जौनपुर के शाहगंज में शुरू में जब चकबन्दी हुई थी तो जहां पर तालाब थे वह चक में किसानों को दे दी गयी नक्शे में कहीं बन्दोबस्त कागज में कहीं और मौके पर चक उसका दूसरी जगह दे दिया गया है। इस तरह से १० हजार दरख्वास्तें इस सम्बन्ध में सरकार के पास आई हैं। अभी तक कई साल हो गये १० हजार से ऊपर दरख्वास्तें दी गईं जो अभी तक पड़ी हुई हैं। उन पर कार्यवाही नहीं हुई। वहां पर बड़ा असन्तोष है। ९, ९ कोने के चक दे दिये गये हैं जबकि चकबन्दी में ४ कोने से ज्यादा नहीं दिये जाने चाहिये थे। इस तरह से शाहगंज तहसील में रामपुर, ऊंवागांव और गंगोली गांव में ऐसा हुआ है कि जहां पर आबादी बनी है लेकिन बराबर में किसानों को चक अलाट किये गये हैं....

श्री उपाध्यक्ष—

आप कितना समय लेंगे?

श्री माता प्रसाद—

१० मिनट लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

संक्षेप में कहिये।

श्री माता प्रसाद—

मैं यह कहना चाहता हूं सरकार की जो शुरू में चकबन्दी हुई है जिलों के अन्दर वहां पर सरकार आगे यह व्यवस्था करने जा रही है कि चकरोड के लिये और गूलों के लिये अगर १० फीसदी उस गांव के किसान सरकार को लिखकर देंगे तो सरकार यह व्यवस्था करेगी। मैं चाहता हूं कि हरिजनों की आबादी यदि मौके पर है वह चकबन्दी में बरी कर दें। चकबन्दी में उस को न दिखायें। मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि चक गूल और चक रोड के लिये जहां पर व्यवस्था कर रहे हैं वहां पर अगर वे दरख्वास्त दें और सरकार सही पाये कि आबादी मौजूद है तो कलेक्टर को यह अधिकार हो कि उनकी आबादी को मौके पर दर्ज कर दे। इस तरह से मैं चाहता हूं कि हमारे जिले के शाहगंज में १० हजार गलतियां हैं। गंगोली गांव में हरिजनों की आबादी है लेकिन वहां से चक रोड उन्होंने निकाल दी है। आबादी के ऊपर से चक रोड निकाल दी है। मैं चाहता हूं कि सरकार यह काम अच्छा कर रही है तो इस चक रोड और चक गूल के साथ हरिजन आबादी को भी जोड़ दें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आप के विभाग में यह चकबन्दी का काम होता है और बहुत से कागजात तहसील से किसान जब ले जाता है। उसे तो बहुत नाजायज पैसे देने पड़ते हैं, पुराने रेकार्ड के लिये। इस सम्बन्ध में मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि काश्तकार का सरकारी रेकार्ड लाने का काम चकबन्दी ए० सी० ओ० को दे दिया जाय ताकि जिला स्तर पर जाकर वह जितने सरकारी रेकार्ड्स हैं उनकी नकल करके कर्मचारी के जरिये किसानों को दें और इसके लिये गांव में ही पैसा ले लिया जाय। जब ए० सी० ओ० या सी० ओ० आफिस के कर्मचारी वहां से नकल लेकर किसानों को देंगे तो काश्तकारों को बड़ी सहूलियत हो जायेगी। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार पहले जहां चकबन्दी हुई है उसमें संशोधन कर रही है तो कम से कम हरिजन बस्ती के लिये ऐसी व्यवस्था अवश्य कर दे कि उनकी आबादी के लिये वहां जमीन छोड़ी जा सके।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं माननीय माता प्रसाद जी से कहता हूं कि अपने संशोधन में वे मेरा एक संशोधन मान लें। क्योंकि उनका जो संशोधन है वह यह है कि खंड ३ में प्रस्तावित नई धारा ५२–क की उपधारा (१) की पंक्ति छः में 'गूलों' के आगे वाक्यांश "अथवा हरिजन आबादियों" बढ़ा दिया जाय यहां पर शब्द "अथवा" के स्थान पर शब्द 'तथा' या शब्द 'और' होना चाहिये वरना उनके संशोधन की जो मंशा है कि हरिजन आबादी के लिये जमीन छोड़ी जाय वह बेकार हो जायेगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि वे मेरे इस संशोधन को मान लें कि शब्द "अथवा" के स्थान पर शब्द "तथा" रख दिया जाय। यह संशोधन हरिजनों के लिये कल्याणकारी है वरना वह बेकार हो जायेगा, न गूल ही हो पायेंगे और न हरिजनों की आबादी ही हो पायेगी।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। आपका कहना है कि सन् ५४ में बने हुये चकों के लिये हम चकरोड और गूलों के लिये कुछ जमीन ले रहें हैं। लेकिन आपको मैं बतला दूं कि सन् ५४ में जो चक बने थे, बाद में जिनके पास दो चक थे वे ६ चक हो गये और यह बड़ी परेशानी की बात है, इसलिये इस पर भी वे विचार करें कि अगर गांव के १० प्रतिशत लोग चाहें कि हमारे यहां फिर से चकबन्दी होनी चाहिये तो क्या वे इसको स्वीकार करेंगे? हमने देखा है कि बहुत से गांव ऐसे हैं कि जहां दो-दो तीन-तीन चक थे वहां ६-६ और ७-७ चक हो गये हैं। जैसा कि श्री माता प्रसाद जी ने बतलाया कि हरिजन आबादी के लिये जमीन मिलनी चाहिये लेकिन वह नहीं मिल पाती है। सन् ५४ के अलावा भी बहुत से ऐसे गांव हैं जहां चकरोड और नालियों का बड़ा भारी अभाव है। नालियां जो सिंचाई विभाग की बनी हैं वे उससे मिली हुई नहीं बनी हैं। कई जगह ऐसी नीची जगहें हैं जहां से पानी का चढ़ना असम्भव है। जहां नालियां बनानी चाहिये वहां नहीं बनी हैं। ऐसी नालियां सारे प्रदेश में ऐसी बहुत सी हैं जहां चकबन्दी हो गयी है और चक रोड्स भी नहीं हैं जिससे काश्तकारों के लिये कोई रास्ता नहीं है अगर वे किसी के खेत से निकलें तो डंडेबाजी हो जाय। इसलिये इस बिल को आप सन् ५४ की चक रोड्स और नालियों तक ही महदूद न रखें। इसलिये जब आप इस बिल के जरिये कुछ सुधार करना ही चाहते हैं तो ऐसा करें कि किसानों को चकरोड्स व नालियों की सुविधा मिल जाय और हरिजन आबादी के लिये भी जमीन मिल जाय। जो मौजूदा चकबन्दी कानून है उससे बड़ी कठिनाई हो जाती है। मेरे सुझाव को मान लेने से जिनको अब तक सुविधा नहीं मिल सकी है उनको भी सुविधा मिल सकेगी। इसलिये जो मेरे सुझाव आपके सामने हैं उन पर गौर करें।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से मेरा सुझाव यह है कि एक गांव में जो चक रोड्स छोड़े जाते हैं, ए० सी० ओ० द्वारा दूसरे गांव के साथ उनका इलाइनमेंट नहीं हो पाता है। एक गांव का चकरोड जहां समाप्त होता है, वहां दूसरे गांव का चकरोड शुरू भी नहीं होता है जिससे उसका फायदा काश्तकार को नहीं मिल पाता है। साथ ही नक्शा जो चकबन्दी का होता है, वहां चक रोड्स, गुलें व आबादी नहीं दिखलाई जाती है। वही पुराना नक्शा चल आ रहा है। गांवों में हरिजन बस्ती के लिये गांव समाज की जो जमीन छोड़ी जाती है उसका नक्शा गांव के प्रधान के पास निश्चित रहना चाहिये। दूसरी बात यह कि चकरोड्स के लिये जितनी जमीन चकबन्दी से है श्रीमन्, मेरा निवेदन है.....

श्री चन्द्रभान शर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जरा माइक से मुंह हटाकर बोलें तो कुछ समझ में आये.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप समझना नहीं चाहते थे इसलिये आप की समझ में नहीं आया.....

श्री चन्द्रभान शर्मा—

समझने की खातिर ही तो हम प्रार्थना कर रहे हैं.....

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

श्रीमन्, बहुत सी बातें तो कुछ सदस्यों के समझने के परे हैं वह उनकी समझ में कैसे आयेंगीं। इस पर भी ध्यान दिया जाय कि चक रोड्स, नालियों और गूलों की जमीन लोगों ने जोत ली हैं उनका अगर ठीक से डिमार्केशन नहीं होगा तो जो रही सही हैं वह भी किसान कब्जे में कर लेंगे और जोत डालेंगे। जो जुर्माना भी ११५ डी० के अनुसार होता है उसमें यह लेखपाल और कानूनगो बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। हमारे यहां ग्राम नगरिया में ४ किसानों पर ६४ हजार रुपया जुर्माना किया गया। वह इतना ज्यादा है कि अगर वह अपनी सारी जमीन भी बेच दें तब भी वह अदा नहीं हो सकता। मैं आपके द्वारा माननीय माल मंत्री जी व मुख्य मंत्री जी से उत्तर चाहता हूं कि वह जरा स्पष्ट करें सी० ओ० कुठार, जिला शाहजहांपुर के श्री उपाध्याय का तबादला किया गया और उन्होंने अपना चार्ज तक छोड़ दिया था लेकिन उन को अब फिर वापस बुलाया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है। यह माननीय राजस्व मंत्री जी के लिये कोई नई बात नहीं है। पिछली बार एक तहसीलदार के केस में भी ऐसा ही किया गया था कुठार में, मुझ से अगर कुछ नाराजगी मंत्री जी की है तो मैं उन से हाथ जोड़कर माफी मांग लूं, वह बुजुर्ग आदमी हैं। मैं चाहता हूं कि इस तरह के जो घपले हो रहें हैं उनकी वह इन्क्वायरी करा लें। इसी तरह से एक मामले में हमारे यहां अहेतुक सहायता में ओंकार सहाय के खिलाफ शिकायत की गई कि उसने पैसा लिया है लेकिन कोई इन्क्वायरी नहीं की गई। हरएक नागरिक का यह अधिकार है कि वह जो शिकायत करे उसकी बात सुनी जाय और जरूरत हो तो मामले की जांच की जाय लेकिन लेखपाल और तहसीलदार मनमानी करते हैं और कुछ नहीं होता। मकनपुर के प्रधान ने इस संबंध में प्रार्थना-पत्र भी दिया और मैंने भी १४ मई को कहा लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। कम से कम इस संबंध में मौके पर इन्कवायरी तो करा ली जाय। यह बड़े दुख की बात है और मैं माल मंत्री जी से दस्तबस्ता दरख्वास्त करूंगा और आगे भी करता रहूंगा लेकिन वह मुझे बता दें कि उनकी नाराजगी मेरे उपर क्यों हैं और मेरे क्षेत्र पर ही वह क्यों नाराज हैं। हमारे यहां १२७ गांवों में ओला पड़ा और हानि हुई वहां २६ गांवों में तकावी दी गई। वहां बाढ़ भी आई लेकिन कोई ध्यान हमारे क्षेत्र पर नहीं दिया गया। मंत्री जी कृपया स्पष्ट कर दें कि हमारे ऊपर ऐसी कृपा उनकी क्यों है, वह बता दें तो हमारी जरा तसल्ली हो जाय।

श्री गिरजा शंकर (जिला बाराबंकी)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र के करीब ही घाघरा नदी की बाढ़ का क्षेत्र है और पास से ही घाघरा नदी बहती है। उस इलाके में जो कि नदी के कटाव का नहीं है और जहां पर किसी तरह से भी पानी पहुंचने की सम्भावना नहीं है वहां के लिये पुनः एक चकबन्दी योजना बनाने की कृपा करें। वहां पर चकबन्दी होना बहुत जरूरी है।

इसके अतिरिक्त चकरोड, नालियां, कम्पोस्ट के गढे या सरकारी भवनों के लिये जो जमीन छोड़ी गई है उस पर बहुत से सरकश लोगों ने कब्जा कर लिया है और साधारण लोगों की यह हिम्मत नहीं है कि वह कहें कि ऐसा कब्जा क्यों किया है। बल्कि उन्हीं की तरह के जो दूसरे लोग हैं वह भी सोचते हैं कि ऐसे लोगों से क्यों झगड़ा मोल लिया जाय और वह भी शिकायत नहीं करते। ऐसी परिस्थिति में यह प्रार्थना है कि उनका नाम करा के ठीक से उस का डिमार्केशन करा दिया जाय ताकि सड़क आदि की जमीन पर लोग एन्क्रोचमेंट न कर सकें और आने जाने के साधन और नालियां वगैरा ठीक रहे।

तीसरी बात यह है कि गांव समाज भी या विकास खंड में कोई नक्शे या कागज ऐसी जमीन के नहीं हैं। इसकी छानबीन कर के कि किन गांवों में कितनी जमीन ऐसे सार्वजनिक हितों के लिये

[श्री गिरजा शंकर]

छोड़ी गई है आप तहसीलदार व कलक्टरों को आदेश दें कि उनका रिकार्ड सही तौर पर रखें और नक्शे बनवायें और वे नक्शे विकास कार्यालय और ग्राम समाजों के पास रहें जिस से यह सारी व्यवस्था सुलझाई जा सके ।

श्री उपाध्यक्ष—

जो आप लोगों के सुझाव है वे तो हैं ही । एक प्रस्ताव दिया है कि इस बिल को प्रवर समिति में भेज दिया जाय । अगर आपको आपत्ति न हो और माननीय राजस्व मंत्री.....

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से आता हूं जिसमें चकबन्दी १९५३ का जो मूल अधिनियम था, उसके द्वारा हुयी थी । श्रीमन्, मैं कोई प्रस्ताव पेश नहीं कर रहा हूं । जो हमारा मूल अधिनियम था, उसमें खातेदारों को यह सुविधा नहीं थी कि वे अपने-अपने खातों को तकसीम करा सकें । मूल अधिनियम के द्वारा जो अधिकारी और हमारे कर्मचारी थे, उनको यह हिदायत भी नहीं थी कि वे चौकोर चक बनायें । इतना ही नहीं, मान्यवर, उस समय चकबन्दी योजना हमारे परीक्षण काल में थी । उस समय किसान उससे भडकते थे । इसलिऐ उस समय यह कोशिश भी नहीं की गयी थी कि काश्तकार के एक या २ से ज्यादा चक बनाये जायं और गांव समाज की जो भूमि थी और जो जगह-जगह टुकड़ों में बिखरी हुयी थी, हमारे मूल अधिनियम में उसकी व्यवस्था नहीं थी कि गांव समाज की भूमि इकट्ठी कर दी जाय तो चक बनायें जायं । मान्यवर, वह एक ऐसा परीक्षण काल था कि जब किसान चकबन्दी से घबराते थे । दुर्भाग्य है, कि हमारे देश के किसान ही नहीं हमारे समाज के बहु संख्यक लोग कुछ रुढ़िवादी हैं, इसलिऐ किसान भी उस समय चकबन्दी के फायदों से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाये थे और वे इस रुढ़िवादिता के कारण, उनको अपनी भूमि से इतना मोह हो गया था कि चक बनवाने के लिये रजामन्द नहीं होते थे । इसलिए हमारे मूल अधिनियम के मातहत जहां-जहां चकबन्दी हुयी है, वहां-वहां यह कमी रह गयी है कि किसानों को अपने खेतों को तकसीम कराने की सुविधा नहीं थी । इसलिए चक नहीं बने । किसानों के एक या २ चक नहीं बने । नतीजा यह हुआ कि कई-कई चक तो १०—१० या १२—१२ कोने के बने और गांव समाज की जमीनें कई-कई टुकड़ों में बंटी हुयी है । इतना ही नहीं, श्रीमन्, इसके साथ-साथ चक गोल भी नहीं बनाये जा सके और बाद में यह हुआ कि जो हरिजन गृह-विहीन हैं, उनके लिए जमीन छोड़ी जाय लेकिन मूल अधिनियम में आबादी के लिये जमीन छोड़ने की व्यवस्था नहीं थी ।

इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे भविष्य में जितना जल्दी संभव हो सके वैसी व्यवस्था करें जिससे मूल अधिनियम के द्वारा जिन क्षेत्रों में चकबन्दी हुयी है, उनमें हमारे जो संशोधन अधिनियम हैं, उनके अनुसार चकबन्दी करायें । उपाध्यक्ष जी मैं यह बिलारी या मुरादाबाद की ही बात नहीं कह रहा हूं । प्रान्त की अनेक तहसीलों में भी ऐसा हुआ होगा । क्योंकि १९५३ का ऐक्ट, १९५८ चक चला । उसी मूल अधिनियम के अनुसार कार्यवाई हुयी । १९५८ में दूसरा संशोधन आया था जिसके मातहत किसानों को एक या २ चक देने का प्राविधान किया गया था । तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा आपके द्वारा कि उन क्षेत्रों में जहां मूल अधिनियम के द्वारा चकबन्दी कराई गई है वहां वे संशोधित अधिनियम से चकबन्दी कराने की व्यवस्था करें और जहां चकबन्दी खत्म होती जा रही है वहां से स्टाफ न हटायें । चकबन्दी की दूसरी व्यवस्था वहां कर दें जहां मूल अधिनियम से चकबन्दी कराई गई थी । मुझे पूरा भरोसा है कि किसानों की इस परेशानी को देखते हुए जहां गूलों की व्यवस्था करा रहे हैं या चकों की व्यवस्था करा रहे हैं वहां ऐसी व्यवस्था करें कि अन्य किसानों की तरह उन किसानों को भी सुविधा मिल जाय जहां सन् ५४ से लेकर ५८ तक मूल अधिनियम के द्वारा व्यवस्था की गई थी ताकि उन किसानों को भी फायदा पहुंचे जहां शुरू में चकबन्दी कर दी गई थी । मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे ।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय माता प्रसाद जी ने रक्खा है उसके साथ मेरी हमदर्दी है। लेकिन मुझे अफसोस है कि इस जगह में उसे स्वीकार नहीं कर सकता। हरिजनों को आवादी के लिये जमीन रही है। जहां नई चकबन्दी हो रही है वहां हमने ऐसे आदेश दे दिये हैं। यह जो विधेयक है यह एक खास मकसद के लिये लाया गया है जिसमें खास तौर से एफिडैविट का मामला था। जो किसानों को बड़ी भारी अड़चन है उसको दूर करने के लिये गूल और चक रोड उन जगहों में बनाने की है जहां चकबन्दी पहले हो चुकी है और वह उसमें खास परपज के लिये है। कुछ किसानों से ही उसका सम्बन्ध होगा जिसके यहां से गूल या चक रोड जाते हैं। आबादी वगैर इसका प्राविधान अगर करें तो सारे गांव पर इसका असर पड़ेगा। क्योंकि कामन लैन्ड जो छोड़ी जाती है वह सारे गांव के जमीन से निकालकर छोड़ी जाती है और गूल और रोड जायेंगे ये खास जगह से होकर जायेंगे। उन्हीं किसानों पर उनका असर पड़ेगा। हरिजनों की आवादी के लिये हम सोच रहे हैं कि हर जगह हरिजनों को आवादी के लिये जगह दी जाय। हम सोच रहे हैं कि जमीन्दारी विनाश और भूमि सुधार व्यवस्था अधिनियम में कोई ऐसा परिवर्तन लायें ताकि उसमें यह अधिकार हो कि हम इन हरिजनों को आवादी के लिये जमीन दे सकें। उसका हमें ख्याल है। मैं माननीय माता प्रसाद जी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं जो उनकी परेशानी है और वे जो चाहते हैं वह बात ऐसी है जिसके साथ सरकार की भी हमदर्दी है। इस समय तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे अपना संशोधन वापिस लें।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी खंडों पर जाब्ते से संशोधन नहीं रक्खा गया है। अभी सामान्य विचार हो रहा है।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

उन्होंने वापिस ले लिया उसके लिये धन्यवाद। माननीय महीलाल जी तथा अन्य सदस्यों ने जो संशोधन दिये हैं मैं उन पर गौर करूंगा। यह बात सही है कि जहां पहले चकबन्दी हुई है वहां बहुत ही खामियां रह गई। उसमें दोबारा चकबन्दी अगर वहां के लोग चाहग तो कराई जायेगी। सवाल यह है कि वह कब कराया जाय। यहां इस सदन में कह चुके हैं कि चकबन्दी का काम अभी खत्म होने को नहीं है। जहां पहले भी चकबन्दी हो गई है वहां भी चकबन्दी कराई जायेगी। अब समय का सवाल है और भी जो खामियां इसमें हैं उसमें व्यवस्था करा ली जायेगी और उसको दूर करने की कोशिश की जायेगी। जहां तक और माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं खास तौर से माननीय सुरेन्द्र विक्रम सिंह ने, मुझे जो व्यक्तिगत बात कही है मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मैं किसी भी माननीय सदस्य को अलग से नहीं मानता। सबको बराबर मानता हूं। सबकी बराबर इज्जत करता हूं। कहीं कोई गलती हो सकती है। मुझ से भी गलती हो सकती है। किसी से गलती हो सकती है, हो सकता है कि कोई गलती हुई हो, मुझे वह मालूम नहीं है।

(व्यवधान)

बाद में आप मुझे बतायें तो मैं आपको समझा बूंगा, जानकारी करा लूंगा। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि यह सदन इसे स्वीकार करे। किसानों को जो शपथ-पत्र लेने में दिक्कत होती थी उसी को दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और चीज तो वालन्टरी है।

श्री रियासत हुसैन—

माननीय मंत्री जी यह स्पष्ट कर दें कि जहां के लोग चकबन्दी चाहेंगे दोबारा कराना वहां चकबन्दी होगी या सरकार स्वयं आदेश देगी जैसाकि माननीय महीलाल जी ने मांग की थी?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यह तो पालिसी की बात है। चूंकि इसमें खर्चा बहुत होता है इसलिये सरकार यह तय करेगी कि क्या नीति अपनायी जाय। मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यह तो है ही कि जहां केलोग चाहेंगे वहां पहले यह कार्य शुरू होगा, जहां लोग नहीं चाहेंगे वहां जबरदस्ती क्यों की जायेगी। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है कि जहां लोग चाहेंगे वहां पहले की जायेगी।

(व्यवधान)

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

मैं लिखित रूप में दे चुका हूं, जहां हरिजन लोग ५०-५० साल से रहते चले आ रहे हैं वहां से उन्हें बेदखल किया जा रहा है। सरकार सदन में बैठकर कोरी हमदर्दी हरिजनों के लिये जाहिर करती है। मैं निवेदन करूंगा कि माता प्रसाद जी अपना संशोधन वापस न लें, नहीं तो हरिजनों के प्रति बहुत बड़ा विश्वासघात होगा।

श्री महीलाल—

मैं मंत्री जी को विश्वास दिलाता हूं कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र के सभी किसान खर्चा देने को तैयार हैं, वहां पुनः चकबन्दी करायी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १६७०, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

उ० प्र० अधिनियम सं० ५, १६५४ में नई धारा ४१-क का बढ़ाया जाना

२—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १६५३, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा ४१ के पश्चात, निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"४१-क—इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में, जिसके अन्तर्गत कोई अपील या शपथ-पत्र पुनरीक्षण भी है, प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र उसी रीति से और उन्हीं अपेक्षाओं के अनुरूप दिये जायेंगे जैसे कि सिविल प्रक्रिया संहिता, १६०८ के अधीन कोई शपथ-पत्र दिया जाता है और उनका सत्यापन उक्त संहिता की धारा १३६ के खण्ड (ख) के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा अथवा खण्ड (ग) के अधीन किसी अन्य न्यायालय द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।"

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३, १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९७०

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ का अग्रेतर संशोधन करने के लिये विधेयक

संक्षिप्त नाम

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, १९७० कहलायेगा ।

नई धारा ५२—क का बढ़ाया जाना

३—मूल अधिनियम की धारा ५२ के पश्चात निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

चक मार्गों तथा चक गूलों के लिए विशेष व्यवस्था

"५२—क (१) किसी ऐसे कटक की दशा में जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, १९७० के प्रारम्भ होने के पूर्व धारा ५२ की उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति जारी कर दी गई हो धारा ५२ में दी गई किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, कलक्टर, यदि उसकी यह राय हो कि कटक में चक मार्गों या चक गूलों की कोई व्यवस्था नहीं है अथवा अपर्याप्त व्यवस्था है तो, उपधारा (२) के अधीन कार्यवाही कर सकता है, और यदि उक्त प्रारम्भ होने के दिनांक से छः महीने के भीतर कुल खातेदारों में से कम से कम दस प्रतिशत द्वारा इस आशय का अभ्यावेदन दिया जाय, तो उपधारा (२) के अधीन कार्यवाही करेगा ।

(२) कलेक्टर इस धारा के अधीन कार्यवाही करने के प्रस्ताव की, और यदि कोई हो, उपधारा (१) के अधीन प्राप्त अभ्यावेदन की भी, सूचना कटक में डुग्गी पिटवाकर और ऐसी अन्य रीति से, यदि कोई हो, जिसे वह उचित समझे, दिलवायेगा, और किसी चकबन्दी अधिकारी को उस क्षेत्र का निरीक्षण करने तथा खातेदारों की या उनमें से ऐसे व्यक्तियों की, जो अभ्यावेदन में सम्मिलित न हों, इच्छाओं को सुनिश्चित करने के निमित्त युक्तियुक्त कदम उठाने, और मामले में ऐसी अन्य जांच करने, जिसे वह उचित समझे, का निदेश देगा ।

(३) ऐसा चकबन्दी अधिकारी कटक में चक मार्गों या चक गूलों की व्यवस्था करने या, जैसी भी दशा हो, और अधिक पर्याप्त व्यवस्था करने के लिये योजना बनाने या न बनाने के औचित्य के सम्बन्ध में कलेक्टर को एक रिपोर्ट देगा, और कलेक्टर, उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर है, योजना का एक प्रारूप तैयार करवायेगा ।

(४) तदुपरान्त सहायक चकबन्दी अधिकारी कटक के उतने खातेदारों की, जितना वह व्यवहारगम्य समझे, इच्छा को अनौपचारिक रूप से सुनिश्चित करने के पश्चात नियत प्रपत्र में योजना का एक प्रारूप तैयार करेगा जिसमें चक मार्गों या चक गूलों की व्यवस्था अथवा अतिरिक्त व्यवस्था, जैसी आवश्यकता हो, करने का प्रस्ताव करेगा । योजना का प्रारूप तैयार करने में सहायक चकबन्दी अधिकारी निम्नलिखित सिद्धान्तों को ध्यान में रखेगा, अर्थात्:—

(क) जहां तक व्यवहारगम्य हो, चक मार्गों और चक गूलों की व्यवस्था प्रथमत: गांव सभा में निहित भूमि का उपयोग करके और द्वितीयत: उन खातेदारों द्वारा धृत भूमि में से जिनके चक प्रस्तावित चक मार्ग या चक गूल से संबंधित हों, और अन्तत: किसी अन्य भूमि से की जानी चाहिये।

(ख) चकों का पुनर्व्यवस्थापन केवल उस सीमा तक, जहां तक वह चक मार्गों तथा चक गूलों की व्यवस्था करने के लिये वास्तविक रूप में आवश्यक हो, और पहले से ही पुष्टिकृत चकबन्दी योजना में कम से कम व्यतिक्रम किये बिना, किया जाना चाहिये।

(५) उपधारा (४) के अधीन तैयार की गई योजना का प्रारूप कटक में नियत रीति से प्रकाशित किया जायेगा।

(६) योजना के प्रारूप से प्रभावित कोई व्यक्ति, ऐसे प्रकाशन के दिनांक से १५ दिन के भीतर चकबन्दी अधिकारी के पास लिखित रूप में आपत्ति कर सकता है।

(७) (क) चकबन्दी अधिकारी सम्बद्ध पक्षों को नोटिस देने के पश्चात् सभी आपत्तियों का निस्तारण करेगा।

(ख) खण्ड (क) के अधीन चकबन्दी अधिकारी की आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति आज्ञा के दिनांक से १५ दिन के भीतर बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी के समक्ष अपील कर सकता है, जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा।

(ग) खंड (क) के अधीन आपत्तियों पर निर्णय देने के पूर्व चकबन्दी अधिकारी और खंड (ख) के अधीन अपील पर निर्णय देने के पूर्व बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, सम्बद्ध पक्षों को नोटिस देने के पश्चात विवादग्रस्त स्थल का निरीक्षण कर सकता है।

(घ) खंड (क) के अधीन चकबन्दी अधिकारी और खंड (ख) के अधीन बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, के लिये उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे उपधारा (४) में निर्दिष्ट सिद्धान्तों के अनुसार योजना के प्रारूप में परिष्कार करना, और बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी के लिये उसे चकबन्दी अधिकारी या सहायक चकबन्दी अधिकारी को ऐसे निदेशों के साथ, जिन्हें वह उचित समझे प्रतिप्रेषित करना वध होगा।

(८) बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी—

(क) यदि उपधारा (६) में निर्दिष्ट समय के भीतर कोई आपत्ति प्रस्तुत न की जाय; या

(ख) यदि ऐसी आपत्तियां प्रस्तुत की जायें तो ऐसे परिष्कारों या परिवर्तनों के पश्चात जो उपधारा (७) के अधीन आपत्तियों तथा अपीलों पर दी गई आज्ञाओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक हो:

योजना की पुष्टि कर देगा।

(९) उपधारा (८) के अधीन पुष्टीकृत योजना कटक में नियत रीति से प्रकाशित की जायगी और ऐसे प्रकाशन के दिनांक को प्रवृत्त होगी और तदुपरान्त धारा २३ के अधीन अंतिम रूप से बनी चकबन्दी योजना और दी गई प्रदेशन आज्ञायें

योजना में इंगित सीमा तक संशोधित हो जायेंगी और तदनुसार बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी द्वारा नई प्रदेशन आज्ञायें जारी की जायेंगी।

(१०) अध्याय ४ के उपबन्ध उक्त योजना के संबंध में आवश्यक परिवर्तनों के साथ उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे अंतिम चकबन्दी योजना के संबंध में लागू होते हैं और अध्याय ४ को लागू किये जाने के प्रयोजनों के लिये, इस धारा के अधीन व्यवस्थित चक मार्गों और चक गूलों के लिये दी गई भूमि धारा ८—क के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये दी गई भूमि समझी जायगी।"

श्री माता प्रसाद—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड—३ में प्रस्तावित नई धारा ५२—क की उपधारा (१) की पंक्ति छः में "गूलों" के आगे वाक्यांश "अथवा हरिजन आबादियों" बढ़ा दिया जायं।

मंत्रीजी ने अभी बोलते हुए कहा कि हरिजनों की आबादी के लिए वह जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था कानून में व्यवस्था करने जा रहे हैं और उसके अन्तर्गत हरिजनों की आबादी के लिये जगह छोड़ने की व्यवस्था की जायगी मंत्री जी के इस आश्वासन के बाद मैं समझता हूं मंत्री जी अवश्य इसकी व्यवस्था करेंगे और जो मौके पर आबाद हैं उनका ध्यान करेंगे। इसलिए मैं इसको वापस लिए लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

सभी आप एक साथ पेश कर दें।

श्री माता प्रसाद—

बाकी मैं उपस्थित नहीं कर रहा हूं।

श्री राम कुंवर (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, पश्चिमी जिलों में चकबन्दी हो गयी है और पूर्वी जिले ऐसे हैं जहां अधूरी भी नहीं हुई है। मेरे जिले आजमगढ़ में ६ में से अभी तीन तहसीलों में भी नहीं हो पायी है क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि वहां की चकबन्दी शीघ्र से शीघ्र समाप्त हो।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

आजमगढ़ की भी चकबन्दी जल्दी से जल्दी समाप्त हो, इसकी तो कोशिश की जा रही है। पश्चिमी जिलों में चूंकि पहले प्रारम्भ किया गया था, इसलिए वहां समाप्त हो रहा है।

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)—

जहां चकबन्दी हो रही है, जैसे देवरिया जिले में चक कट गये हैं, लेकिन आगे कार्य नहीं हुआ है। तो क्या ऐसी व्यवस्था करेंगे कि चक फर्जी न काटे जायं और किसानों को सुविधापूर्वक चक काट कर उस पर उनको कब्जा दिला दिया जाया करे।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यह नियम बने हुये हैं। किसी व्यक्ति को कब्जा दिया जाता है तो आखिर में दिया जाता है। बाकी जो कार्य नियमों के अनुसार होते हैं, उसी प्रकार से होता है और अगर कहीं कोई उसमें गड़बड़ी होती है तो माननीय सदस्य मुझे अलग से सूचना दें, मैं उसकी जानकारी करा लूंगा और यदि कार्य नहीं हो पाया है तो करा लिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड ३, १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चतुर्भुज शर्मा—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १६७०, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री कृष्णकान्त (जिला सीतापुर)—

माननीय राजस्व मंत्री का ध्यान सीतापुर जिले की बिसवां तहसील और सिधौली तहसील की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। वहां के अधिकारियों ने चौका नदी, जिसमें न पानी आता है, न बाढ़ आती है, उसके बावजूद उसको फ्लड एरिया दिखा कर चकबन्दी नहीं करायी है। वहां का रेकार्ड बहुत गलत है। हर गांव में ३० परसेंट रेकार्ड गलत है। रेकार्ड आपरेशन इतने गलत हुए कि दूना रेकार्ड गलत हो गया है। मैं निवेदन करूंगा कि उस इलाके में नदी चौका से एक फर्लांग छोड़ कर बाकी इलाके में चकबन्दी करवाने की कृपा करें।

श्री इन्द्रजीत सिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फतेहपुर जिले में, वहां के लोगों ने तमाम प्रार्थनापत्र दिये कि वहां चकबन्दी करायी जाय लेकिन आज तक नहीं करायी जा रही है। वहां नहर की जमीन अक्वायर कर ली गयी है चकबन्दी करवाने में कोई परेशानी नहीं होगी।

दूसरे मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि जैसे हरिजनों की आबादी के लिये कहा गया कि जमीन दिला दी जायगी वहां पर हरिजनों ने या अन्य व्यक्तियों ने जो कब्जा कर लिया है, उन पर मुकदमे चलाये जा रहे हैं। जो हरिजन आबादी बना लिये हैं या पहले से आबाद हैं उन पर जो बेदखली के मुकदमे चलाये जा रहे हैं उन पर रोक लगा दें ताकि जिन आदमियों ने कब्जा कर लिया है उनको राहत मिल सके। क्या इस प्रकार का आदेश माननीय राजस्व मंत्री करेंगे?

श्री हिम्मत सिंह—

मैं यह समझा था कि जो महीलाल जी का प्रस्ताव है बिल प्रवर समिति में जायगा। तो कुछ सुधार हो जायगा। मेरे जिले में मौके पर किसी गांव में मंत्री जी चले जायं चकबन्दी की कब्जे की जो कार्यवाही है वह पूरे ढंग से नहीं हुई है। मौके पर नकशा कुछ और है, और कब्जा जिस प्रकार लोगों ने लिया है वह भिन्न है। आज अगर पैमायश कराते हैं तो कुछ पता नहीं चलता। चक रोड और नाली का कोई पता नहीं है, नाली आज तक नहीं दिखायी पड़ रही है। इसलिये मैंने कहा कि प्रवर समिति में भेजा जाय।

दूसरे कम से कम १० परसेंट उन काश्तकारों को लिया है, यदि चक रोड या नाली चाहेंगे तो चकबन्दी में हो जायगा। मान लीजिये कि एक चौथाई गांव में नाली और चक रोड नहीं है उस अवस्था में क्या हल है? इसके पास करने से कोई हल नहीं निकलेगा। हर गांव को जहां चकबन्दी हो चुकी है, चक रोड और नाली मिल जानी चाहिये लेकिन आपने महदूद कर दिया है। इस बिल से प्रदेश के सारे काश्तकारों का फायदा नहीं हो सकता है। आपको एक और संशोधन लाना पड़ेगा। जहां १६५४-५५ के बाद चकबन्दी हुई है उनको कोई सुविधा नहीं दी है। आप जानते हैं कि गांवों में चक रोड और नालियां नहीं हैं। इस लिये मैंने कहा था कि प्रवर समिति में बिल को भेज दिया जाय।

श्री महरम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चकबन्दी से किसान पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा था जिस समय चकबन्दी प्रारम्भ हुई किसान चूंकि रूढ़िवादी है, वह उसको समझ नहीं सका मैं इस बात को सही नहीं मानता। किन्तु यह बात सही है कि जब शुरू में चकबन्दी हुई तो कानून आदि के कमी के कारण किसानों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। उसको देखकर ऐसे अनेक गांव थे जिन्होंने चकबन्दी का विरोध किया। वहां चकबन्दी नहीं हो सकी। मैं निवेदन करूंगा कि जिन गांवों में चकबन्दी नहीं हुई है अगर उन गांवों में चकबन्दी की लोगों ने मांग की ही तो उनमें सबसे पहले चकबन्दी होनी चाहिये। और जिले में अधिकारियों की एक कमेटी गठित की जानी चाहिये। जिन-जिन स्थानों में चकबन्दी से दिक्कत रही है उनमें कुछ सुधार हो सके तो सुधार किया जाय।

जिन गांवों में चकबन्दी करने की जरूरतें हों उनमें चकबन्दी की जाय साथ ही जो भूमि चकबन्दी में छोड़ी गयी है उसके लिये विशेष व्यवस्था की जाय वर्ना ३, ४ साल बाद ऐसी स्थिति आयेगी कि जो जमीन सार्वजनिक चकरोड वगैरह के लिये छोड़ दी गयी है वह रह नहीं जायगी। मैं आशा करता हूं माननीय मंत्री जी इन सुझावों को मान लेंगे।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक १० फी सदी की बात है यह इसलिये रखा गया कि उसकी जरूरत कुछ लोगों की हो सकती है। जब वह दरख्वास्त देंगे तो इंक्वायरी होगी और कलेक्टर चाहेंगे तो हो जायगी। लेकिन जैसा अभी कहा गया कि कलेक्टर के मारे कोई नहीं कहता कलेक्टर को इसमें स्वयं अधिकार है कि कहीं से इत्तिला मिले या वह खुद समझे कि यहां पर गूल, रोड वगैरह निकलना चाहिये तो उसको भी वह चकबन्दी में ले सकता है। ये सब चीजें इसमें हैं। वह भी है और यह भी है।

जमीनों की किस्मों के संबंध में कहा गया तो आम तौर पर दो तीन किस्म की जमीनें होती हैं और वे तो दो तीन जगह दी जाती थीं। पहले जो दिक्कतें थीं अब उनमें तजुर्बा हुआ और उन दिक्कतों को दुरुस्त कर लिया गया। जो गांव रह गये हैं उनके संबंध में जब दरख्वास्त आती है और जो चकबन्दी के लायक है और मुनासिब समझा जाता है तो वहां पर चकबन्दी करा दी जाती है लेकिन जिस जिले में चकबन्दी खत्म हो गयी हो वहां उसको नहीं लिया जायगा क्योंकि वहां फिर पूरा स्टाफ भेजना पड़ता है लेकिन कोशिश यह करेंगे कि पहला दौर खत्म होने पर चकबन्दी जहां-जहां और मुमकिन हो वहां हो जाय। माननीय सदस्यों ने आम चकबन्दी से मुताल्लिक बहुत से सुझाव दिये हैं लेकिन मैं उनकी इत्तिला के लिये बतला दूं कि अगर उनको कहीं कोई शिकायत हो उसको अपनी सिफारिश साथ मेरे पास भेज दें तो मैं उसकी जांच करा लूंगा। इसके बाद मैं अनुरोध करता हूं कि यह पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९७०, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

नियम ५६ के अन्दर आज कोई प्रश्न नहीं पूछा गया।

नियम ५१ में पूछे गये प्रश्न आज स्वीकार नहीं किये गये। सर्वश्री कल्यान सिंह तथा शचीन्द्र नाथ बख्शी द्वारा प्रयाग में त्रिवेणी संगम तट पर पुलिस द्वारा नागरिकों पर लाठी चार्ज के बारे में जो प्रश्न है, यह स्वीकार नहीं किया गया है। इस पर वह अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर लें।

[श्री उपाध्यक्ष]

श्री सुरेंद्र विक्रम का जो प्रश्न है वह भी अस्वीकार कर दिया गया है और वह माओवाद की प्रबल समर्थक पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी की कई जिलों में स्थापना तथा उस पार्टी द्वारा कानपुर में तोड़-फोड़ आदि के बारे में है। तीसरा श्री सूबेदार प्रसाद, श्री हिम्मत सिंह और श्री राम निहोर राय जी का था जो कि मिर्जापुर जिले में सहकारिता विभाग द्वारा कठोरता से पुराने ऋणों की वसूली के संबंध में था। यह भी स्वीकार नहीं किया गया है। आप लोग सरकार को यह भेज दें और रिप्रेजेंट करें। चौथा श्री सुखपाल पांडेय और श्री राम करन सिंह का था जो कि बस्ती जनपद के बढ़नी बाजार में बने मकानों पर सरकारी आदेश होने के उपरान्त बसे हुये लोगों को घर पर स्वामित्व न मिलने के बारे में था, को भी अस्वीकार कर दिया गया है।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)---

मान्यवर, इलाहाबाद में कल संगम पर जो कि ऐतिहासिक पुन्य का स्थान है और जहां पर हजारों मातायें और बहने स्नान करने के लिये आती हैं, पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया है। इस घटना के ऊपर हमने आपको लिखकर दिया था कि आप इस पर मंत्री जी से वक्तव्य दिलवा दें और स्वीकार कर लें···

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न मान्यवर, यह है कि अभी लगभग सभी समाचार पत्रों में हमने यह समाचार पढ़ा है कि प्रदेश के राज्य शिक्षा मंत्री श्री नरेंद्र सिंह बिष्ट ने यह घोषणा की है कि जो उत्तराखंड विश्वविद्यालय के संबंध में समिति गठित की गई थी उसने नैनीताल में विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में घोषणा कर दी है। तो श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने सदन में बताया था कि अभी समिति की सिफारिशें विचाराधीन हैं और समिति की सिफारिशों को घोषित करना भी जनहित में उचित नहीं है। आज श्री नरेंद्र सिंह बिष्ट ने नैनीताल में यह घोषणा कर दी है। तो मैं केवल माननीय मंत्री जी से इस संबंध में स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

अभी आप आश्वस्त हो लें कि घोषणा क्या है।

(व्यवधान)

पन्ना लाल जी शायद बात कर रहे हैं। माननीय सदस्य कृपया शांत रहें।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मान्यवर, बी०के०डी० और इंडीकेट में झगड़ा हो गया। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि वे एक वरिष्ठ मंत्री हैं वे इस बात की सूचना सदन को देंगे कि आया कि उत्तराखंड विश्वविद्यालय के लिये जिस समिति का गठन किया गया था···।अगर की गयी है तो उन्होंने क्या घोषणा की है और अगर नहीं की है तो माननीय बिष्ट जी ने जो घोषणा की है क्या वह नियमानुकूल है?

श्री उपाध्यक्ष---

इस समय नियम ५१ पर वक्तव्य होना है। यह जरूरी नहीं है जो आप पूछ रहे हैं। जो जानकारी आप चाहते हैं तो सरकार उसको यथा समय देगी या नहीं देगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मैं आपके माध्यम से उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वे सदन को यह अवगत करायें कि उन्होंने कोई घोषणा की है या नहीं की है।

श्री उपाध्यक्ष—

जानकारी प्राप्त करने की जो विधिवत प्रक्रिया है, आप उसको अपनायें, तब आपको उसका उत्तर मिलेगा ।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, हम लोग नियम ५१ में जो प्रश्न लाते हैं उन पर चेअर की तरफ से कह दिया जाता है कि इसको अल्पसूचित में दे दो । जब अल्पसूचित में दिया जाता है तो फिर उसका पता ही नहीं चलता कि वह कहां चला गया । १३ मई को मेरा एक अल्पसूचित प्रश्न स्वीकृत हुआ था ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप मुझसे उसके बारे में पूछ लें । मैं देखकर बता दूंगा ।

श्री मोतीलाल देहलवी—

नियम ५१ में जो प्रश्न अब तक स्वीकृत हो चुके हैं, इस विधान सभा का पता नहीं कब उठ जाय । इसलिये उनका उत्तर हमें आप दिलवा दें उठने से पहले, वरना उन प्रश्नों का कोई महत्व ही न रहेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

मेरे पास इस समय ४ ऐसे प्रस्ताव हैं, उसके जवाब सरकार से उपलब्ध कराये जायेंगे लेकिन अगर इस बीच में विधान सभा उठ गयी, फिर तो मजबूरी हो जायगी ।

जिला उन्नाव के थाना बिहार की हवालात में पुलिस द्वारा कथित मारपीट के फलस्वरूप श्री हयातअली नामक व्यक्ति की मृत्यु होने के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह उपमंत्री (श्री ओमप्रकाश सिंह)—

दिनांक १८-५-७० को ग्राम कुरसट, जिला उन्नाव निवासी श्री अलताफ ने थाना कोतवाली में इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि नासिर अली, निवासी ग्राम सवाइन उनका सूटकेस जिसमें दस हजार रुपया नकद तथा सामान था लेकर चला गया और मांगने पर भी वापस नहीं दिया । इस रिपोर्ट पर थाने पर धारा ४०६ भा०द०वि० के अन्तर्गत एक मुकदमा दर्ज हुआ । थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने के पश्चात् वादी ने उक्त मामले के संबंध में मैं एक प्रार्थना-पत्र भी पुलिस अधीक्षक उन्नाव को दिया था जिस पर जांच के आदेश दिये गये ।

दिनांक २७-५-७० को थाना कोतवाली की पुलिस ने नासिर अली के घर पर दबिश दी परन्तु नासिर वहां नहीं मिला । पुलिस ने नियमानुसार घर की तलाशी ली और कुछ सामान बरामद किया । बरामद सामान तथा अभियुक्त नासिर अली के पिता हयात अली को पुलिस पकड़ कर करीब १७ बजे थाने पर लाई । १७-३५ बजे हयात अली ने पीने के लिये पानी मांगा । जब पुलिस कर्मचारी पानी लेकर हयात अली को देने गया तो उसने उन्हें अचेतावस्था में पड़ा हुआ पाया । उन्हें प्राथमिक चिकित्सा दी गई परन्तु हालत में सुधार न होने पर डाक्टर को बुलाया गया । डाक्टर के आने के पहले ही हयात अली की मृत्यु हो गई ।

मृत्यु की सूचना उसी समय जिलाधिकारियों को दी गई, जिनके आदेश से मजिस्ट्रेट ने लाश का पंचनामा तैयार किया । बाद में लाश पोस्ट मार्टम के लिये भेजी गई । पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल पर जांच की । जिला मजिस्ट्रेट ने घटना की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच के आदेश दिये हैं और मजिस्ट्रेट द्वारा जांच हो रही है । इस जांच की समाप्ति पर यह मालूम हो सकेगा कि हयात अली की मृत्यु के लिये पुलिस कहां तक दोषी है ।

[श्री ओम प्रकाश सिंह]

इस घटना के दौरान पुलिस की कार्यवाहियों के संबंध में जो आरोप लगाये गये वे जांच से सही नहीं पाये गये। न तो पुलिस मृतक के घर की तलाशी लेकर मृतक व उसके लड़के मोहम्मद अलीम को रस्सी से बांध कर लाई और न ही तलाशी के समय पुलिस ने मृतक के घर की औरतों के साथ अभद्र व्यवहार किया। यह कहना भी गलत है कि पुलिस घर की औरतों को बाहर निकाल कर घर का सामान उठा कर ले गई अथवा हयात अली को कोठरी में बन्द करके गुप्त जगहों पर मारा गया । हयात अली की मृत्यु के पश्चात् उसके लड़के को मनाने तथा पोस्ट मार्टम के लिये उनके लड़के को सकड़ों रुपया कर्ज लेने पड़े यह आरोप भी निराधार प्रतीत होता है। इस घटना के कारण जिले में कोई क्षोभ नहीं है।

श्री सुरेंद्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि पोस्ट मार्टम रिपोर्ट क्या है और उसमें हयात अली खां के कितनी चोटें लिखी हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मृत्यु के कारण का डेफिनिट पता नहीं है, उसके दो साधारण चोटें लिखी हैं।

श्री श्याम लाल (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान स्वतंत्र भारत के ८ जून, १९७० के उस समाचार की ओर गया है जिसमें उसके लड़के अली खां ने पत्रकारों को दर्दभरी कहानी सुनाई है। घटना का समाचार जिस तरह अखबार में प्रकाशित हुआ वह इस प्रकार है: "पुलिस की मार से हवालात में मृत्यु की रोमांचकारी कहानी"....

उपाध्यक्ष—

पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री श्याम लाल—

दो मिनट में खत्म हो जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न तो यही है कि अखबार में छपा जिसमें उसके लड़के ने बयान दिया है अखबार वालों के समक्ष । यही तो बात है न । इसको प्रश्न बनाइये ।

श्री श्यामलाल—

क्या यह सही नहीं है कि पुलिस की मार से वह हवालात में मर गया ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो नहीं कहते ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

मंत्री जी ने बतलाया है कि भारतीय दंड विधान की धारा ४०६ की रिपोर्ट लिखायी गयी । तो यह रिपोर्ट क्या थी और क्या यह पुलिस के हस्तक्षेप के अन्तर्गत आती है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप जानकारी चाहते हैं ?

श्री सुरेंद्र विक्रम---

अगर यह नहीं आता है तो पुलिस को क्या अधिकार था किसी के मकान के अन्दर जाने का ?

श्री उपाध्यक्ष---

आप एक ऐसा प्रश्न कर रहे हैं जिसका उप मंत्री क्या, वकील जवाब देंगे ।

श्री सुरेंद्र विक्रम---

पुलिस जो हयात अली के मकान पर गयी तो वह किस शिकायत पर गयी ? क्या हयात अली के खिलाफ रिपोर्ट पुलिस दस्तअन्दाजी की थी या नहीं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

अल्ताफअली ने एक रिपोर्ट की है और एक एप्लीकेशन दी है। उसी के आधार पर पुलिस जांच के लिये गयी ।

श्री भगवती सिंह बिशारद (जिला उन्नाव)---

२७-५-७० को अन्सार अली के घर थाना उन्नाव से कौन-कौन पुलिस अधिकारी और कर्मचारी गये थे और उनकी क्या रवानगी दर्ज की गयी है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

थाना कोतवाली में एक सब-इन्सपेक्टर बी०बी०सिंह बिहार थाने की पुलिस को लेकर गये थे ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

अभी उप मंत्री जी ने कहा कि हयात अली को पुलिस ने नहीं मारा और पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट में आपने पढ़ा है कि दो चोटें आयी हैं . . . .

श्री ओम प्रकाश सिंह---

दो साधारण चोटें आयी हैं ।

श्री बंशीधर पांडेय---

दो साधारण चोटें सही । लेकिन आपने कहा कि पुलिस ने नहीं मारा । तो क्या आप पता लगायेंगे कि पुलिस के अफसरों ने आपको गलत सूचना दी है। एक तरफ तो दिखाया गया है कि पुलिस ने नहीं मारा और दूसरी तरफ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में चोटें आयी हैं । वह १७ बजे पकड़ा गया और १७-३५ बजे मर गया, यानी ३५ मिनट में सब कुछ हो गया । तो क्या मुख्य मंत्रीजी इस बात का पता लगायेंगे कि पुलिस वालों के मारते ही वह मरा है और पुलिस के अफसरों ने छिपाने के लिये कह दिया है कि पुलिस ने नहीं मारा । तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी फिर से सी०आई०डी० द्वारा जांच करायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

आप मजिस्ट्रेट के जरिये जांच की बात कह रहे हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय---

मैंने सी०आई०डी० द्वारा जांच किये जाने के लिये कहा है । मजिस्ट्रेट इसमें क्या जांच करेंगे ।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)---

श्रीमन्, अगर जेल जाकर मर जाय तब मजिस्ट्रेट के जरिये जांच होती है, यह तो ला में प्राविजन है।

श्री उपाध्यक्ष---

जेल में मरा है क्या ?

श्री विश्वनाथ कपूर---

वह हवालात में मरा है।

श्री उपाध्यक्ष---

जो सामान्य प्रक्रिया है उसके चलने में क्या आपत्ति है?

श्री बंशीधर पांडेय---

चाहे पुलिस की कस्टडी में मरा हो, चाहे थाने में मरा हो, आप पूछ तो लें कि क्या मुख्य मंत्री जी सी०आई०डी० द्वारा जांच करावेंगे।

श्री ओम प्रकाश सिंह---

जो इन्क्वायरी हो रही है उसके देखते हुये सी०आई०डी० द्वारा जांच किये जाने की अवश्यकता नहीं प्रतीत होती ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

क्या माननीय मुख्य मंत्री इस तथ्य को जानने के लिये कि जब वह १७ बजे पुलिस की कस्टडी में हवालात में भेजा गया उस वक्त का रोजनामचा मंगा कर देखेंगे कि वह चोटों के साथ दाखिल किया गया था या बिना चोटों के साथ दाखिल किया गया था । यह निश्चित मत है कि जो मैजिस्टोरियल इन्क्वायरी हुई है उससे कोई मतलब नहीं निकला है।

श्री उपाध्यक्ष---

आपका प्रश्न है कि रोजनामचा मंगा कर मंत्री जी देखें ?

श्री रियासत हुसैन---

जी हां ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह ठीक नहीं है ।

श्री अभिमन्यु प्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)---

मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूं । अगर दोनों का उत्तर मंत्री जी दे दें तो पोजीशन क्लियर हो जाय । एक तो यह है कि जो पोस्टमार्टम की इंजरी है वह ऐंटीपोस्टमार्टम इंजरीज हैं या पोस्टमार्टम इंजरीज हैं । दूसरे यह कि मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस वक्त मुलजिम थाने में दाखिल किया गया तो उस वक्त किसी ने इन्दराज किया होगा कि उसके बदन पर कितनी चोटें थीं ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो ब्योरे की बात है। अगर आपको मालूम हो तो बता दें । सब चीजें उनको कैसे मालूम होंगी ।

जिला उन्नाव के थाना बिहार की हवालात में पुलिस द्वारा कथित मारपीट के फलस्वरूप ४६७ श्री हयात अली नामक व्यक्ति की मृत्यु होने के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री भगवती सिंह विशारद---

मैं निवेदन कर दूं कि जो आदमी मरा है उसके लड़के के ऊपर पुलिस का चार्ज था कि वह सात सोने की ईटें लाया है। ये पुलिस वाले उनको खेदवाना चाहते थे। जो बयान दिया है पुलिस ने वह गलत दिया है। तो मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि थाना या कोतवाली से पुलिस की रवानगी का वक्त क्या है?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

ऐसी तो कोई शिकायत नहीं है, अगर आप कहें तो जो रिपोर्ट आई है उसको पढ़ कर सुना दूं। और बातों की जांच हो रही है। मैंने इतने डिटेल में रिपोर्ट नहीं मंगाई है।

श्री शिव कुमार (जिला सुल्तानपुर)---

मान्यवर, हयात अली के खिलाफ रिपोर्ट नहीं थी लेकिन हयात अली पकड़ा गया। दूसरी बात यह कि पोस्ट मार्टम में लिखा है कि दो चोटें हैं लेकिन डाक्टर ने मृत्यु का कारण नहीं लिखा। तो यह चीजें ऐसी हैं जो पुलिस के प्रति सन्देह पैदा करती हैं और मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस मामले में सी० आई० डी० की इंक्वायरी कराने में वह क्यों हिचक रहे हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

जब मैजेस्टीरियल जांच प्रारम्भ हो जाती है तो सी० आई० डी० की इंक्वायरी नहीं होती है।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)---

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रियासत हुसैन ने माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न किया था कि यह कायदा है कि जब कोई मुलजिम हवालात में दाखिल होता है तो पुलिस की जनरल डायरी में लिखा जाता है कि चोटें हैं या नहीं हैं। तो यह लिखा गया या नहीं और जो चोटें लगीं वह गिरफ्तारी के समय लगीं या कैसे लगीं ? क्या मंत्री जी इस पर विचार करेंगे उसकी मृत्यु की गम्भीरता को देखते हुये कि मैजिस्ट्रेट के द्वारा या किसी एजेन्सी से जांच करावेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

इसका जवाब तो उन्होंने दे दिया।

श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)---

क्या मंत्रीजी यह बताने का कष्ट करेंगे कि हयात अली सवारी पर या पैदल हवालात लाया गया। दूसरा वह आते ही मर गये या कुछ देर जिन्दा रहे और फिर जो दो चोटें आयीं हैं वह कैसे आयीं हैं ?

श्री उपाध्यक्ष---

इसकी जांच हो रही है।

श्री बंशीधर पांडेय---

एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, डिप्टी मिनिस्टर कभी तैयार नहीं रहते और आज भी तैयार नहीं हैं।

श्री ओम प्रकाश सिंह---

मान्यवर, यह बिल्कुल गलत कह रहे हैं।

श्री वंशीधर पांडेय---

मैं यह कह रहा था कि मैंने एक प्रश्न पूछा, भगौती प्रसाद जी ने पूछा और जगदम्बा प्रसाद जी ने पूछा लेकिन जवाब एक का भी नहीं मिल पाया। पूछा जा रहा है कि जब बाप के नाम रिपोर्ट नही थी तो किस कायदे के अन्तर्गत उसको पकड़ लाया गया और वह जब हवालात में मरा तो कौन सा कम्पेनसेशन देने जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सोचिए कि कितना बड़ा संगीन मामला है। उसमें तो मुख्य मंत्री को बुलाइये हम इनकी बातों को सुनने के लिये तैयार नही हैं।

श्री ओम प्रकाश सिंह---

जिस घर में चोरी का माल बरामद हुआ हो, उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर लड़का नहीं मिला, उसका बाप मिल गया तो इन्सपेक्टर ने उसको गिरफ्तार कर लिया।

(शोर)

एक सदस्य---

वह कौन सा माल मिला था ?

श्री उपाध्यक्ष---

पुलिस ने नियमानुसार तलाशी ली होगी, तलाशी में कौन सा माल बरामद हुआ ?

श्री ओम प्रकाश---

५८० रुपया नकद, एक अटैची जिसको सूटकेस कहते हैं, और कुछ कपड़े बरामद हुये।

श्री भगवती सिंह विशारद---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब यह मामला कोतवाली थाने के खिलाफ दर्ज था तो बिहार थाने में क्यों उसको बन्द करने की जरूरत पड़ी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

वह बिहार थाने के अन्तर्गत आता था। बिहार थाने की पुलिस एक सब इंसपेक्टर कोतवाली के साथ मौके पर गयी और इसलिये उसको बिहार थाने में लाया गया।

श्री शिव कुमार---

मान्यवर, जो चीजें प्रश्न से साफ नहीं होती हैं वही नियम ४९ के अनुसार चर्चा का विषय बन जाता है। यह विषय जितनी देर तक प्रश्नोत्तर के रूप में हुआ है। उसको देखते हुये बड़ा गंभीर सा लगता है। पुलिस वालों ने उस व्यक्ति की हवालात में हत्या की है बन्द करके। इसलिये आप इसको नियम ४९ में चर्चा का विषय बनाने की आज्ञा दें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न नहीं होता क्योंकि नियम ५१ में आपने सूचना दी और उसका जवाब दिया गया।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

मान्यवर, इसको तो नियम ५२ के अन्तर्गत चर्चा का विषय बन जाना चाहिये था क्योंकि उस व्यक्ति को मार डाला गया है कोतवाली के अन्दर।

श्री उपाध्यक्ष---

चूंकि मैजिस्ट्रेट की इन्क्वायरी हो रही है और यदि मैजिस्ट्रेट की इंक्वायरी के बाद, आपके दृष्टिकोण के मुताबिक अगर तथ्य से विपरीत हो तो फिर भी आप उठा सकते हैं इस सवाल को।

(व्यवधान)

जिला उन्नाव के थाना बिहार की हवालात में पुलिस द्वारा कथित मारपीट के फलस्वरूप ४६६ श्री हयात अली नामक व्यक्ति की मृत्यु होने के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

एक सदस्य---

मैजिस्ट्रेट की इंक्वायरी से तसल्ली नहीं होगी। यह तथ्य बहुत गंभीर है, इसको नियम ५२ में चर्चा करा दें।

श्री उपाध्यक्ष---

आपने जो कुछ कहा है मंत्री जी ने सुन लिया और इसके बाद भी सी० आई० डी० की इंक्वायरी नहीं कराते तो हम बाध्य नहीं कर सकते क्योंकि मैजिस्ट्रेट की इंक्वायरी हो रही है। मान लीजिये मैं आपके दृष्टिकोण से सहमत हूं कि मैजिस्ट्रेट की इंक्वायरी से भी कुछ नहीं निकलता, तो हम कैसे सी० आई० डी० इंक्वायरी के लिये बाध्य कर सकते हैं। अगर वह राजी नहीं होते हैं। तो हम राजी नहीं करा सकते। लेकिन और जो तरीके हैं .....।

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी ---

हमारा कहना यह है कि नियम ५२ में जब चर्चा होगी तो बहुत सी बातें सामने आयेंगी।

श्री उपाध्यक्ष ---

चर्चा में वहीं बातें आयेंगी। जैसा केस है .....।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

अन्तर यह होगा, श्रीमन्.....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

आप कृपया बैठिये। अब आगे चलें माननीय राजस्व मंत्री।

जिला सीतापुर के ग्राम मल्लापुर की रानी साहिबा द्वारा उस ग्राम के काश्तकारों को भूमि से जबरदस्ती बेदखल करने के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

राजस्व उप मंत्री (श्री राम किंकर)---

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं जिला सीतापुर के ग्राम मल्लापुर की रानी साहिबा द्वारा काश्तकारों को भूमि से बेदखल किये जाने के संबंध में माननीय सदस्य सर्व श्री कृष्ण कान्त अवस्थी, बंशीधर पांडेय, सुरेन्द्र विक्रम, विश्वनाथ कपूर, श्याम सुन्दर लाल तथा गिरजाशंकर तिवारी द्वारा प्रस्तुत किये गये अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर वक्तव्य देने को खड़ा हुआ हूं। इस मसले के सम्बन्ध में जिले से प्राप्त सूचना से इस बात की तो पुष्टि होती है कि रानी श्रीमती सावित्री देवी द्वारा ग्राम में अपनी कतिपय भूमि नये काश्तकारों से जुतवाने पर १ जून, १९७० को गांव में फौजदारी हुई है, किन्तु इस फौजदारी के कारण गांव के लोगों में भय और आतंक का वातावरण व्याप्त होने एवं असुरक्षा की स्थिति पैदा होने की बात सही नहीं पायी गई है। वास्तविक स्थिति यह बतलाई गई है कि गांव के लोग बिना किसी भय के स्वतंत्रतापूर्वक रह रहे हैं।

अब जहां तक प्रश्नगत फौजदारी की घटना का संबंध है इसके संबंध में प्राप्त हुये विवरण के अनुसार रानी साहिबा की जिस भूमि के सम्बन्ध में यह घटना घटी है वह भूमि रानी साहिबा द्वारा जमींदारी–विनाश के पश्चात् अपने नाबालिक पुत्रों के नाम कर दी गई थी और उसके बाद इस भूमिका प्रबन्ध उनके द्वारा श्री रमाप्रताप सिंह इत्यादि अपने रिश्तेदारों को सौंप दिया गया था, जो कुछ समय तक तो इस भूमि का लगान रानी साहिबा को देते रहे, किन्तु बाद में रानी साहिबा के इन रिश्तेदारों ने इस भूमि पर अपना कब्जा दर्ज करा लिया और इन लोगों ने रानी साहिबा को लगान देना भी बन्द कर दिया। इस पर रानी साहिबा ने यह भूमि अन्य काश्तकारों को जोतने बोने के लिये दे दी। १ जून, १९७० को जब यह भूमि रानी साहिबा अन्य काश्तकारों द्वारा जुतवा

[श्री राम किंकर]

गुड़वा रहीं थीं उनके उक्त रिश्तेदार श्री रमा प्रताप सिंह, बन्धूकों, तमन्चों इत्यादि से लैस अन्य २४ व्यक्तियों के साथ खेत पर आये और खेत की जुताई रोकने लगे। इसी पर तकरार हो गया और मारपीट हो गई, जिसमें रानी साहिबा की पार्टी के आठ व्यक्ति तथा श्री रमा प्रताप सिंह की पार्टी के चार व्यक्ति घायल हो गये। इस घटना की दोनों ही पार्टियों द्वारा पुलिस में रपट दर्ज की गई है और एक दूसरे के विरुद्ध फौजदारी के मुकदमें दर्ज कराये गये हैं कुछ अभियुक्त पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जा चुके हैं और जेल भेजे जा चुके हैं। शेष अभियुक्तों को भी गिरफ्तार करने के लिये पुलिस प्रयत्नशील है।

यह सब सूचना तो मैं जिले से प्राप्त हुई सूचना के आधार पर सदन को दे रहा हूं। मामले की वास्तविकता क्या है और इस फौजदारी के लिये वास्तविक अथवा अधिक दोषी रानी साहिबा हैं अथवा दूसरे पक्ष के लोग, इसके सम्बन्ध में निर्णय तो न्यायालय ही दे सकेगा और दोषी पाये गये व्यक्तियों को उपयुक्त सजा भी न्यायालय द्वारा ही दी जावेगी। वास्तविक दोषी कौन है इस सम्बन्ध में निश्चित राय कायम कर सकना शासन के अधिकार से बाहर की बात है। किन्तु फिर भी जहां तक शान्ति एवं व्यवस्था का सम्बन्ध है, शासन निश्चित रूप से सदन को यह सूचित कर सकता है कि प्रश्नगत गांव में किसी प्रकार का भी भय अथवा आतंक का वातावरण व्याप्त नहीं है और गांव के लोग बिना किसी प्रकार के भय के स्वतन्त्रतापूर्वक रह रहे हैं।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)---

श्रीमन्, वक्तव्य में यह लिखा है कि "इस भूमि का प्रबन्ध उनके द्वारा श्री रमा प्रताप सिंह इत्यादि अपने रिश्तेदारों को सौंप दिया गया था, जो कुछ समय तक तो इस भूमि का लगान रानी साहिबा को देते रहे, किन्तु बाद में रानी साहिबा के इन रिश्तेदारों ने इस भूमि पर अपना कब्जा दर्ज करा लिया और इन लोगों ने रानी साहिबा को लगान देना भी बन्द कर दिया। इस पर रानी साहिबा ने यह भूमि अन्य काश्तकारों को जोतने-बोने के लिये दे दी। १ जून, १९७० को जब यह भूमि रानी साहिबा अन्य काश्तकारों द्वारा जुतवा गुड़वा रही थीं।" तो जब उन्होंने एक आदमी को भूमि प्रबन्ध हेतु दी और इन्द्राज हो गया तो क्या जरूरत थी कि १ जून, १९७० को दूसरे से उसको जुतवाया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष---

किसी व्यक्ति ने कोई काम किया, इसको सरकार कैसे बताये कि जरूरत थी या नहीं।

श्री विश्वनाथ कपूर---

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि कौन दोषी है और कौन नहीं है यह नहीं कहा जा सकता। लेकिन श्रीमन्, ट्रैसपासर के खिलाफ तो कार्यवाही होनी चाहिये। तो श्रीमन्, यह जो वक्तव्य है इसमें तो व्यवस्था का प्रश्न उठता है।

श्री उपाध्यक्ष---

व्यवस्था का प्रश्न आयेगा तो मैं देखूंगा।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

दो आदमियों के बीच में यदि मारपीट हो जाय तो ट्रेसपासर की मदद सरकार करेगी या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष---

इसका जवाब उन्होंने दे दिया है।

श्री कृष्णकान्त (जिला सीतापुर)—

इस सम्बन्ध में २८-५-७० को उसी गांव के काश्तकारों ने कोई प्रार्थना पत्र १२ हस्ताक्षर से राजस्व मंत्री जी को दिया था और जिन काश्तकारों ने यह प्रार्थना पत्र दिया था उनमें से अधिकांश इस झगड़े में मुलजिम हैं ?

श्री रामकिंकर—

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जिस जमीन पर झगड़ा हुआ है वह इस समय किसके कब्जे में है क्या उस पर १४५ की कार्यवाही हुई है ?

श्री चतुभुज शर्मा—

१४५ की कार्यवाही हुई है या नहीं इसकी सूचना हमारे पास नहीं है ।

श्री विश्वनाथ कपूर—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इधर के अभियुक्त कौन कौन पकड़े गये और उधर के कौन कौन अभियुक्त पकड़े गये ?

श्री रामकिंकर—

हमारे पास उनके नाम नहीं हैं ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

सामान्यतः सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यों को दो वर्गों में रखा जा सकता है । एक वर्ग के अन्तर्गत नयी सड़कों, पुलों तथा भवनों के निर्माण का कार्य आता है तथा दूसरे वर्ग में निर्मित सड़कों पुलों तथा भवनों के रख-रखाव तथा मरम्मत का कार्य शामिल किया जा सकता है । इन दोनों प्रकार के कार्यों के निष्पादन में नियमित कर्मचारियों के अतिरिक्त एक बहुत बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारी भी हैं जिन्हें कार्य प्रभारित कर्मचारी कहा जाता है । ऐसे कर्मचारी रोजाना मजदूरी अथवा निश्चित वेतन पर किसी कार्य विशेष पर लगा लिये जाते हैं और उनका वेतन उस कार्य विशेष की लागत से ही देय होता है । किसी कार्य विशेष पर लगाये गये कर्मचारी उस कार्य विशेष के समाप्त हो जाने पर प्रायः जहां तक आवश्यक होता है, दूसरे कार्यों पर लगा दिये जाते हैं । चूंकि सार्वजनिक निर्माण विभाग में निर्माण तथा रख रखाव और मरम्मत के कार्य चलते ही रहते हैं, हजारों कार्य प्रभारित कर्मचारी विभाग की सेवा में निरन्तर अनेक वर्षों से लगे हुये हैं ।

इन कार्य प्रभारित कर्मचारियों को नियमित अधिष्ठान में लेने के प्रश्न पर शासन द्वारा समय समय पर विचार किया गया है । जुलाई, १९६७ में यह निर्णय शासन द्वारा लिया गया था कि केवल ऐसे कार्य प्रभारित कर्मचारी जो मरम्मत और मेन्टीनेन्स में लगे हों और तीन वर्ष से अधिक की अवधि से कार्य कर रहे हों उनको रेगुलर टेम्पोरेरी कर्मचारी बनाया जाय । यह भी तय हुआ था कि निर्माण कार्य के खत्म होने पर उसके रख-रखाव इत्यादि के लिये जिन आदिमियों को रखने की आवश्यकता हो, वे उन्हीं कार्य प्रभारित कर्मचारियों में से छांटे जायें जो उस निर्माण कार्य में कार्य करते हों ।

[श्री वीर बहादुर सिंह]

इस निर्णय के अनुसार १ मार्च, १९६८ को ३ वर्ष या उससे अधिक समय से कार्य कर रहे कार्य प्रभारित कर्मचारियों को नियमित अधिष्ठान में लाने के लिये १३५१८ विभिन्न श्रेणी के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी थी। इन स्वीकृत पदों में से अब तक ९९८० कर्मचारी नियमित अधिष्ठान में लिये जा चुके हैं शेष पद अब भी रिक्त हैं क्योंकि कर्मचारियों की ज्येष्ठता विवादास्पद है तथा कर्मचारियों की मांग है कि रख-रखाव तथा मरम्मत पर लगे कनिष्ठ कर्मचारी को न लेकर उनसे ज्येष्ठ आदमियों को लिया जाय, भले ही वे निर्माण कार्य पर लगे हों।

विभाग के अपने मरम्मत तथा रख-रखाव पर लगे कर्मचारियों की संख्या इस समय बढ़ गयी है, अतएव उनकी कठिनाई को देखते हुये बजट के दौरान मैंने यह घोषणा की है कि लगभग १८,००० कर्मचारी नियमित अधिष्ठान में लिये जायेंगे। इस १८,००० की संख्या में पूर्व स्वीकृत १३५१८ पदों की संख्या सम्मिलित है।

जो कर्मचारी राष्ट्रीय मार्गों में कार्य कर रहे हैं, उनकी ओर से यह मांग रही है कि उन्हें भी नियमित अधिष्ठान में ले लिया जाय। इनकी कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुये महालेखाकार उत्तर प्रदेश तथा भारत सरकार के सम्बद्ध मंत्रालय से बातचीत करके शीघ्र निर्णय लिया जायेगा।

वेतन अभिनवीकरण समिति के द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन-क्रम १५-१-७५ रु० से कम वेतनक्रम केवल दो कर्मचारियों की श्रेणी बेलदार तथा मेट के लिये निर्धारित किया गया है इनके निर्धारित वेतनक्रम इस प्रकार हैं:—

(१) मेट .. ४०-१-६० रु०

(२) बेलदार .. ३०-१-५० रु०

ऐसे कार्य प्रभारित कर्मचारी जो नियमित अधिष्ठान में नहीं लिये गय हैं, उनकी यह मांग रही है कि उनके मासिक वेतन में अत्यन्त महंगाई के कारण कुछ वृद्धि तुरन्त की जाय। यद्यपि तदर्थ वृद्धि से शासन को काफी व्यय भार बहन करना पड़ेगा, फिर भी उनकी कठिनाइयों को देखते हुये शासन ने यह निर्णय लिया है कि ऐसे कार्य प्रभारित कर्मचारी जिन्हें नियमित अधिष्ठान में नहीं लिया गया है के वेतन में १-७-७० से लगभग १० प्रतिशत तक बढ़ोत्तरी कर दी जाय। इसकी घोषणा मैंने इस विभाग के बजट के दौरान कर दी है।

ऐसे कर्मचारी जो नियमित अधिष्ठान में नहीं आये हैं उनके वेतन भिन्न-भिन्न जिलों में भिन्न-भिन्न हैं क्योंकि सम्बन्धित अधिकारी स्थानीय बाजार दर को देखते हुये तथा मजदूर आदि के मिलने की सुविधा अथवा असुविधा को ध्यान में रखकर उस स्थान की मजदूरी तय करते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो १८ हजार कर्मचारियों को नियमित करने की बात की गयी है वह कब तक पूरा कर लेंगे?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री धर्म सिंह)—

लिस्ट आदि बन रही है। कितना रुपया खर्च होगा और इस तरीके के कितने कर्मचारी हमारे पास हैं, यह सब निर्णय होने के बाद ही उस पर पूरे तरीके से कार्यवाही की जायेगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ऐसे कर्मचारियों को जिनको रेगुलर नहीं किया गया है और जिनके लिये आपने घोषणा की है कि उनकी १० प्रतिशत तक बढ़ोत्तरी कर दी जायेगी, तो क्या ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो १० प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जाय उस बढ़ोत्तरी में न्यूनतम १० रुपये तक हो।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत ४७३
वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष—

यह सुझाव है ।

श्री धर्म सिंह—

इसमें १० प्रतिशत के लिये तो कहा ही गया है, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, उस पर सरकार विचार कर लेगी है ।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस समय सदन में कोरम नहीं है ।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री से पूछना चाहता हूं कि दो श्रेणी मेट और बेलदार की जो आपने बतलाई है, उनके लिये जो आपने वेतन क्रम रखा है वह वेतन अभिनवीकरण समिति द्वारा निर्णित वेतन क्रम से कम है तो क्या उसको उसके समान लाने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री धर्म सिंह—

जी नहीं, यह सम्भव नहीं है ।

लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा प्रीमेडिकल टेस्ट के परीक्षार्थियों को ओरीजिनल प्रवेश-पत्र न देने के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री धर्म दत्त)—

लखनऊ विश्वविद्यालय की २ जुलाई, १९७० को आरम्भ होने वाली प्री मेडिकल परीक्षा के प्रवेशार्थियों को ओरीजिनल प्रवेश पत्र के बजाय डुप्लीकेट प्रवेश पत्र देने के विषय में जो सूचना लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त हुई है उसके अनुसार प्रत्येक परीक्षार्थी को एक एडमिट कार्ड दिया जाता है जिस पर परीक्षार्थी का एटेस्टेड फोटो लगा रहता है जिससे इन्वीजिलेटर चेक करते हैं । जिन परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र स्वीकार कर लिये गये थे उनको यह एडमिट कार्ड रोल नम्बर डालकर डाक द्वारा भेज दिये गये थे । कुछ परीक्षार्थियों को जो अपने घर से संभवतः जल्दी चल दिये थे या और किस कारणवश डाक से भेजे हुए एडमिट कार्ड नहीं मिल सके थे, ऐसे परीक्षार्थियों के सुभीते के लिये विश्वविद्यालय में उनको डुपलीकेट एडमिट कार्ड देने की व्यवस्था की गई है । इन डुप्लीकेट एडमिट कार्डों पर जो फोटो लगाई जाती है उसे विश्वविद्यालय के कर्मचारी स्वयं अटेस्ट कर देते हैं ताकि परीक्षार्थियों को कोई असुविधा न हो । किसी भी परीक्षार्थी से यह नहीं कहा गया है कि अपनी फोटो बाहर के किसी व्यक्ति से अटेस्ट कराये । परीक्षा की तिथि आगे बढ़ जाने के कारण यह सुविधा अब ३० जून और पहली जुलाई को दी जायेगी । लगभग १२ हजार एडमिट कार्डों में अब तक केवल लगभग ७०० परीक्षार्थी ही ऐसे आये हैं जिन्होंने डुप्लीकेट एडमिट कार्ड मांगा और उन्हें दिया गया । जिन परीक्षार्थियों को बाद में प्राविजनल अनुमति परीक्षा में बैठने के लिये दी जा रही है उनके रोल नम्बर समय कम होने के कारण डाक द्वारा नहीं भेजे गये । यह रोल नम्बर ३० जून और पहली जुलाई को परीक्षार्थियों को लखनऊ और कानपुर के केन्द्रों पर दिये जायेंगे । यह सूचना समाचार पत्रों में और परीक्षार्थियों को दी गई सूचना में स्पष्ट कर दी गई है । अतएव उनके सामने एडमिट कार्ड प्राप्त करने में कठिनाई का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो ओरिजनल एडमिट कार्ड थे वह कितने विद्यार्थियों को भेजे गये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनवार अहमद)—

सही तादाद तो मेरे पास नहीं है लेकिन जो सूचना उपलब्ध है उसके अनुसार लगभग १२ हजार ही भेजे गये हैं ।

श्री रियासत हुसैन—

जैसा कि मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बताया कि जो डुपलीकेट कार्ड इशू होंगे उनको वहां की यानी यूनिवर्सिटी अथारिटीज ही अटेस्ट कर देंगी । मैं यह जानना चाहता हूं कि जो सूचना विद्यार्थियों को ३० जून या १ जुलाई तक आने की दी गई है उसमें यह भी लिख दिया गया है या नहीं कि वह अपने साथ फोटो भी लेकर आये ? यदि नहीं, तो वह १ जुलाई को ही फोटो कैसे तैयार करा सकेंगे ?

श्री अनवार अहमद—

मैं बता दूं कि इन परीक्षाओं का सरकार से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है, यह लखनऊ विश्वविद्यालय के अन्तर्गत हो रही है और हमारा ख्याल है कि इस तरह की फोटो लाने की हिदायत उन्होंने की ही होगी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

वाराणसी विश्वविद्यालय के परीक्षार्थियों ने जो रिप्रिजेन्टेशन किया है कि उन की बी० एस-सी० पार्ट १ और २ की परीक्षा भी उन्हीं तिथियों में होने वाली है उस पर विचार करके यदि अब फिर परीक्षा स्थगित की जाती है तो क्या उसकी सूचना कुछ पूर्व कर दी जायगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो भिन्न प्रश्न है, यह उन के अधीन नहीं है, विश्वविद्यालय स्वायत्त शासी संस्था है, उस पर उनका सीधा नियंत्रण है नहीं । वह इसमें क्या कर सकते हैं । सरकारी कंट्रोल उन पर न रहे तो ही अच्छा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बज कर ४१ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ;
२६ जून, १९७० ।

देवकीनन्दन मित्तल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३९८ पर)

इंजीनियरों की बेरोजगारी से संबंधित कार्यकारी मण्डल का गठन तथा उसकी सिफारिशें

इंजीनियरों की बेरोजगारी के संबंध में एक कार्यकारी मंडल का गठन २० सितम्बर, १९६९ को किया गया। इस मंडल के अध्यक्ष सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा सदस्यों में मुख्य अभियन्ताओं के अतिरिक्त उद्योग निदेशक तथा प्राविधिक शिक्षा निदेशक थे। इस कार्यकारी मंडल द्वारा दी गई मुख्य शिफारिशों का सारांश निम्नलिखित है—

१—प्रायोजनाओं से संबंधित प्रारम्भिक अनुसंधान कार्य इंजीनियरिंग आदि विभागों में किया जाय।

२—भारी प्रायोजनायें जो पूरी हो चुकी हैं उनकी तकनीकी रिपोर्ट बनाई जाय।

३—'अ' तथा 'ब' श्रेणी के ठेकेदारों को अपने यहां क्वालीफाइड इंजीनियरों को लगाने पर बाध्य किया जाय।

४—विशेष श्रेणी के स्थानीय निकायों को इंजीनियरों को अपने यहां लगाने को कहा जाय।

५—इंजीनियरों की सहकारी समितियां बना कर उन्हें निर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्रय-विक्रय वितरण आदि के कार्य करने के लिये उत्साहित किया जाय तथा सहायता दी जाय।

६—इंजीनियरों की सहकारी समितियों से निर्माण-कार्य कराने के लिये विभिन्न इंजीनियरिंग विभागों द्वारा वरीयता का व्यवहार किया जाय तथा ठेकेदारी से संबंधित शर्तों में छूट दी जाय।

७—इंजीनियरों या उनकी सहकारी समितियों द्वारा कृषि यंत्रों के निर्माण एवं मरम्मत के लिये कर्मशालायें प्रत्येक विकास खंड में राजकीय कृषि उद्योग निगम आदि से परामर्श करके स्थापित किये जायं।

८—ऐसे इंजीनियरिंग विभागों में निर्माण अनुभाग स्थापित किये जायं जहां वे पहले से स्थापित नहीं हैं तथा जिन विभागों में ऐसे अनुभाग पहले से ही स्थापित हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाय ताकि विभागों का अधिकाधिक निर्माण-कार्य इन अनुभागों द्वारा किया जाय।

९—बड़े जिलों में निर्माण सूचना केन्द्र खोले जायं।

१०—इंजीनियरिंग विभागों द्वारा प्रशिक्षण एवं अवकाश के लिये आरक्षण का प्राविधान किया जाय।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७३–७४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०५ पर)

तालिका 'क'

गन्ना मूल्य की स्थिति दिनांक ३१–५–७० तक की

वर्तमान (१९६९–७०) सीजन का गन्ना मूल्य	१९६९–७० के पहले				
	वाजिब हुआ	भुगतान हुआ	अवशेष	बकाया	कुल योग
देवरिया—					
१–गौरी बाजार	६८–१४	५७–५६	१०–५८	—	१०–५८
२–बैतालपुर	७६–१२	६५–६१	१०–५१	—	१०–५१
३–देवरिया	८१–३४	७७–३४	४–००	—	४–००
४–भटनी	४५–७२	४५–५२	०–२०	३–७४	४–१४
५–प्रतापपुर	४६–३७	४६–३४	०–०३	—	०–०३
६–खड्डा	६४–६६	३७–९०	२६–७६	८–४७	३५–२३
७–छितौनी	७३–३९	५२–९४	२०–४५	—	२०–४५
८–कप्तानगंज	१२०–४३	१२०–४३	—	—	—
९–रामकोला (पी)	१७५–६१	१७५–६१	—	—	—
१०–रामकोला (के)	५८–६३	४२–१०	१५–९३	५–५१	२१–४४
११–लक्ष्मीगंज	८३–५३	६४–८४	१८–६९	—	१८–६९
१२–पडरौना	११६–८६	९२–८६	२४–००	—	२४–००
१३–कठकुईयां	८०–१०	६१–२१	१८–६९	—	१८–६९
१४–सेवरही	११०–९५	१०८–०१	२–९४	—	२–९४
योग ..	१२०१–२५	१०४८–२७	१५२–९८	१७–९२	१७०–९०

तालिका 'ख'

मिलवार प्रस्तावित गन्ने की मात्रा जो ३१–५–७० को अवशेष थी

क्र० सं०	जिला	क्रम-संख्या तथा मिल का नाम	३१–५–७० को अवशेष प्रस्तावित गन्ने की मात्रा लाख (क्विं०)
१	२	३	४
		पश्चिम उत्तर प्रदेश	
१—मेरठ		१—सकोती	०–२५
		२—दौराला	—
		३—जसवन्त	३–३८
		४—मोहिउद्दीनपुर	६–०२
		५—बेगमाबाद	०–८६
		६—सिरूभावली	३–६२
		७—मवाना	२–७२
		८—बागपत	६–८२
२—मुजफ्फरनगर		९—मनसूरपुर	४–४६
		१०—खतौली	६–८०
		११—रोहाना	४–१५
		१२—शामली	१४–९१
३—बुलन्दशहर		१३—बुलन्दशहर	०–५७
४—सहारनपुर व देहरादून		१४—इकबालपुर	—
		१६—डोईवाला	८–१९
		१६—देवबन्द	९–५५
		१७—लक्सर	१–३४
		१८—सरसावां	३–५२
		मध्य उत्तर प्रदेश	
५—नैनीताल		१९—काशीपुर	१०–४४
		२०—बाजपुर	८–००
६—एटा		२१—न्योली	३–२१
७—मुरादाबाद		२२—अमरोहा	२–३०
		२३—बिलारी	१०–०३
८—बरेली		२४—बहेड़ी	७–७२
		२५—बरेली	३–८५
९—पीलीभीत		२६—पीलीभीत	१९–७०
		२७—मझोला	५–३८
१०—बिजनौर		२८—धामपुर	१०–६९
		२९—स्योहारा	१५–३७
		३०—बिजनौर	४–९२

१	२	३	४
११—शाहजहांपुर	३१—रोजा		३—३६
१२—रामपुर	३२—रजा बुलन्द		१६—६६
१३—सीतापुर	३३—हरगांव		२७—७५
	३४—महोली		१४—५१
१४—लखीमपुर खीरी	३५—गोला		५१—६४
	३६—ऐरा		५—८७
	पूर्वी उत्तर प्रदेश		
१५—बाराबंकी	३७—बाराबंकी		२—६१
	३८—बुढ़वल		३—७६
१६—गोंडा व	३९—तुलसीपुर		२—०८
बहराइच	४०—जरवल रोड		५—५६
१७—पडरौना	४१—खड्डा		१—४४

नोट—केवल उन्हीं मिलों का ब्योरा दिया गया है जो १९-६-७० को गन्ना पेराई कर रही थी। जिन चीनी मिलों के सामने अवशेष प्रस्तावित गन्ने की मात्रा शून्य दिखाई गई है, वे अपने क्षेत्र का समस्त बांडेट गन्ना पेर चुकी हैं और अब वे अनबांडेट गन्ना पेर रही हैं।

नत्थी 'ग'

(देखिये पृष्ठ ४१३ पर)

विधान सभा के वर्तमान सत्र १९७० के सातवें सोमवार (८-६-७०) के लिये श्री शम्भूनाथ चौधरी द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या ५ व ६ के उत्तर

प्रश्न	उत्तर
५—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर नगर की लक्ष्मी रतन काटन मिल्स पर ३१ दिसम्बर, सन् १९६९ तक भविष्य निधि की कितनी धनराशि बकाया है ?	कानपुर की लक्ष्मी रतन काटन मिल्स पर ३१ दिसम्बर, १९६९ तक भविष्य निधि की कुल २४,०८,८९२.३६ रुपये की धनराशि बकाया थी ।
६—क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त बकाया धनराशि की वसूली के लिये भू-राजस्व की बकाया धनराशि की भांति वसूली की कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो इसका परिणाम क्या हुआ ?	जी हां। भू-राजस्व के बकाये की वसूली की भांति कार्यवाही की गई है। तद्नुसार उक्त मिल्स की चल तथा अचल सम्पत्ति की कुर्की की जा चुकी है। आगे की कार्यवाही विचाराधीन है।

श्रम मन्त्री ।

नत्थी 'घ'

(देखिय पीछे पृष्ठ ४१३ पर)

उत्तर प्रदेश ऐंटरटेनमेंट ऐंड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९७०

युनाइटेड प्रोविंसेज ऐन्टरटेनमेन्ट्स ऐण्ड बैटिंग टैक्स ऐक्ट, १९३७ का अग्रेतर संशोधन करने के लिये,

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश ऐन्टरटेनमेन्ट्स ऐण्ड बैटिंग टैक्स (संशोधन) अधिनियम, १९७० कहलायेगा ।

यू०पी० ऐक्ट संख्या ८, १९३७ की धारा ३ का संशोधन

२—युनाइटेड प्राविन्सेज ऐन्टरटेनमेन्ट्स ऐण्ड बैटिंग टैक्स ऐक्ट, १९३७ की धारा ३ की उपधारा (१) में शब्द "प्रवेश शुल्क के पचहत्तर प्रतिशत से अधिक न होगा" के स्थान पर शब्द "ऐसे शुल्क के एक रुपये से अधिक न होने की दशा में प्रवेश शुल्क के पचहत्तर प्रतिशत अधिक न होगा और किसी अन्य दशा में उसके शत प्रतिशत से अधिक न होगा" रख दिये जांय ।

उद्देश्य और कारण

प्रदेश की चौथी पंचवर्षीय योजना के लिय अधिक से अधिक वित्तीय साधन जुटाने के उद्देश्य से सरकार ने यह निश्चय किया है कि मनोरंजन कर ऐसे शुल्कों पर जो एक रुपये से अधिक न हों प्रवेश शुल्क के ७५ प्रतिशत से अधिक न होगा परन्तु किसी अन्य दशा में उसके शतप्रतिशत से अधिक न होगा। अतः यह प्रस्ताव है कि यू० पी० ऐन्टरटेनमेंट्स ऐण्ड बैटिंग टैक्स ऐक्ट, १९३७ की धारा ३(१) में संशोधन किया जाय ।

तदनुसार है विधेयक पुरः स्थापित किया जाता है ।

चरण सिंह,
मुख्य मंत्री

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ४१३ पर)

इण्डियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७०

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में इण्डियन स्टाम्प ऐक्ट, १८९९ में, अग्रेतर संशोधन करने के लिये,

विधेयक

भारतीय गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम तथा प्रसार

१—(१) यह अधिनियम इण्डियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) [अधिनियम, १९७० कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार संपूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

१८९९ का ऐक्ट २ की धारा ११ का संशोधन ।

२—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथासंशोधित इण्डियन स्टाम्प ऐक्ट, १८९९, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा ११ में, खण्ड (सी) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्—

"(सी) एडवोकेट्स ऐक्ट, १९६१ की धारा २२ के अधीन उत्तर प्रदेश की स्टेट बार काउन्सिल द्वारा जारी किया गया भर्ती का प्रमाण-पत्र;

अनुसूची १–बी का संशोधन

३—मूल अधिनियम की अनुसूची १–बी, में अनुच्छेद ३० में, द्वितीय स्तम्भ, की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात्—

"दो सौ पचास रुपये" ;

उद्देश्य और कारण

शासन के पास समय-समय पर ऐसे प्रत्यावेदन आते रहे हैं जिनमें यह अनुरोध किया गया है कि उत्तर प्रदेश की स्टेट बार काउन्सिल द्वारा एडवोकेटों की भर्ती किये जाने के संबंध में ५०० रुपये का स्टाम्प शुल्क समाप्त कर दिया जाय । संपूर्ण परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् शासन ने उक्त शुल्क को इस समय ५०० रु० से घटाकर २५० रु० करने का निर्णय किया है । इण्डियन स्टाम्प ऐक्ट, १८९९ की अनुसूची १–बी के आर्टिकिल ३० को तद्नुसार संशोधित करने का प्रस्ताव है । इस अवसर का उपयोग उक्त ऐक्ट की धारा ११(सी) में भी आनुषंगिक शाब्दिक संशोधन करने के लिये किया जा रहा है ।

तद्नुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है ।

बलबीर सिंह,
बिक्री-कर तथा पंजीयन मंत्री ।

अधिनियम की धारा ११ (सी) और अनुसूची १–बी के अनुच्छेद ३० के उद्धरण जिनमें संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

I. Section 11

11. *Use of adhesive stamps*—The following instruments may be stamped with adhesive stamps, namely—

(*c*) entry as an advocate, vakil or attorney on the roll of a High Court ;

II. Article 30 *of Schedule I-B*

Description of instrument	Proper stamp duty
30. Certificate of enrolment under section 22 of the Advocates Act, 1961, issued by the State Bar Council of Uttar Pradesh ..	Five hundred rupees.

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ ४१४ पर)

कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७०

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७०, का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।

संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९७० कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह उस दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

ऐक्ट संख्या, VI1, १८७० की अनुसूची २ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथा संशोधित कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७० की अनुसूची २ में, अनुच्छेद १ ("आवेदन-पत्र या याचिका") में—

(१) द्वितीय स्तम्भ में खंड (ई) में, उप-खंड (२) और उससे संबंधित स्तम्भ में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित उप-खंड तथा प्रविष्टि रख दी जाये, अर्थात्—

स्तम्भ २	स्तम्भ ३
(२) संविधान के अनुच्छेद २२६ या अनुच्छेद २२७ के अधीन, या उस पर उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा दिये गये निर्णय या आदेश के विरुद्ध विशेष अपील के रूप में	एक सौ रुपया

(२) उसके अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्

"प्रतिबन्ध यह है कि—

(१) दंड प्रक्रिया संहिता, १८९८ की धारा ४९१ के अधीन अथवा संविधान के अनुच्छेद २२६ के अधीन बन्दी प्रत्यक्षीकरण लेख (हैबियस कार्पस) के हेतु, या उससे संबंधित किसी कार्यवाही के संबंध में, किसी आवेदन-पत्र या याचिका पर खंड (ई) के अधीन कोई न्यायालय शुल्क देय न होगा।

(२) किसी मामले की सुनवाई को स्थगित करने के लिये किसी आवेदन-पत्र या याचिका पर देय न्यायालय शुल्क, यथास्थिति, खंड (बी), खंड (सी), खंड (डी) या खंड (ई) के उप खंड (५) के अधीन किसी साधारण आवेदन-पत्र या याचिका पर देय न्यायालय शुल्क का दुगुना होगा।"

उद्देश्य और कारण

यह विधेयक, रिट याचिकाओं और विशेष अपीलों और स्थगन के प्रार्थनापत्रों व याचिकाओं पर देय न्यायालय शुल्क को बढ़ाने, और बन्दी प्रयत्क्षीकरण (हैबियस कार्पस्) प्रकार की रिट याचिकाओं पर या उनसे संबंधित किसी कार्यवाही में देय न्यायालय शुल्क को समाप्त करने के उद्देश्य से पुरःस्थापित किया जा रहा है।

बलबीर सिंह,
बिक्री-कर तथा पंजीयन मंत्री।

अधिनियम की अनुसूची २ के संगत उद्धरण, जिसमें संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

SCHEDULE II

Number		*Proper fee*
1. Application or petition.	(*b*) When containing a complaint or charge of any offence and presented to any Criminal Court ; or when presented to a Collector containing a request from a local body, such as the Municipal Board, the District Board or the Notified Area Committee for the realization of any dues by issue of warrant or any other distress ; or when presented to a District Magistrate for permission to have displays of fire-works or for a police escort ; or when presented to a District Magistrate, in the form of a programme or in any other form, for the exhibition of a film at a shorter notice than that permitted by the conditions of the licence issued to cinema companies for exhibiting films ; or when presented to a District Magistrate or Collector or any officer subordinate to him, under the Village Pancayat Act, the Indian Arms Act, the Poisons Act, the Explosives Act, the Stage Carriage Act, the Indian Cinematograph Act, or any other enactment for the time being in force, unless specifically exempted from payment of court fee ; or when presented to a Civil, Criminal Revenue Court, or to a Collector, or any Revenue Officer having jurisdiction equal or subordinate to a Collector, or to any Magistrate in his executive capacity, and not otherwise provided for by this Act ; or to deposit in Court revenue or rent ; or for determination by a Court of the amount of compensation to be paid by landlord to his tenant.	One rupee and fifty paise.
	(*c*) When presented to a Chief Commissioner or other Chief Controlling Revenue or Executive Authority, or to a Commissioner of Revenue or Circuit, or to any chief officer charged	Three rupees.

Number	*Proper fee*
with the executive administration of a division and not otherwise provided for by this Act.	
(*d*) When presented to the Board of Revenue for revision of a judgment or order.	Five rupees.
(*e*) When presented to a High Court	
* * * *	
(2) Under Article 226 of the Constitution not being for a writ in the nature of *habeas corpus* ; or under Article 227 of the Constitution ;	Fifty rupees.
(5) In any other case not otherwise provided for.	Five rupees.

नत्थी 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ४१४ पर)

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, १९७०

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३३, १९५२

उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, १९५२ में और संशोधन करने के लिये विधेयक

भारतीय गणतंत्र के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अधिनियम, १९७० कहलायेगा ।

(२) यह उस दिनांक से प्रवृत होगा जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे ।

धारा ३ के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन

२—उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यटी) अधिनियम, १९५२, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा ३ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्

एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का लगाया जाना

"३—(१) आगे दिये गये उपबन्धों के अधीन रहते हुए :

(क) किसी लाइसेंसी, बोर्ड, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकारद्वारा किसी उपभोक्ता को बेची गयी एनर्जी, या

(ख) किसी लाइसेंसी या बोर्ड द्वारा वाणिज्यिक या आवासिक प्रयोजनों के लिये प्रयोग किये जाने वाले भगृहादि में, अथवा किसी अन्य भूगृहादि में, अपने वर्क्स के निर्माण, बनाये रखने या चलाने से भिन्न प्रयोजनों के लिये उपभुक्त एनर्जी, या

(ग) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विद्युत जनन के अपने स्रोत से उपभुक्त एनर्जी, पर एक ड्यूटी (जिसे आगे "एलेक्ट्रिसिटी ड्यटी" कहा गया है) लगायी जायगी और जिसका भुगतान राज्य सरकार को किया जायगा और जो ऐसी दर या दरों पर निर्धारित की जायगी जिसे राज्य सरकार समय समय पर गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे और ऐसी दर या तो चार्ज की दर के निर्दिष्ट प्रतिशत के रूप में या प्रति यूनिट निर्दिष्ट धनराशि के रूप में निश्चित की जा सकती है ।

(२) उपधारा (१) के खंड (क) और (ख) के संबंध में, एलेक्ट्रिसिटी ड्यटी चार्ज की दर के पचीस प्रतिशत से अधिक न होगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वन पार्ट टैरिफ की दशा में, यदि इकाई मूल्य प्रति यूनिट चालीस पैसे से अधिक हो तो एलेक्ट्रिसिटी ड्यटी नहीं लगायी जा सकेगी और न ही इकाई मूल्य के साथ जो देने पर वह कुल मिलाकर प्रति यूनिट चालीस पैसे से अधिक होगी, तथा इसके अधीन रहते हुए यह ड्यूटी एक पैसे से कम प्रति यूनिट छः पैसे से अधिक न होगी :

स्पष्टीकरण—उपर्युक्त एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की संगणना करने के प्रयोजनों के लिये, लाइसेंसी या बोर्ड द्वारा उपभुक्त अथवा उसके या अपने भागीदारों, निदेशकों सदस्यों, अधिकारियों या सेवकों को निःशुल्क अथवा रियायती दरों पर सम्भरित एनर्जी, यथास्थिति, लाइसेंसी या बोर्ड द्वारा उपभोक्ताओं को, उसी श्रेणी के अन्य उपभोक्ताओं के संबंध में लागू दरों पर बेची गयी इनर्जी समझी जायगी ।

(३) उपधारा (१) के खंड (ग) के संबंध में, एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी प्रति यूनिट एक पैसे से कम या छः पैसे से अधिक न होगी ।

(४) राज्य सरकार, लोक हित में, किसी क्षेत्र में एनर्जी के सम्भरण के लिए वर्तमान मूल्यों को, किसी संयंत्र की विद्युत जनन क्षमता को औद्योगिक उन्पादन को सामान्यतया अथवा उसके किसी निर्दिष्ट वर्ग को बढ़ाने की आवश्यकता को, और किसी अन्य सुसंगत बात को ध्यान में रखते हुये, या तो एनर्जी के विभिन्न वर्गों के उपभोग के संबंध में एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की विभिन्न दरें निश्चित कर सकती है अथवा उसका भुगतान करने से कोई भी छूट दे सकती है ।

(५) निम्नलिखित पर कोई एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं लगायी जायगी ।

(क) केंद्रीय सरकार द्वारा उपयुक्त अथवा केंद्रीय सरकार द्वारा उपभोग किये जाने के लिये उस सरकार को बेंची गयी एनर्जी, या

(ख) राज्य सरकार द्वारा उपभुक्त अथवा राज्य सरकार द्वारा उपयोग किये जाने के लिये उस सरकार को बेंची गयी एनर्जी, या

(ग) किसी रेलवे के निर्माण, बनाये रखने या चलाने में केंद्रीय सरकार द्वारा उपभुक्त अथवा किसी रेलवे के निर्माण, बनाये रखने या चलाने में उपभोग के लिए उस सरकार को बेंची गयी एनर्जी,

(घ) किसी कृषक (cultivator) द्वारा ऐसे कृषि कार्यों (agricultural purposes) में जो उस के खेतों पर या उनके निकट किये जांय तथा सिंचाई के लिए पानी को पंप द्वारा उठाना, उन खेतों की उपज का कुचलना या पेरना, पीसना या उपभोग के लिए अन्य क्रिया करना (crushing, milling and treating) या चारा काटना ।

धारा ३-क का निकाला जाना

३—मूल अधिनियम की धारा ३–क निकाल दी जाय ।

धारा ४ के स्थान पर नयी धाराओं का प्रतिस्थापन एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और उसके ब्याज का भुगतान

४—मूल अधिनियम की धारा ४ के स्थान पर निम्नलिखित नयी धारा ४-क और ४-ख रख दी जायें, अर्थात्:—

"४—(१) एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, ऐसी रीति से तथा ऐसी अवधि के भीतर, जो नियत की जाय, राज्य सरकार को निम्नलिखित के द्वारा दी जायगी:—

(क) जब एनर्जी लाइसेंसी द्वारा सम्भरित या उपभुक्त की जाय, तो लाइसेंसी द्वारा;

(ख) जब एनर्जी राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा सम्भरित की जाय अथवा बोर्ड द्वारा सम्भरित या उपभुक्त की जाय, तो नियुक्त प्राधिकारी द्वारा, और

(ग) जब एनर्जी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपने ही विद्युत जनन स्रोत से उपभुक्त की जाय, तो ऐसी एनर्जी जनित करने वाले व्यक्ति द्वारा ।

(२) यदि उपर्युक्त के अनुसार नियत अवधि के भीतर राज्य सरकार को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की धनराशि का भुगतान न किया जाय तो, यथास्थिति, लाइसेंसी, बोर्ड या उपधारा (१) के खंड (ग) में उल्लिखित व्यक्ति, उस एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की धनराशि पर जिसका भुगतान न किया गया हो, अट्ठारह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से, ऐसी अवधि के भीतर जो नियत की जाय, तब तक ब्याज का देनदार होगा जब तक कि उसका भुगतान न कर दिया जाय ।

उपभोक्ताओं से एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की प्रतिपूर्ति

४-क—(१) किसी लाइसेंसी, राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार या बोर्ड द्वारा किसी उपभोक्ता को सम्भरित एनर्जी पर धारा ३ के अधीन देय एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की धनराशि यथास्थिति लाइसेंसी या नियुक्त प्राधिकारी द्वारा उपभोक्ता से वसूल की जा सकती है।

ऐक्ट संख्या ९, १९१०

(२) उपभोक्ता से एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की धनराशि वसूल करने के उद्देश्य से, यथास्थिति, लाइसेंसी या नियुक्त प्राधिकारी, वसूली की किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इंडियन एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, १९१० की धारा २४ की उपधारा (१) के अधीन लाइसेंसी को प्राप्त अधिकारों का प्रयोग कर सकता है मानो कि उक्त ड्यूटी ऐसे उपभोक्ता को सम्भरित एनर्जी के संबंध में चार्ज अथवा देय धनराशि हो ।

कतिपय दशाओं में दण्ड शुल्क, का भुगतान किया जायगा

४-ख—(१) यदि तदर्थ नियत किसी प्राधिकारी की राय में एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के लिये देनदार लाइसेंसी, बोर्ड या अन्य व्यक्ति ड्यूटी देने से छलपूर्वक बचता है अथवा बचने का प्रयास करता है, चाहे वह ऐसा मिथ्या अभिलेख रखकर, मिथ्या विवरणियों को प्रस्तुत करके, सम्भरित या उपभुक्त एनर्जी को छिपाकर अथवा किसी अन्य उपाय से करता हो, तो, यथास्थिति, लाइसेंसी, बोर्ड या अन्य व्यक्ति ऐसे समय के भीतर जो नियत किया जाय, उक्त ड्यूटी के अतिरिक्त दंड के रूप में ऐसी ड्यूटी की, जिसे छलपूर्वक बचाया गया हो अथवा जिसे बचाने का प्रयास किया गया हो, धनराशि के चार गुने से अनधिक ऐसी धनराशि का भुगतान करेगा जो उक्त प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि लाइसेंसी, बोर्ड या ऐसे अन्य व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिये बिना इस उपधारा के अधीन कोई कार्यवाही न की जायगी ।

(२) उपधारा (१) के अधीन दिये गये आदेश के विरुद्ध अपील ऐसे प्राधिकारी को, ऐसी अवधि के भीतर और ऐसा शुल्क देने पर, जो नियत किया जाय की जायगी ।

(३) अपीलीय प्राधिकारी उस आदेश को जिसके विरुद्ध अपील की गयी हो, पुष्टि कर सकता है, उसको रद्द कर सकता है अथवा उसमें परिष्कार कर सकता है, और अपील का निस्तारण होने तक आदेश का कार्यान्वित किया जाना पूर्णतः या अंशतः और ऐसी शर्तों पर वह जो उचित समझे, स्थगित कर सकता है ।"

धारा ५ का संशोधन

५—मूल अधिनियम की धारा ५ में—

(१) उपधारा (१) में, —

(क) प्रथम पैरा में शब्द "नियुक्त प्राधिकारी" के पश्चात् शब्द "अथवा एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के लिये देनदार अन्य व्यक्ति" बढ़ा दिये जायं ;

(ख) खंड (क) में शब्द "उपभोक्ता को देने के लिये" के स्थान पर, शब्द "पारेषण या पूर्ति करने के लिये" रख दिये जायें ।

(ग) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्—

"(ग) प्रत्येक श्रेणी के उपभोग पर अलग-अलग देय एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की धनराशि और धारा ४-क के अधीन वसूल की गयी धनराशि", और

(घ) खंड (ग-क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्—

"(ग-क) धारा ४ के अधीन देय ब्याज की धनराशि, यदि कोई हो, और धारा ४-ख के अधीन अवधारित खंड शुल्क की धनराशि, यदि कोई हो"; और

(२) उपधारा (२) में "शब्द प्रत्येक लाइसेंसी अथवा नियुक्त प्राधिकारी" के स्थान पर शब्द "प्रत्येक व्यक्ति" रख दिये जायें और शब्द "ऐसे आकार और रीति में" के पश्चात् कामा तथा शब्द "ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी अवधि के भीतर" रख दिये जायें ।

धारा ७ के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन

६—मूल अधिनियम की धारा ७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायं, अर्थात्—

एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आदि की वसूली

"(१) यदि धारा ३, धारा ४ या धारा ४-ख के अधीन एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ब्याज अथवा दंड शुल्क के मद्दे देय कोई धनराशि नियत अवधि के भीतर राज्य सरकार को अदा न कर दी गई हो तो वह मालगुजारी की बकाया के रूप में निम्नलिखित से वसूल की जा सकेगी ।

(क) लाइसेंसी द्वारा सम्भरित या उपभुक्त एनर्जी की दशा में— लाइसेंसी से;

(ख) बोर्ड द्वारा सम्भरित या उपभुक्त एनर्जी की दशा में— बोर्ड से; और

(ग) एनर्जी जनन करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपभुक्त एनर्जी की दशा में उस व्यक्ति से जो इस अधिनियम के अधीन उक्त ड्यूटी का देनदार हो ।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार—

(क) किसी लाइसेंसी या बोर्ड द्वारा उपर्युक्त प्रकार से देय किसी धनराशि की दशा में, उक्त धनराशि को किसी ऐसी धनराशि में से काट सकती है जो राज्य सरकार द्वारा लाइसेंसी या बोर्ड को देय हो, या

(ख) किसी लाइसेंसी द्वारा उपर्युक्त प्रकार से देय किसी धनराशि की दशा में, बोर्ड से यह अपेक्षा कर सकती है कि वह उक्त धनराशि को किसी ऐसी धनाराशि में से काट ले जो उसके द्वारा लाइसेंसी को देय हो और इस प्रकार काटी गयी धनराशि राज्य सरकार को दे दे ।"

धारा ८ का संशोधन

७—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ८ को संख्या बदल कर उसे उपधारा (१) कर दिया जाय और इस प्रकार पुनः संख्याकि उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्,

"(२) यदि कोई व्यक्ति धारा ५ में उल्लिखित कोई ऐसा अभिलेख रखता है या कोई ऐसा नक्शा प्रस्तुत करता है, जिसके संबंध में उसे यह जानकारी हो या यह विश्वास करने का कारण हो कि वह किसी सारवान विवरण में मिथ्या है अथवा सत्य नहीं है, तो वह अर्थ दंड का भागी होगा जो एक हजार रुपये से अधिक न होगा ।"

नयी धारा ८—क, ८—ख और ८-ग का बढ़ाया जाना

८—मूल अधिनियम की धारा ८ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारायें बढ़ा दी जायं, अर्थात्—

अपराध संज्ञान

"८—क—कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान तब तक न करेगा जब तक कि किसी ऐसे अधिकारी द्वारा जो नियत किया जाय, परिवाद न किया जाय ।

कम्पनियों द्वारा अपराध

८—ख—(१) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो, तो कम्पनी और उसके साथ-साथ प्रत्येक व्यक्ति भी, जो अपराध किया जाने के समय कम्पनी का कारोबार चलाने के निमित्त उसका प्रभारी हो, और उसके प्रति उत्तरदायी हो, अपराध करने का दोषी समझा जायगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा उसे तदनुसार दंड दिया जा सकेगा ।

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति किसी दंड का भागी न होगा यदि वह यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा उसने उस अपराध को रोकने के लिये सभी प्रकार की यथोचित सावधानी बरती थी ।

(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुए भी, यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो और यह सिद्ध हो जाय कि अपराध कम्पनी के किसी मैनेजिंग एजेंट, सेक्रेटरीज, और ट्रेजरार्स निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति से या उसकी मौन अनुमति से हुआ है, अथवा यह कि अपराध उसकी ओर से किसी उपेक्षा के कारण हुआ है तो वह मैनेजिंग एजेंट, सेक्रेटरी, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा उसे तदनुसार दंड दिया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण:—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है, और इसके अन्तर्गत कोई भी फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ भी है, और

(ख) किसी फर्म के संबंध में "निदेशक" का तात्पर्य फर्म के किसी भागीदार से है ।

सद्भावना से किये गये कार्य के लिये संरक्षण

८-ग—इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम अथवा दिये गये किसी आदेश के किसी उपबन्ध के अनुसरण में सद्भावना से किये गये अथवा किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के संबंध में राज्य सरकार के किसी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन अथवा अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी ।"

९—मूल अधिनियम की धारा ९ निकाल दी जाय । धारा ९-क निकाला जाना।

१०—मूल अधिनियम की धारा १० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्— धारा १० के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन

"१०—(१) राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है । नियम बनाने का अधिकार

(२) विशेषतः और पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है:—

(क) रीति जिसके अनुसार तथा अवधि जिसके भीतर धारा ४ के अधीन एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी या उसके ब्याज का भुगतान राज्य सरकार को किया जायगा;

(ख) प्रपत्र जिसमें और रीति जिसके अनुसार धारा ५ की उपधारा (१) के अधीन अभिलेख रखे जायेंगे और विवरण जो उनमें दिये जायेंगे;

(ग) प्रपत्र जिसमें और रीति जिसके अनुसार, अवधि जिसके भीतर, और प्राधिकारी, जिसे धारा ५ की उपधारा (२) के अधीन नक्शे प्रस्तुत किये जायेंगे,

(घ) रीति जिसके अनुसार धारा ५ की उपधारा (१) के खंड (क) और (ख) के प्रयोजनों के लिए एनर्जी की इकाइयां सुनिश्चित की जायेंगी;

(ङ) कर्त्तव्य जिनका पालन और अधिकार जिनका प्रयोग धारा ६ के अधीन नियुक्त निरीक्षण अधिकारी करेंगे;

(च) प्राधिकारी जो धारा ४-ख की उपधारा (१) के अधीन देय शास्ति अवधारित करेगा और अवधि जिसके भीतर इसका भुगतान किया जायगा;

(छ) प्राधिकारी जिसे, अवधि जिसके भीतर, और शुल्क जिसके दिये जाने पर, धारा ४-ख की उपधारा (२) के अधीन अपील की जा सकेगी;

(ज) अधिकारी जो इस अधिनियम के अधीन अभियोजन के लिये परिवाद कर सकते हैं;

(झ) कोई अन्य विषय जिसे नियत किया जाना हो या नियत किया जा सके ।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र में या एक से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रक्खे जायेंगे, और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निश्चित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यानों के अधीन रहते हुये, प्रभावी होंगे जो विधान मंडल के दोनों सदन उक्त अवधि के भीतर करने के लिये सहमत हों किन्तु इस प्रकार के किसी परिष्कार या अभिशून्यन का सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की बैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा ।"

उत्तर प्रदेश विद्युत् (कर) अधिनियम, १९५२ की धारायें जिनका विधेयक द्वारा संशोधन या प्रतिस्थापन होना है

उपभोक्ताओ (कंज्यूमर) को दी गई एनर्जी (विद्युत शक्ति) पर ड्यूटी (विद्युत शुल्क)

३—उपभोक्ता (कंज्यूमर) द्वारा उपभुक्त एनर्जी (विद्युत शक्ति) पर राज्य सरकार के लिये ड्यूटी (शुल्क) लगाई जायगी और वह राज्य सरकार को देय होगी यह ड्यूटी (शुल्क) जिसको यहां आगे चलकर एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (विद्युत शुल्क) के नाम से कहा गया है उसके लिये लाइसेंसी द्वारा तथा धारा २ के खंड (घ) के उपखंड (२) या (३) में अभिदिष्ट बोर्ड अथवा सरकार द्वारा लगायी गयी दर पर उस दर के हिसाब से जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके समय-समय पर नियत करे और जो लगाई गई दर के २५ प्रतिशत से अधिक न होगी, आकलित की जायगी :"

किन्तु पहला प्रतिबन्ध यह है कि निम्नलिखित में या द्वारा उपभुक्त एनर्जी (विद्युत शक्ति) पर कोई ड्यूटी (शुल्क) नहीं लगायी जायगी ।

(क) राज्य सरकार अथवा केंद्रीय सरकार, किन्तु यह अपवाद निवास के प्रयोजनों (residential purposes) के निमित्त प्रयुक्त भू:गृहादि (premises) पर न लगेगा,

(ख) केंद्रीय सरकार अथवा रेलों का संचालन करने वाली रेलवे कम्पनी द्वारा रेलवे के निर्माण, रखरखाव अथवा संचालन करने में,

१९५३ की ऐक्ट संख्या ४

(ग) इंडियन माइन्स ऐक्ट, १९२३, में परिभाषित किसी माइन (खान) द्वारा या उसके संबंध में,

(घ) किसी कृषक (cultivator) द्वारा ऐसे कृषि कार्यों (agricultural purposes) में जो उसके खेतों पर या उसके निकट किये जायं तथा सिंचाई के लिये पानी को पंप द्वारा उठाना, उन खेतों की उपज का कुचलना या पेरना पीसना या उपयोग के लिये अन्य क्रिया करना (crushing, milling and treating) या चारा काटना,

(ङ) किसी उपभोक्ता द्वारा किसी ऐसे उद्योग में जो वस्तुओं के निर्माण, उत्पादन, विधायन (Processing) या मरम्मत में संलग्न हो ।

दूसरा प्रतिबन्ध यह है कि उपभोक्ता (कंज्यूमर) द्वारा उपयुक्त एनर्जी (विद्युत शक्ति) पर एलेक्ट्रिसिटी ड्यटी (विद्युत शुल्क) नहीं लगाई जायगी यदि इकाई धन ६ आना प्रति यूनिट (इकाई) से अधिक हो ।

तीसरा प्रतिबन्ध यह है कि यदि इकाई मूल्य ६ आना प्रति यूनिट (इकाई) से कम हो, तो लगाई गयी (एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी) (विद्युत शुल्क) इतनी कमधनराशि होगी जो लगी हुई दर से मिलकर ६ आना प्रति यूनिट से अधिक न हो ।

चौथा प्रतिबन्ध यह है कि उस एनर्जी (विद्युत शक्ति) के संबंध में जिस पर "वन पार्ट टैरिफ" के अनुसार दर लगाई गई हो, एलेक्ट्रिसिटी ड्यटी १ आना प्रति यूनिट (इकाई) से अधिक न होगी ।

स्पष्टीकरण:—(१) एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (विद्युत शुल्क) के लगाने तथा उसके भुगतान के प्रयोजनों के निमित्त, उस एनर्जी (विद्युत शक्ति) के संबंध में जिसे लाइसेंसी अथवा बोर्ड ऐसे भू-गृहादि में या उसके ऊपर उपभुक्त करे जो उसके अपने व्यवसाय अथवा निवास के प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होते हों, तो यह समझा जायगा कि वह ऐसी एनर्जी (विद्युत शक्ति) है जिसकी ड्यटी (शुल्क) उपभोक्ता ने दी है और उसके द्वारा उपभुक्त (consumed) है ।

(२) "रेलवे" का तात्पर्य भारत के संविधान के अनुच्छेद ३६६वें परिभाषित रेलवे से है ।

३—क—उपभोक्ता द्वारा उपभुक्त एनर्जी (विद्युत शक्ति) पर धारा ३ के अधीन लगाई गई एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (विद्युत शुल्क) की धनराशि आगे व्यवस्थित रीति से उपभोक्ता द्वारा देय होगी तथा उससे उगाही तथा वसूल की जायगी । उपभोक्ताओं द्वारा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का दिया जाना

४—(१) एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (विद्युत शुल्क) उपभोक्ता से उगाही करके राज्य सरकार को नीचे लिखे अनुसार दी जायगी :— एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (विद्युत शुल्क) की उगाही

(क) जब एनर्जी (विद्युत शक्ति) की लाइसेंसी ने पूर्ति (Supply) की हो तो लाइसेंसी द्वारा,

(ख) जब एनर्जी (विद्युत शक्ति) की पूर्ति राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार अथवा बोर्ड द्वारा या इनकी ओर से की गयी हो तो सम्बद्ध नियुक्त प्राधिकारी (Appointed authority) द्वारा,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि लाइसेंसी अथवा नियुक्त प्राधिकारी अपने द्वारा पूरित (Supplied) उस एनर्जी (विद्युत शक्ति) के लिये तब तक ड्यूटी (शुल्क) देने का उत्तरदायी न होगा जब तक कि उसने तत्संबंधी देय धनराशि वसूल न कर ली हो:

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि लाइसेंसी द्वारा उपभोक्ता (कंज्यूमर) से उगाही एलेक्ट्रिसिटी (विद्युत शुल्क) की धनराशि राज्य सरकार को नियत अवधि के भीतर अदा न की जाय तो लाइसेंसी इस प्रकार अदा न की गई एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की धनराशि पर साढ़े बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से तब तक के ब्याज का देनदार होगा जब तक कि वह अदा न कर दी जाय ।

(२) इस प्रकार देय ड्यूटी (शुल्क) तथा ब्याज, यदि कोई हो लाइसेंसी अथवा नियुक्त प्राधिकारी द्वारा एनर्जी (विद्युत शक्ति) की पूर्ति किये जाने से प्राप्त धनराशि पर प्रथम भार भार (फर्स्ट चार्ज) होंगे और यह उसके ऊपर राज्य सरकार का ऋण होगा ।

(३) जब कोई उपभोक्ता नियत समय के भीतर तथा नीति रीति के अनुसार अपने द्वारा देय एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (विद्युत शुल्क) देने में असफल रहता है या उपेक्षा करता है तो लाइसेंसी अथवा नियुक्त प्राधिकारी, जैसी भी दशा हो, धारा ७ के अन्तर्गत राज्य सरकार के धनराशि वसूल करने के अधिकार को बाधित करते हुए, ऐसे उपभोक्ता को कम से कम ७ दिन की लिखित सूचना देने के पश्चात् उसकी एनर्जी (विद्युत शक्ति) की पूर्ति (सप्लाई) का विच्छेद कर सकता है ।

(४) उपधारा (२) के प्रयोजनों के लिये लाइसेंसी अथवा नियुक्त प्राधिकारी इंडियन एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, १६१०, की धारा २४ की उपधारा (१) के अधीन लाइसेंसी को मिले अधिकारों का प्रयोग कर सकता है, मानो कि ऐसे उपभोक्ता को दी गयी एनर्जी (विद्युत शक्ति) के संबंध में देय धन पर उक्त ड्यूटी (शुल्क) भार (चार्ज) हो । १६१० की ऐक्ट संख्या ६

५—(१) यदि राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आज्ञा द्वारा ऐसा निर्देश करे, तो लाइसेंसी अथवा नियुक्त प्राधिकारी ऐसे अभिलेख ऐसी रीति तथा ऐसे आकार में रखेगा, जो नियत किये जायं और जिनमें निम्नलिखित प्रदर्शित होंगे:— अभिलेख तथा नक्शे

(क) उपभोक्ताओं (कंज्यूमर्स) को देने के लिये उत्पन्न की गयी अथवा प्राप्त एनर्जी (विद्युत शक्ति) की इकाइयां (यूनिट्स)

(ख) उपभोक्ता को दी गयी एनर्जी (विद्युत शक्ति) की इकाइयां (यूनिट्स) अथवा उसके द्वारा उपभुक्त इकाइयां

(ग) उन पर देय ड्यूटी (शुल्क) की धनराशि और ४ के अधीन उसके द्वारा वसूल की हुई अथवा दी हुई ड्यूटी (शुल्क)

(ग) (१) धारा ४ के अधीन लाइसेंसी द्वारा दिये गये ब्याज की धनराशि यदि कोई हो, और

(घ) अन्य ऐसे ब्योरे जो नियत किये जायें ।

(२) प्रत्येक लाइसेंसी अथवा नियुक्त प्राधिकारी जिसे उपधारा (१) के अधीन अभिलेख रखने का निदेश किया गया हो, ऐसे नक्शे, ऐसे आकार और रीति में प्रस्तुत करेगा जो नियत किये जायं ।

(३) उपधारा (१) के खंड (क) तथा (ख) के प्रयोजनों के लिये एनर्जी (विद्युत शक्ति) की मात्रा उस रीति से आंकी जायगी जो नियत की जाय ।

७—एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (विद्युत शुल्क) तथा ब्याज, यदि कोई हो के हिसाब में देय कोई भी धनराशि, यदि नियत समय पर और नियत रीति के अनुसार नहीं दी गई हो, तो राज्य सरकार द्वारा मालगुजारी के बकाया के रूप में निम्न-लिखित से वसूल की जा सकती है।

(क) यदि एनर्जी (विद्युत शक्ति) की पूर्ति लाइसेंसी द्वारा की गई हो तो राज्य सरकार, जैसा चाहे उपभोक्ता से, अथवा धारा ४ की उपधारा (१) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक वाक्य के अधीन लाइसेंसी से, और

(ख) एनर्जी (विद्युत शक्ति) की किसी अन्य दशा में उस व्यक्ति से जिसके द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत ऐसी ड्यूटी (शुल्क) देय हो ।

दण्ड

८—यदि कोई व्यक्ति :

(क) जिसे धारा ५ के अनुसार अभिलेख रखना तथा नक्शे प्रस्तुत करना आवश्यक हो, उन्हें नियत रीति से अथवा नियत आकार में रखने अथवा प्रस्तुत करने में असफल रहता है, अथवा

(ख) धारा ६ के अन्तर्गत नियुक्त किसी निरीक्षणाधिकारी के इस अधिनियम तथा नियमों के अन्तर्गत अधिकार प्रयोग तथा कर्त्तव्य पालन में जानबूझ कर बाधा डालता है, अथवा

(ग) किसी नियम का उल्लंघन करता है,

तो वह किसी मजिस्ट्रेट द्वारा अभिशस्त होने पर (on conviction) अर्थ दंड का भागी होगा जो दो सौ रुपये से अधिक न होगा ।

अपवाद

९—इस अधिनियम में कोई बात ऐसी एनर्जी (विद्युत शक्ति) पर लागू नहीं होगी जो किसी व्यक्ति द्वारा अपने उपयोग या उपयोग के लिये उत्पादित की जाये अथवा किसी ऐसे स्थिर यंत्र (प्लांट) द्वारा उत्पादित की जाये जिसकी क्षमता (कैपेसिटी) ढाई किलोवाट से अधिक न हो ।

नियम बनाने का अधिकार

१०—(१) इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार नियम बना सकती है ।

(२) विशेषत: किन्तु पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता को बाधित न करते हुए, इन नियमों में निम्नलिखित के लिये व्यवस्था की जा सकती है:

(क) धारा ३ के अधीन ड्यूटी (शुल्क) के, जिसके अन्तर्गत सीमांत समायोजन (मार्जिनल ऐडजस्टमेंट) भी है, हिसाब करने (कैलकुलेटिंग) की रीति,

(ख) लाइसेंसी तथा नियुक्त प्राधिकारी द्वारा विद्युत शुल्क की उगाही और उसे राज्य सरकार को देने की रीति,

(ग) कंज्यूमर्स (उपभोक्ताओं) द्वारा एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (विद्युत शुल्क) को देने का समय तथा रीति,

(घ) अन्य कोई विषय जिसके संबंध में राज्य सरकार के मतानुसार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये व्यवस्था की आवश्यकता है।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, १९५२ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३३, १९५२) के अधीन बिजली के उपयोग पर लगाये जाने वाले विद्युत शुल्क की अधिकतम दर लिये जाने वाले मूल्य की दर का २५ प्रतिशत है। १९५९ में उक्त अधिनियम में संशोधन कर दिया गया था जिसके आधार पर १-४-१९५९ से औद्योगिक उपभोक्ताओं को विद्यत कर से मुक्त कर दिया गया था। वर्तमान स्थिति को देखते हुए अब यह आवश्यक है कि औद्योगिक उपभोक्ताओं पर भी विद्यत कर लगाया जाये। दूसरे, इस समय उपभोक्ता के अपने ही विद्युत जनन स्रोत से उपभुक्त विद्युत शक्ति पर कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। अब, यह प्रस्ताव है कि ऐसे उपभोग पर भी शुल्क लगाया जाये। तीसरे, वर्तमान प्रणाली को बदला जाये, जिसके अनुसार उपभोक्ताओं से शुल्क वसूल कर लेने पर ही विद्युत सम्भरणकर्ता द्वारा सरकार को देय होता है। यह प्रस्ताव है कि अन्य राज्यों की भांति सम्भरणकर्ता पर उसके द्वारा बेची गयी बिजली पर शुल्क लगाया जाये और उपभोक्ता से उसकी वसूली करने का अधिकार उसे दिया जावे। इससे शुल्क को शीघ्र वसूली करने में सुविधा होगी। चौथे, यह भी स्पष्ट प्राविधान किया जा रहा है कि ड्यूटी की दर या तो चार्ज की दर से निर्दिष्ट प्रतिशत के रूप में या निर्दिष्ट धनराशि प्रति यूनिट के रूप में निश्चित की जा सकेगी। इन तथा कुछ अन्य परिवर्तनों को करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, १९७० पुरः स्थापित किया जाता है।

राम लखन,
विद्युत मंत्री।

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, १९७० के संबंध में वित्तीय विवरण का ज्ञापन-पत्र

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, १९५२ की धारा ६ (१) में यह व्यवस्था है कि उक्त अधिनियम के खंड ६ के उपबन्धों के अनुसार राज्य में विद्युत सम्भरण प्रतिष्ठानों तथा नियुक्त प्राधिकारियों द्वारा रखे गये अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिये निरीक्षण अधिकारियों की नियुक्ति की जाये। ऐसे निरीक्षण अधिकारी, वर्तमान उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, १९५२ की धारा ६ के उपबन्धों के अनुसार पहले से ही इस कार्य को कर रहे हैं। परन्तु वर्तमान विधेयक में यह प्राविधान किया जा रहा है कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विद्युत जनन के अपने स्रोत से उपभक्त एनर्जी पर भी विद्युत कर देय होगा। प्रदेश में इस तरह के विद्युत जनन स्रोत में विद्युत कर के लेखों का निरीक्षण करने के लिये निरीक्षणालय में अधिक स्टाफ रखने की आवश्यकता होगी। इस तरह प्रस्तावित विधेयक को सुचारू रूप से संचालन करने के लिये निरीक्षणालय के वार्षिक व्यय में लगभग डेढ लाख रुपये की वृद्धि होगी।

राम लखन,
विद्युत मंत्री।

ज्ञापन-पत्र जिसमें उन विधायी अधिकारों के प्रतिनिधान की प्रस्थापनायें स्पष्ट की गयी हैं जो उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, १९७० में अन्तर्ग्रस्त है

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (संशोधन) विधेयक, १९७० में निम्नलिखित ऐसे उपबन्ध हैं जिनका संबंध विधायी अधिकार प्रनिहित करने से है ।

(१) खंड १(२)—इसमें यह व्यवस्था की गयी है कि अधिनियम उस दिनांक से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करें । यह व्यवस्था इसलिये की गयी है कि सरकार इस अधिनियम को प्रवृत्त करने के लिये कोई उचित दिनांक निश्चित कर सके ।

(२) खड २(१) (२)—इसमें प्रस्तावित धारा ३(२) द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि बेची या उपभुक्त विद्युत शक्ति के प्रति यूनिट पर ६ पैसे से अनधिक ऐसी दर अथवा दरों पर विद्युत शुल्क लगाया जायेगा जो राज्य सरकार समय-समय पर गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे । यह व्यवस्था इसलिये की गयी है कि जब कभी परिस्थितिवश ऐसा करना आवश्यक हो तब सरकार (विधेयक में निश्चित सीमा के भीतर) विद्युत शुल्क में घटा बढ़ी कर सके ।

प्रस्तावित धारा ३(४) द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि राज्य सरकार औद्योगिक उत्पादन को सामान्यतया अथवा किसी निर्दिष्ट वर्ग को बढ़ाने की आवश्यकता को, और किसी अन्य सुसंगत बात का ध्यान में रखते हुए, या तो विद्युत शक्ति के विभिन्न वर्गों के उपभोग के सम्बन्ध में विद्युत शुल्क की विभिन्न दरें निश्चित कर सकती है अथवा उसका भुगतान करने से कोई भी छूट दे सकती है। यह व्यवस्था इसलिये की गयी है कि राज्य सरकार विद्युत शुल्क लगाने के लिये विभिन्न दरें निश्चित कर सकें अथवा शुल्क लगाये जाने से छूट दे सके, यदि वह ऐसा करना इष्टकर समझे

(३) खंड १०—इस खंड में प्रस्तावित धारा १० द्वारा राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह उसमें दिये गये विभिन्न विषयों के संबंध में, जिनका उल्लेख विधेयक के विभिन्न खंडों में है, नियम बनाये । सरकार द्वारा बनाये गये नियम राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, उसके एक सत्र में या एक से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखें जायेंगे । नियम ऐसे परिवर्तनों तथा संशोधनों के अधीन होंगे जो विधान मंडल के दोनों सदन पारित करने के लिये सहमत हों ।

राम लखन,
विद्युत मंत्री ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १२२ एल० ए०—१९७१—८४५ ।